खण्ड-137, अंक-6
शनिवार, 25 वैशाख, शक संवत् 1876
(15 मई, 1954 ई0)

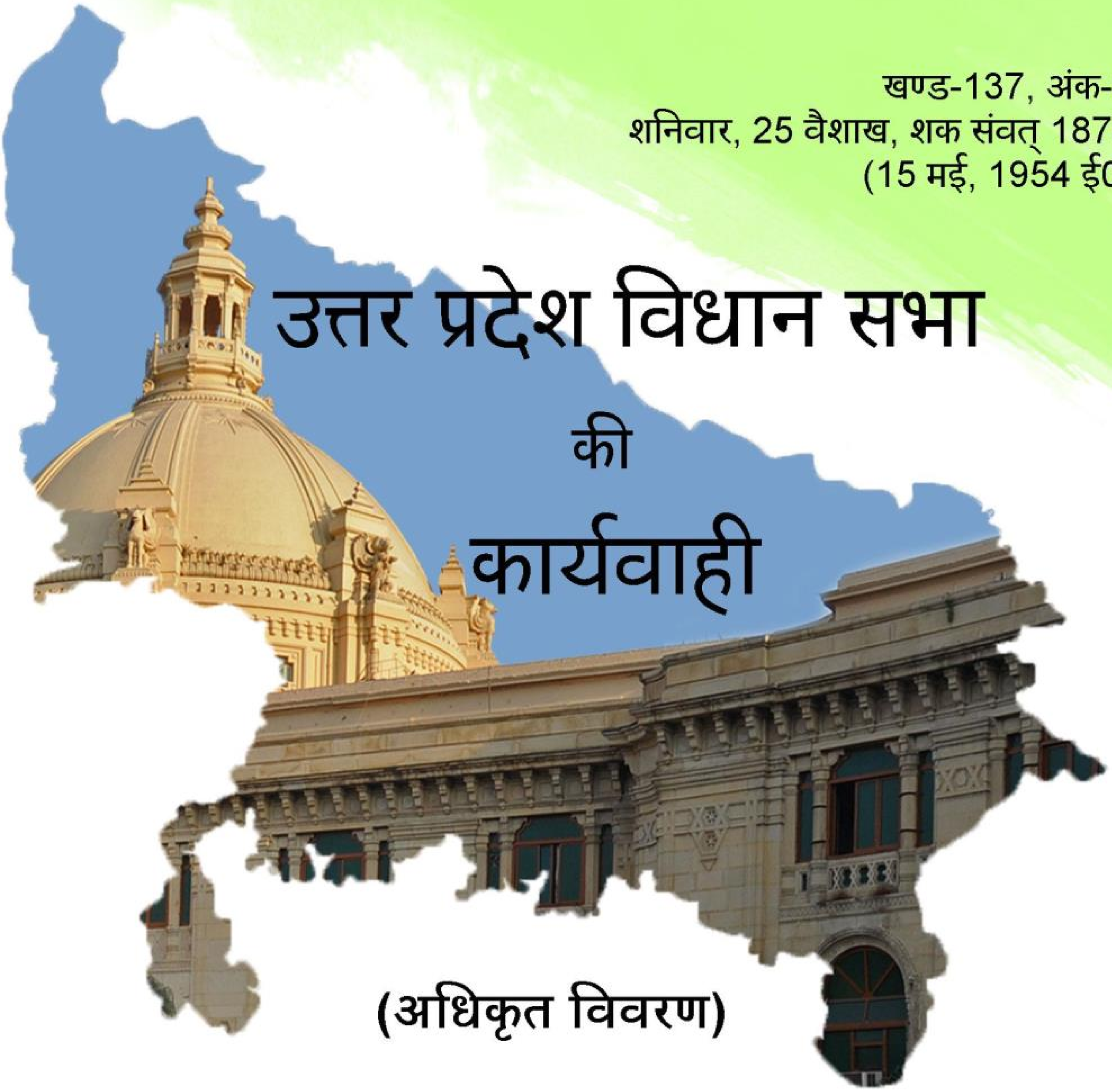

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 137 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १५ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशचन्द्र जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम, जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूदआलम खां, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानीमिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बेकारी निवारणार्थ योजनायें

*१—श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार ने ३१ योजनायें ४८ करोड़ ५७ लाख खर्च की बेकारी निवारणार्थ बना कर भारत सरकार के पास भेजी है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—जी हां।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकार को इन योजनाओं के बारे में क्या उत्तर दिया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अभी तक सड़कों के बारे में वहां से आया है कि वे ढाई करोड़ रुपया देंगे। वे सड़कें खासतौर से ऐसी हैं जिनका तिब्बत के बार्डर से ताल्लुक है, और जो एक तरह से डिफेंस में और ऐसी चीजों में भी जरूरी हैं। इर्रीगेशन में जो हम नयी स्कीम चला रहे हैं कुछ उनके लिये रुपया मिला है। बहुत सी स्कीम अभी गौरतलब हैं जिन पर विचार और फैसला नहीं हुआ है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—इन ३१ योजनाओं में मुख्य-मुख्य कौन-कौन सी हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सड़कों की, शहरों में ड्रेनेज, सेलज, वाटरवर्क्स की हैं और लैंड सैटिलमेंट के इविक्टेड आदमियों को जमीन में आबाद करने के बारे में, शिक्षा को सुधारने की, खादी के लिये, कुछ इंडस्ट्रीज, लैदर, ग्लास, पाट्री इत्यादि की हैं और कितनी ही किस्म की है। आप चाहें तो पूरी फेहरिस्त भी बतला सकता हूं। मकान बनाने के बारे में भी मिडिल क्लास के लिये और औरों के लिये है, इर्रीगेशन का रिआर्गनाइजेशन के बारे में है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि इन ३१ योजनाओं को वर्तमान पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने का विचार है या दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—हमारी ख्वाहिश तो यही है कि तुरन्त ही इनको काम में लाया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि भारत सरकार ने अगर यह ग्रान्ट नहीं दी तो क्या सरकार अपने साधनों के द्वारा इन ३१ योजनाओं को चलायेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह हाइपोथेटिकल सवाल है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं के पूरे होने से कितने लोगों को रोजी मिल जायगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—हर योजना के बारे में बताया गया है कि कितने आदमी उससे रोजी पा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे ६० लाख आदमियों को रोजी दी जा सकेगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं में ऐसी कोई योजना है जिसके द्वारा यह मालूम हो सके कि प्रांत में ठीक-ठीक शिक्षित और अशिक्षित बेकार कितने हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—बेकारी दूर करने के साधन क्या हैं इस बारे में विचार किया गया है, बेकारी तो है ही, उसके बारे में जांच कराने की कोई खास जरूरत मालूम नहीं होती। अगर झारखंडे राय जी को शुबहा है, तो अच्छा है।

भर्ती के लिए कान्सटेबिलों की योग्यता

*२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, सन् १९५४ ई० से पुलिस में भर्ती की जा रही है? यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कांस्टेबिलों में किस योग्यता के व्यक्ति लिये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—पुलिस में भर्ती हमेशा आवश्यकतानुसार जिला पुलिस कप्तानों द्वारा की जाती है। कांस्टेबिलों के लिए आवश्यक योग्यता पुलिस रेगुलेशन के पैरा ४११ में दी हुई है, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०० पर।)

श्री महीलाल—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेग्युलेशन्स में शिक्षा की योग्यता न होते हुए भी फिजिकली फिट आदमियों को जो मिडिल पास नहीं होते, पुलिस कांस्टेबिली के लिए नहीं लिया जाता?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक ऐसा नहीं है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उनके पास क्या इस तरह की कोई शिकायत आयी है कि ऐसे लोगों को नहीं लिया गया जो मिडिल पास नहीं थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

बहराइच जिले में नल-कूपों के निर्माण की योजना

*३—श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के लिए इस वर्ष कितने नल कूप (Tube wells) बनना स्वीकृत हुए हैं?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—टी० सी० ए० १९५३ की २८० नलकूप योजना के अन्तर्गत ३० नलकूप बहराइच जिले में बनवाने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु भारत सरकार ने अपनी टेक्निकल पार्टी की सिफारिश के अनुसार उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अतः अब प्रदेशीय सरकार अपनी पूर्वी जिलों की नलकूप योजना के अन्तर्गत ३० नलकूप बहराइच में बनाने का प्रबन्ध कर रही है।

श्री सियाराम चौधरी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह नलकूप कब से बनना आरम्भ हो जायेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—१५-२० का सर्वे हो गया है। १०-५ का और बाकी है आशा है हफ्ते दो हफ्ते में काम शुरू हो जायगा।

"आयुर्वेदाचार्य विद बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी" डिग्री रखने वालों को पी० एम० एस० ग्रेड २ देने का प्रश्न

*४—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के छात्र जो इस साल 'आयुर्वेदाचार्य विद बैचलर आफ मेडिसिन ऐन्ड सर्जरी' की डिग्री लेकर निकल रहे हैं उन्हें, वह सेकेन्ड पी० एम० एस० ग्रेड देने का विचार कर रही है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जी नहीं।

श्री यमुनासिंह---क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री जी ने आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को कुछ आश्वासन दिया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो याद नहीं पड़ता है कि मैंने उनसे इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय इस आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को कौन सा ग्रेड दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उनकी तनख्वाह शुरू होती है ७५ रुपये से और ५ रुपया प्रति वर्ष बढ़ता है, फिर शायद जब १५० तक पहुंच जाता है, तो रोक है। उसके बाद फिर ८ रुपया प्रति वर्ष बढ़ती शुरू होती है और २०० रुपये तक तनख्वाह जाती है।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ५ साल का कोर्स पूरा करने के बाद ये विद्यार्थी पी० एम० एस० के अधिकारी क्यों नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक इनकी तनख्वाहों का ताल्लुक है, वे पे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गयी है। पे कमेटी ने सारी बातों और सारे कारणों को ध्यान में रख कर ही इनकी तनख्वाह निर्धारित की थी।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मेडिसिन एन्ड सर्जरी की शिक्षा जो उनको दी जाती है, और मेडिकल कालेज में जो शिक्षा दी जाती है, उन दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे उत्पन्न नहीं होता। आप टेक्निकल बातों का प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे विश्व-विद्यालय के स्नातकों को कितने वर्ष की नौकरी के बाद सेकेन्ड पी० एम० एस० ग्रेड दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सेकेन्ड पी० एम० एस० ग्रेड तो गजटेड पोस्ट है, और जो वैद्य विश्वविद्यालय से निकलते हैं, उनको गजटेड पोस्ट पर नहीं नियुक्त किया जाता है।

केराकत तहसील, जिला जौनपुर में एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की आवश्यकता

*५---श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जौनपुर जिला की प्लानिंग कमेटी ने दिनांक ८ मई, १९५४ की अपनी बैठक में कोई प्रस्ताव केराकत तहसील में N. E. S. Block खोलने के लिए पास किया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सरकार के पास अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं आयी है।

*६---श्री लाल बहादुर सिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह ब्लाक कब तक खुल जायेगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इस वर्ष के नये ब्लाकों का प्रश्न विचाराधीन है।

करघा उद्योग के लिए केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत धन में से वापसी

*७---श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सच है कि १९५३-५४ में जो २०,७८,१३३ रु० केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश में करघा योजना चलाने के लिए बतौर ग्रांट के मंजूर हुआ था, उसमें से ३१ मार्च, सन् १९५४ को १५,२०,४०० रुपया वापस (Surrender) करना पड़ा है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)---१४,७२,०५०रुपया सरेन्डर किया गया।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उसे आल इन्डिया हैन्डलूम बोर्ड को जो रकम खर्च नहीं होती है, उसकी इत्तिला देनी पड़ती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार ने आल इन्डिया हैन्डलूम बोर्ड को १५,२०,४०० रु० की इत्तिला दी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---मैंने बतलाया है कि १४,७२,०५० रुपया जो सरेन्डर किया गया, उसकी इत्तिला की गयी है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सप्लीमेंटरी बजट जो फरवरी, सन् १९५४ में पास हुआ था, उसमें जो ग्रांट की रकम थी, उसमें से कितना खर्च हुआ ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---ग्रांट की रकम जो थी, जैसा कि मैंने बतलाया कि २० लाख में से १४ लाख बच गया और बाकी खर्च हुआ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन विशेष कारणों से यह रुपया सरेन्डर करना पड़ा है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मेरी समझ में इस मामले में थोड़ी सी गलतफहमी सी मालूम होती है। यह सरेंडर जो हुआ वह तो हमारे स्टेट एक्स चेकर को हुआ है। जहां तक इन रुपयों का ताल्लुक है, वे इस साल हमारे डिस्पोजल पर रहेंगे। गवर्नमेंट आफ इन्डिया का इस विषय में ऐसा कायदा है कि पारसाल खर्च होने से जितना रुपया बच गया था, वह इसी फन्ड में हमारे यहां रह जायगा और आगे काम में आ सकेगा तथा इस साल की ग्रांट अलग मिलेगी। हमें एक बात का ख्याल करना है कि चाहे वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया का रुपया हो या हमारा रुपया हो, वह खर्चा इस तरह से होना चाहिए, जिससे उन रुपयों का पूरा फायदा मिल सके। क्योंकि आखिर वह रुपया टैक्स पेयर का ही है। इसलिए वह इस तरह से अमल में आना चाहिए कि उस रुपये का फायदा पूरा पूरा मिल सके। पारसाल यह रुपया देर में मंजूर हुआ था, जिसको आल इन्डिया हैन्डलूम बोर्ड के मेम्बरान जानते हैं। उसको खर्च करने की पूरी कोशिश की गयी, स्कीमें बना कर खर्च किया गया, जितना खर्च हो सकता था, उतना किया गया और जितना बच गया है, वह आगे खर्च होगा और अच्छी तरह से होगा। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो यह रुपया दिया था, उसके साथ में उसका कोई आदेश भी था कि उस रुपये का प्रयोग किस तरह से हो ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, मुख्तलिफ मदें थीं, जिनके मुताल्लिक रुपया मिला था।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन मदों में कोई ऐसी भी मद है जिसके अनुसार करघे का काम करने वालों को लोन दिया जा सके ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जो रुपया सेन्टर से मिला था, उसमें से कुछ ग्रान्ट के तरीके पर मिला था और कुछ लोन के तरीके पर और जो रुपया मिला था उसमें से कोआपरेटिव सोसाइटीज को कर्जा देने के लिए भी था कुछ वर्किंग कैपिटल के तौर पर और कुछ शेयर कैपिटल के तौर पर।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने कोई ठोस योजनायें भेजी थीं, जिनके आधार पर केन्द्र ने यह ग्रान्ट यू० पी० सरकार को दी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—केन्द्रीय सरकार की एक स्कीम थी, जिसके अनुसार मिल क्लाथ पर सेस लगाया गया था, इसलिए कि वह रुपया हैन्डलूम क्लाथ के सुधार में लगाया जाय और जो रुपया हमारी स्टेट के हिस्से में आया, वह हमें मिला और उसके बाद उनकी और हमारी सलाह से स्कीम बनी, और उसी के मुताबिक काम हुआ।

वित्त समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री कालीचरण जी टंडन ने वित्त समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उनका स्थान रिक्त हो गया है। इसलिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मैं यह कार्यक्रम रखता हूं :

नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय आज के ही रोज १५ मई को १ बजे दिन तक, नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १/५ मिनट पर, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आज ३ बजे अपरान्ह तक और यदि निर्वाचन की आवश्यकता हुई तो उसके लिये तिथि, समय और स्थान बाद में बताया जायगा।

राज्य में उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर्स ऐक्ट, १९३२ के लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी ने भेजा है। वह इस प्रकार है "ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के काले कानून उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर्स ऐक्ट, १९३२ जो लार्ड वेलिन्गडन के समय में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिये बनाया गया था, के सरकार द्वारा प्रदेश के ३७ जिलों में लागू किए जाने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति पर वादविवाद करने के लिए विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।"

मैं इसके बारे में यह जानना चाहूंगा कि श्री रामनारायण त्रिपाठी से अव्वल तो उन्होंने जिस विषम परिस्थिति का जिक्र किया है वह क्या है और दूसरे वह इसकी इम्पार्टेन्स और अरजेन्सी बतावें कि आज ही उसके ऊपर वादविवाद क्यों किया जाय। कृपा करके आप थोड़े से शब्दों में इस पर प्रकाश डाल दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कामरोको प्रस्ताव दिया है वह इस प्रकार है ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के काले कानून उ०प्र० स्पेशल पावर्स ऐक्ट, १९३२ जो लार्ड वेलिंगडन के समय में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के.....

श्री अध्यक्ष—आप इसको पढ़ें नहीं, वह तो मैंने पढ़कर सदन को सुना दिया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जो प्रश्न आप ने उठाया है कि किस तरह से यह सदन के सामने वादविवाद के लिए आ सकता है उसको सिद्ध करने के लिए मैं केवल ३ धारायें स्पेशल पावर्स ऐक्ट, १९३२ की पढ़ना चाहता हूं ताकि मालूम हो जाय कि क्या स्पेशल पावर्स ली जा रही हैं। तीसरी धारा इस प्रकार है।

"3. Whoever, by words either spoken or written, or by signs or by visible representations, or otherwise, instigates, expressly or by implication any person or class of persons not to pay or to defer payment of any liability, and whoever does any act, with intent or knowing it to be likely that any words, signs or visible representations containing such instigations shall thereby be communicated directly or indirectly to any person or class of per sons, in any manner whatsoever, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine extending to Rs. 250 or with both."

श्री अध्यक्ष—क्या यह धारायें लागू कर दी गयी हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां, इसका सारांश यह है कि कोई भी व्यक्ति लिखित रूप से या शब्दों के जरिये से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई ऐसा काम करता है जो किसी प्रकार से टैक्स की वसूली में रुकावट होता है या टैक्स की वसूली में जिसके कारण से देर लगती है या वह कोई ऐसा काम करता है जिसका असर इस प्रकार का हो जिसकी वजह से टैक्स रुक जाय तो ऐसे व्यक्ति को ६ मास की सख्त सजा और २५० रुपया जुर्माना या यह दोनों सजायें हो सकती हैं। धारा ६ आगे इस प्रकार है :

"6. Whoever with intent to annoy any person or with the knowledge that annoyance is likely to be caused to any person performs or takes part in or abets the performance of any mock ceremony resembling any ceremony associated with or consequent upon death, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine not exceeding Rs.250 or with both,"

कोई आदमी अगर ऐसा काम करता है, कोई ऐसा परिहास का काम करता है या कोई अबटमेंट करता है नकली जलसा का जिससे यह जाना जा सके कि वह किसी की मौत से संबंधित है तो उसको तीन महीने की सजा या २५० रुपया जुर्माना या दोनों चीजें हो सकती हैं।

"7. (1) The local Government, if satisfied that there are reasonable grounds for believing that any person has instigated, or is instigating any person or class of persons not to pay or to defer payment of any notified liability shall cause a notice to be served on such person and after considering any explanation of his conduct which may be offered by him within a period to be fixed in the notice may by order in writing, give such person any one or more of the following directions, namely, that such person."

अगर सरकार को इस बात का विश्वास हो जाय . . : . . . . .

श्री अध्यक्ष—आपने धाराओं को पढ़ दिया वह ठीक है। आपको तो अब विषम परिस्थिति के विषय में बताना है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तीन लाइनें और पढ़नी हैं। तो अगर कोई इस किस्म का काम करता है जिससे टैक्स पेमेंट में रुकावट पड़ती है जिससे टैक्स देर में देने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो नोटिस के जरिये से सरकार समय निर्धारित करके इन तीनों में से कोई डायरेक्शन दे सकती है। "(*a*) shall not enter, reside or remain in any area specified in the order" ऐसी जगह के लिये जिसका कि आदेश में जिक्र है, न जा सकता है और न रहेगा। "(d) shall reside or remain in any area specified in the order" या यह हो सकता है कि तुम यहीं रहोगे इसके बाहर नहीं जा सकते। "(*c*) shall remove himself from, and shall not return to, any area specified in the order" और अपने को उस क्षेत्र से हटा लेगा और उस आर्डर में जितनी अवधि दी गयी है उस वक्त तक वापस नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने अपने इस कामरोको प्रस्ताव में बता ही दिया है कि यह पहले जहां तक मेरी सूचना है ६ जिलों में लागू था। उसके बाद १२ मार्च के नेशनल हेराल्ड से मालूम हुआ कि वह और भी ३१ जिलों में लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, जो जबरदस्त अधिकार सरकार ने इस काले कानून से . . . .

श्री अध्यक्ष—आप इसकी मैरिट्स पर जा रहे हैं। आप यह बतायें कि विषम परिस्थिति या पैदा हो रही है। मैंने मेरिट्स पर विवाद के लिये कन्सेंट नहीं दी है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--वही मैं आपसे बयान कर रहा था कि प्रदेश के ३७ जिलों में प्रसारित कर देने से प्रदेश में एक डर सा छा गया है और अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ इटावा जिले में इस ऐक्ट के मुताबिक कई दर्जन आदमियों के खिलाफ वारेन्ट गिरफ्तारी निकाले जा चुके हैं और इस बात की सम्भावना है कि अब ३७ जिलों में भी सरकार द्वारा ऐसे काम किये जायेंगे जिनमें कि इस विशेषाधिकार के जरिये से कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय, विषम परिस्थिति यह है कि सरकार इस कानून के द्वारा अपने अपोजीशन को कुचलने के लिये यह एक जबर्दस्त काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष--आप उद्देश्य बता रहे हैं तथा आपने विषम परिस्थिति बतायी। अर्जेंसी के बारे में, कि आज ही क्यों विचार किया जाय, इसके बारे में भी बतायें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अर्जेंसी इसलिये अध्यक्ष महोदय, कि आज ही सदन खत्म होने वाला है और दूसरे यह कि अभी कानून लागू हुआ है इसलिये इस पर वाद-विवाद हो जाय और दोनों पक्षों के वादविवाद के बाद सरकार यह समझे कि यह जो ऐक्ट लागू किया गया है वह वापस किया जाय।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, कानून किस समय बना इसका तो कोई महत्व है नहीं। यह कानून लार्ड वेलिंगडन के जमाने में बना। लेकिन लार्ड मैकाले भी हो चुके हैं और उनके जमाने का इंडियन पेनल कोड आज तक चला आ रहा है। जहां तक इस खास कानून की बात है इसकी वजह से इस कानून के जो अधिकार हैं उनके लागू करने से कोई विषम परिस्थिति नहीं हुयी। मार्च में मिर्जापुर में लागू किया गया और जहां तक इटावा की बात है वहां १९३२ में लागू हो चुका है। यह जरूर है कि सारे सूबे में इस बात की खबर है कि कुछ लोगों की एक खास पोलिटिकल पार्टी है जो सूबे में इस तरह का आंदोलन करने वाली है कि इर्रीगेशन टैक्स न दो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उसका नाम बताने की कृपा करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--समाजवादी पार्टी। वे लोगों को भड़काना चाहते हैं।

कुछ सदस्य--बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी हालत में अगर कोई बात है तो मैं समझता हूं कि विषम परिस्थिति उस वक्त पैदा होगी जब कि लोगों पर जो ड्यूज हैं उनको न दें। अगर देते जायेंगे तो कोई विषम परिस्थिति नहीं पैदा होगी। उस विषम परिस्थिति को रोकने के लिये इन पावर्स का उपयोग होगा अन्यथा सवाल पैदा नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो किसी विधान सभा का मेम्बर है वह कभी भी इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि कोई भी शख्स कानून के अनुसार जो सरकारी ड्यूज हों उनको न दे और ऐसे किसी आंदोलन का समर्थन न करेगा बल्कि हर शख्स की यह इच्छा होगी कि इस आंदोलन को न चलना चाहिए और जो सरकारी ड्यूज हों वह सरकार को मिलते रहें।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि इस स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अनुसार इस प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ आदमियों की गिरफ्तारियां भी हुईं ?

श्री अध्यक्ष--माननीय गृह मंत्री जी यदि इसका उत्तर देना चाहते हैं तो दे दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मिर्जापुर का जहां तक मुझे मालूम है वहां गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन और जगहों का मैं नहीं कह सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मेरा प्रश्न इसी सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—नियम ६८ इस प्रकार का है :

"68. Speaker's Consent Necessary to Make Motion—(1) Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the speaker.

(2) The Speaker shall decide whether the matter to be discussed is definite and whether it is of urgent public importance."

इस वक्त यह कन्सेन्ट का सवाल है और यह हमें देखना है कि यह अरजेन्ट पब्लिक इम्पार्टेन्स की बात है या नहीं। तो यह स्पष्ट ही है कि विषय निश्चित है। दूसरे अरजेन्ट पब्लिक इपार्टेन्स के विषय में मैंने श्री रामनारायण त्रिपाठी से विषम परिस्थिति के बारे में पूछा था जिस पर उन्होंने जवाब दिया था। विषम उस प्रकार का हो या न हो जिस प्रकार श्री राम नारायण जी समझते हैं लेकिन जहां तक अरजेन्ट पब्लिक इपार्टेन्स का सवाल है वह गृह मंत्री जी के भाषण से ही स्पष्ट है कि कोई ऐसी परिस्थिति अवश्य उत्पन्न हो गयी थी जिसके कारण ३७ जिलों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है। यह बात महत्व की है कि इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि अधिनियम लागू करने की मैरिट्स पर मैं नहीं जा सकता, यह सदन का काम होगा जब सदन अनुमति दे देगा। इसलिये मैं इस बात के लिये कन्सेन्ट दे देता हूं। मैं समझता हूं कि सदन का समय बचाने के लिये चूंकि कुछ थोड़ा बहुत उसमें वाद-विवाद हो चुका है इसी वक्त यह निर्णय देता हूं कि प्रस्ताव वैध है। मैं इसकी आवश्यकता इस कारण समझता हूं कि सदन आज उठता है और शीघ्र ही इस सदन को मौका नहीं मिलेगा कि इस प्रश्न पर प्रकाश डाला जा सके या विवाद हो सके। पुनश्च नियम ७० के अनुसार जो इस तरह के प्रस्तावों के सम्बन्ध में बाधायें हैं उनमें से कोई भी उक्त प्रस्ताव में दिखायी नहीं देती है इसलिये मैं इसको वैध ही करार देता हूं।

मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी से कहूंगा कि सदन की अनुमति के लिये वे अपना मोशन लाना चाहें तो ले आयें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इसके पहले श्री नारायण दत्त तिवारी जी का प्रस्ताव ले लिया जाये मैं अपना प्रस्ताव इसके बाद लाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—पहले आप पेश कर दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह अपना कामरोको प्रस्ताव सदन की अनुमति के लिये पेश करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नियम १७१(७),२२१ (१) के अनुसार श्री राम नारायण त्रिपाठी के द्वारा दिये गये आज के कामरोको प्रस्ताव के बारे में उपस्थित करना चाहता हूं :—

श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा आज प्रस्तुत कार्य स्थगन प्रस्ताव पर विवाद की आवश्यकता के महत्व को देखते हुए यह सदन निश्चय करता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के हेतु नियम ७१ (३) निलम्बित कर दिये जायें।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट के जरिये पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं इसलिये इस सदन के सभी सदस्यों को पुलिस के बढ़ते हुए अधिकार और उनके आतंक से काफी आशंका उत्पन्न हो गयी है। मैं समझता हूं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस स्पेशल पावर्स ऐक्ट के लागू होने के विरुद्ध है। इसलिये मैं इसको निलंबित करने के जो तरीके हैं उनके मुताबिक इन पर विचार करना उचित समझूंगा। चूंकि हमारी पार्टी की यहां पर इतनी संख्या नहीं है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वयं ही इसका कोई विरोध न करके सदन को दो घंटे बहस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का मौका दे दें अन्यथा मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और इस बात का अवसर प्रदान करें कि आज इस स्थगन प्रस्ताव में एक बटा बारह का कोई रेस्ट्रिक्शन हो तो वह स्थगित कर दिया जाय और जितने भी हम विरोधी दल के सदस्य हैं अगर सब इसके समर्थन में उठते हैं तो वह मान लिया जाय। विवाद के लिये सारा विरोधी दल प्रस्तुत है। मैं समझता हूं कि विरोधी दल का प्रजातंत्र में जो महत्व है उसको देखते हुए अगर विरोधी दल किसी बात की मांग करता है जो इस सदन की मर्यादा के अनुकूल भी है तो उस प्रस्ताव पर विवाद होना चाहिये और सदन को अवसर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर इसमें कोई विरोध होना हो तो अभी वे विरोध कर सकते हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--नारायणदत्त तिवारी जी ने प्रजातंत्र के महत्व की बात बाद में कही। एक टैक्स या कोई रुपया उस कानून के मातहत जोकि विधान सभा ने लगाया है और वह टैक्स एक साल तक वसूल हुआ, लोगों ने खुशी से दिया भी इसलिये अगर उनको जबर्दस्ती रोकने की कोशिश की जाय.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी--प्वाइन्ट आफ आर्डर, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस समय सदन के सामने दोनों ही विचार हैं कि निलंबित करने के सम्बन्ध में कुछ कहना हो और दूसरे यह भी हो सकता है कि अनुमति बातों पर के लिये जो आपने कहा उसका भी एतराज हो सकता है। दोनों चीजें पर एक साथ विचार प्रकट किए जा सकते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, रामनारायण त्रिपाठी जी ने जैसा कहा था कि इसकी अनुमति दी जाय, वहीं पर बात छूट जाती है और मैं कुछ नहीं कहता मगर नारायण दत्त जी ने एक विशेष प्रस्ताव किया और उसके सम्बन्ध में कुछ दलीलें भी दीं कि क्यों ऐसा किया जाय। इसलिए मेरे लिए आवश्यक हो गया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत कहूं। मैं कोई बहुत लम्बी चीज नहीं कहना चाहता बल्कि मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी टैक्स लगते हैं, चाहे वह इर्रीगेशन रेटस हों, चाहे कोई रेट हो या लन्ड रेवेन्यू हो वह इस सदन के पास किये हुये कानून के मातहत ही लगते हैं। अगर कानून के खिलाफ लगें तो जिनपर लगें वह कानूनी कार्यवाही अदालतों में कर सकते हैं लेकिन विधान सभा से यह कहना कि तुम इस तरह से कानून के खिलाफ अपना मत दो जो कि इस सदन से लगाये हुए टैक्सेशन के वसूल करने में रुकावट डाले और जो कानून इसलिए बनाया गया है सदन की राय से कि टैक्स लगे वह टैक्स वसूल न किया जाय और इस तरह से सदन के जो कुछ भी अधिकार हैं उनके खिलाफ एक बात की जाय और उसके लिये यह सदन अनुमति दे, यह सर्वथा अनुचित मालूम होता है।

इसलिये मुझे मजबूरन नारायण दत्त जी ने जो सुझाव दिया है उसका विरोध करना पड़ता है क्योंकि यह सदन के स्वत्व, सदन के प्रिविलेज और जो सदन के वास्तविक अधिकार हैं उनके एक तो विरुद्ध बात जाती है और दूसरे सदन के कामों को जो रोकने वाले मेम्बर हैं उनको रोकना है। जो लोग न देना चाहें उनको तो पूरा अधिकार है कि वह न दें लेकिन जो लोग देना चाहते हों उनको क्यों भड़काया जाय। इसलिये इसको रोकना आवश्यक है ताकि इस सदन की मर्यादा बनी रहे।

श्री अध्यक्ष--आप अनुमति देने के विरुद्ध हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय नारायण दत्त जी ने जो प्रस्ताव रक्खा उसका एक प्रकार से विरोध हुआ । लेकिन जब आपने अनुमति दी और प्रस्ताव आया तो उस पर बहस होनी चाहिए । अब मैं जानना चाहता हूं कि किस स्टेज पर मामला है ।

श्री अध्यक्ष—आपने जिस स्टेज पर निलंबित करनेके लिये मोशन दिया उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा था कि हम इसकी अनुमति देने के विरुद्ध हैं इसलिये यह आवश्यक हुआ कि उस विषय में उनसे भी पूछलें कि उनकी क्या राय है । क्योंकि अगर सर्वसम्मति से अनुमति का संकल्प स्वीकृत हो जाता तो कोई सवाल ही नियम के निलंबित करने का नहीं उठता ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि नियम ७१ (३) निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई । इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई —)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि विभाजन का रेजल्ट आप एनाउन्स करें मैं कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि उसका इसी से सम्बन्ध है । अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त तिवारी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि नियम ७१ (३) निलम्बित कर दिया जाय और आपने कृपा कर उसको निलंबित भी करार दे दिया । एक प्रस्ताव हुआ और उसका विरोध माननीय मुख्य मंत्री ने किया । जब कोई भी प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित हो और उधर से विरोध हो तो वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है और मैंने इसलिये ही कहा था कि अब चूंकि यह सदन में प्रस्ताव पेश हो चुका है इसलिये इसपर वादविवाद होना चाहिये और हम लोग इसकी अर्जेन्सी पर विचार करें और तब यह प्रश्न उपस्थित होना चाहिये । मैंने ठीक समय पर आपसे निवेदन किया था और मैं समझता हूं नियमानुकूल आप यह कार्यवाही रोक दीजिये और चूंकि आप ने प्रस्ताव की आज्ञा दे दी है और इस पर पक्ष और विपक्ष की बात हो जाय तब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—अब इस विभाजन की मांग की स्टेज पर तो मैं यह आक्षेप विचार में नहीं ले सकता हूं । बात यह है कि मैंने यह विचार किया था कि निलम्बित करने के सम्बन्ध में ३६ सदस्य किसी पक्ष में हों या न हों, यह कोई इतने महत्व का विषय नहीं मालूम होता है जिसके ऊपर कोई विवाद का सवाल पैदा होता । यह सब लोग जानते हैं, और आपका अन्दाजा उन्हें भी स्वीकार है कि आपकी पार्टी के पास ३६ आदमी नहीं हैं । तो सदन अगर अनुमति देता है कि नियम निलम्बित किया जाय तब आपके प्रस्ताव पर विवाद होना सम्भव हो सकता है । इसलिए अब मैं इतना कर सकता हूं कि अगर यह संकल्प नाकामयाब रहा तो अनुमति देने न देने के प्रस्ताव पर एक सज्जन के लिये इस तरफ से अनुमति दिए जाने के पक्ष में बोलने का मौक़ा मैं दे दूंगा और एक सज्जन दूसरी ओर से बोल सकेंगे चूंकि मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर जिसमें कि एक मत नहीं है और बहुमत कुछ खिलाफ़ सा पड़ रहा है उसके लिये सदन का इतना समय खराब किया जाय । इतना मौक़ा मैं दे दूंगा कि आप संक्षेप में कुछ कह सकेंगे । ऐसी परिस्थिति में मैंने यही तरीक़ा उचित समझा ।

प्रश्न यह है कि नियम ७१ (३) निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो आप ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह इतने महत्व का नहीं है इससे मैं डिफर करता हूं । लेकिन जब सदन में प्रस्ताव पास हो गया वादविवाद के लिये प्रश्न उपस्थित किया जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष को अधिकार नहीं है कि एक प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के

बाद यह करें। मेरी निश्चय राय है कि जब तक क्लोज़र मूव न हो जाय उस समय तक आप यह नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप घोषणा से पहले पुनः इस पर विचार कर लें क्योंकि यह हमारे अधिकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि सरकार का कर्तव्य है और सरकार को यह करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने पहले भी एतराज किया था उस समय मैंने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में अभी विभाजन की मांग के वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। इस पर वह बैठ गये थे तो मैंने उसके बाद यह वोट लेने का कार्य प्रारम्भ किया। फिर उनके दिल में यह आया कि यह हो नहीं सकता था। और वाद-विवाद थोड़ा सा होना चाहिए था। उनकी भावना जान कर मैं कहता हूं कि लीव जो सदन से मांगी जाती है तो सदन कोई आंख बंद करके अनुमति नहीं देता है। कुछ कारण सदन में बतलाये जाते हैं तब इजाजत मिलती है। बिल्कुल तर्क के हिसाब से यह स्पष्ट है कि लीव मांगने के विवाद में मैरिट्स पर विचार भी अंशतः आ जाता है। यह बात ठीक है कि मैं इसकी इजाजत दे सकता था कि इस प्रश्न पर ही वाद-विवाद चले कि निलम्बित किया जाय या नहीं। लेकिन सदन का समय बचाने के लिये मैंने कहा कि मैं इस की इजाजत नहीं देता हूं, जिस पर रामनारायण जी बैठ गये तो उन्होंने मेरे तर्क को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद कानून में उन्हें थोड़ी सी अड़चन दिखायी दी इसलिये फिर से आक्षेप उठाया है जिसका अब समय नहीं है। मैं वोट ले चुका हूं, इस समय कोई ऐतराज नहीं उठ सकता है और न यह कि मैं पीछे चला जाऊं और निलम्बन के संकल्प पर विवाद शुरू कर दूं। इस समय तो यही होगा कि मैं अनुमति देने के संकल्प पर वोट ले लूं। मैं यह भी कर सकता हूं, चूंकि अनुमति देने का विरोध हो चुका है, कि सदस्यों से कहूं कि जो लोग अनुमति देने के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े होकर कह दें कि कौन अनुमति के देने के पक्ष में है। इंगलैन्ड की पार्लियामेंट के सिलसिले में यह नियम स्पष्ट हैं, जैसे ही, कि अनुमति को विरोध हुआ वैसे ही बिदआउट कोई डिस्कशन, बगैर डिस्कशन हुए उस पर राय ले ली जाती है। लेकिन हमारे नियम में कोई ऐसे शब्द नहीं आये हैं अनुमति मांगने के लिये कि बिला विवाद अनुमति ली जाय। इसलिये २२३ नियम के अनुसार मैंने यह उचित समझा कि आपको मौका दे दूं कि आप में से एक सदस्य बोल लें, संकल्प के विषय पर और दूसरी तरफ से भी एक बोल लें। नियंत्रित समय में सब भाषण हो जांय और यह न हो जाय कि जिस कामरोको प्रस्ताव के उपस्थित करने की सदन की अनुमति नहीं हो वह अनुमति इस तरीके से सदन को एक तरह से आगाह न करते हुए सदस्यों को मिल जाय और दो घंटे विवाद हो जाय और जो दो घंटे का समय अनुमति मिलने पर शाम को चार बजे मिल सकता है वह अभी ले लिया जाय। इस प्रकार तो एडजर्नमेंट मोशन के लिये सदन की अनुमति मिलने पर भी जो अधिकार सदस्यों को मिलेगा उससे भी अधिक अधिकार मुझसे इस प्रकार कुछ सदस्य ले लें तो वह सदन के प्रति मेरी तरफ से विश्वासघात होगा और इस तरह की अनुमति मैं नहीं दे सकता हूं कि जिसमें सदन इस मत का न होते हुए भी आज ही, इसी समय इस तरह का विवाद मैं दो घंटे के लिये सदन के ऊपर थोप दूं। इसलिये मैंने यह तरीका रखा। मैं समझता हूं यह तरीका दोनों पक्षों के लिये ही रहा है।

विभाजन का फल इस प्रकार है। हां की संख्या २२ और नहीं की संख्या १९८, इसलिये यह प्रस्ताव गिर गया।

अब आप में से जो सदस्य अनुमति के सिलसिले में कि क्यों देनी चाहिये, कुछ कहना चाहते हों तो १५ मिनट इसके ऊपर भाषण दे सकते हैं।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में कि इस कामरोको प्रस्ताव की क्यों अनुमति दी जाय और उसमें हमारी जो कठिनाइयां हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

और उस सम्बन्ध में माननीय नारायणदत्त जी ने जो प्रस्ताव आपके सामने उपस्थित किया था उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। यह तो निर्विवाद है कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट की घोषणा करके लागू करने की एक विशेष परिस्थिति सारे प्रदेश में पैदा कर दी गयी और जैसा कि माननीय गृहमंत्री जी ने या मुख्य मंत्री जी ने संकेत किया और स्पष्ट कहा भी उससे भी यह मालूम होता है कि उन्हें एक बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है अपने टैक्सेज़ की वसूली में ला ऐंड आर्डर का, और फिर इसीलिये उन्होंने उस कानन का प्रयोग किया जिसको कि अंग्रेजों ने इस मुल्क की जो एक लोकप्रिय संस्था थी, इस मुल्क की राष्ट्रीय संस्था थी उसके लेजिटिमेट आन्दोलन को कुचलने के लिये ईजाद किया था और बनाया था और आज सरकार उसको फिर चलाने जा रही है और उसके द्वारा इस प्रदेश की भलाई करने का दावा कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस सदन ने कोई कानून बनाया है और उसके अनुसार हम इस प्रदेश के लोगों से टैक्स मांग रहे हैं, जिसमें एक विशेष परिस्थिति सिंचाई के कर की है। माननीय मुख्य मंत्री के संकेत और माननीय गृहमंत्री की स्पष्टोक्ति थी कि सिंचाई के कर का विरोध प्रजा समाजवादी दल प्रदेश भर में करने जा रहा है और उसको दबाने के लिये, उस आन्दोलन को कुचलने के लिये उन्हें एक विशेष पावर चाहिये। तो मैं इस बात को तो कबूल करता हूं कि माननीय गृहमंत्री जी की स्पष्टोक्ति सही है। यह सत्य है कि इस प्रकार का टैक्स जो सिंचाई का किसानों के ऊपर लगा हुआ है वह बहुत बेहूदा टैक्स है और हम समझते हैं कि वह टैक्स.....

श्री अध्यक्ष--- मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अनुमति के सिलसिले में कहते हुये टैक्स के विषय के ऊपर नहीं कह सकते। आप अनुमति देने के बारे में ही भाषण दें।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं तो वही बात कह रहा हूं कानून के सिलसिले में जो कानून इस सदन का पास किया हुआ है उस कानून के तोड़ने के लिये अगर हजारों आदमी इस मुल्क में तैयार हो रहे हैं, हजारों किसानों को जेलखाने भेजने की जरूरत उनको महसूस हो रही है और फिर इस सदन को इसकी जानकारी न हो तो हम तो समझते हैं कि यह उचित नहीं है और माननीय सदन को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिये। माननीय राम नारायण जी का जो प्रस्ताव है उसको लेकर अगर दो घंटे का विवाद हो सदन के सामने तो फिर माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय सिंचाई मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री को और हम लोगों को भी या और माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों को भी उस पर अपना विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा और फिर अगर मान लिया जाय थोड़ी देर के लिये कि प्रजा समाजवादी दल इस असन्तोष को फैलाना चाहता है तो हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की युक्तियों को सुनने के बाद जो कुछ वह इसके बारे में कहेंगे उसको सुनने के बाद हम भी अपने को समझाने की कोशिश करें और फिर उसको समझें या न समझें लेकिन कम से कम सारा प्रदेश इस बात को समझ सकेगा कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट लागू करने की आवश्यकता क्यों हुई, उसके औचित्य को तो सारा प्रदेश समझें इसके लिये भी इस बात की आवश्यकता है, यह सदन इस बात के लिये अनुमति प्रदान करे। माननीय रामनारायण जी के प्रस्ताव पर विवाद करने से यह सम्भव हो सकता है कि और यदि माननीय रामनारायण जी के प्रस्ताव पर अनुमति सदन नहीं देता है तो फिर लोगों में भ्रम फैलेगा और वह यह समझेंगे कि माननीय सदन ने सरकार के दबाव में आकर या सरकार के पक्ष में रहने की वजह से ऐसा किया। लेकिन सरकार के इस क़दम को जो सिंचाई कर लगा कर उसने उठाया है, वह औचित्य सरकार सिद्ध नहीं कर सकती। इसलिये अध्यक्ष महोदय, उसने स्पेशल पावर्स ऐक्ट जैसे काले कानून को लागू करने की जरूरत सरकार को पड़ी। इस सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य जिसे वह कहती है उस राज्य में भी अंग्रेजी राज्य के बनाये हुये काले कानून को इस्तेमाल करने की जरूरत जो उसे पड़ रही है यह भी एक संकेत करता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है सारे प्रदेश भर में जिसकी वजह से ३६ या ३७ जिलों में इस स्पेशल पावर्स ऐक्ट को लागू करने की जरूरत पड़ी है।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप बहस कर रहे हैं और अनुमति न देने के पक्ष में कर रहे हैं। अनुमति देने के लिये ही आप तर्क उपस्थित न करें।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि अगर इस कानून को लागू करने से हजारों आदमियों को कानून तोड़ने की जरूरत पड़ गई.....

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय, एक प्वाइंट आफ आर्डर है। एक प्रस्ताव जब काम रोको का सदन की मर्जी से अस्वीकृत हो चुका तो दुबारा बिना प्रस्ताव लाये हुए यह भाषण कैसे दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--आप भ्रम में हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा--काम रोको प्रस्ताव तो गिर चुका है ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और उसी बात पर सोचता हूं माननीय सदन को और सरकार को भी विचार करना चाहिये कि सरकार को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि ३७ जिलों में स्पेशल पावर्स ऐक्ट को लागू करें और हमको सरकार ने यह नहीं बताया कि क्यों उसको आवश्यकता पड़ी। अगर सदन के सदस्यों को भी यह जानने का अवसर मिलता तो उससे सरकार को लाभ ही होता। कोई नुक्सान सरकार को न होता। जो सरकार का यह शुबहा है और वह प्रजा समाजवादी पार्टी पर यह दोष लगाने की कोशिश करती है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कोई बड़े पैमाने पर कानून को तोड़ना चाहती है तो हम कोई कानून तोड़ने के शौकीन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कानून को न तोड़ें, हम सदन की मर्यादा को क़ायम रखें, इस असेम्बली की मर्यादा को कायम रखें। कानून की मर्यादा तभी हो सकती है जब हम उस कानून को मानने के लिये तैयार हों और यह तभी हो सकता है जब हमको उस कानून के औचित्य को मनवाया जाय। यह हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह कहें कि कुछ थोड़े से लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस कानून की मर्यादा को न मानना चाहते हों तो उसके लिये क्या करें। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी इससे छिन नहीं जाती है कि थोड़े से लोगों के लिये सारे देश को उसका औचित्य न बतलाएं। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर सदन अनुमति दे तो यह भ्रम दूर हो सकता है और उससे आगे आने वाले जो खतरे हैं वह बहुत अंश तक दूर हो जायंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और माननीय सदन स्वीकृति देगा कि इस प्रश्न पर विचार होना चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है हम हमेशा इस बात में सहयोग देना चाहते हैं कि जिस विषय में भी वादविवाद हो सके वह किया जाय। पर जब कोई सुझाव किसी विवाद के लिये नहीं बल्कि एक आन्दोलन का अंग बन कर आता है . . . . . .

श्री रामनारायण त्रिपाठी--गलतबयानी है। वापस लीजिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अगर गलतबयानी है तो मैं मान लूं कि आन्दोलन होने वाला नहीं है। यह सही है तो बहुत अच्छा है। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है कि आन्दोलन हो। मैं समझता हूं कि यह सही चीज है जो कि राम नारायण जी ने कही है। अगर गलतफहमी है तो वह दूर हो जायगी।

विरोधी दल की ओर से आवाजें--इसको वापस लीजिये, इस कानून को वापस लीजिये।

श्री अध्यक्ष--सावधान ! सावधान !! इसके बाद अगर इस तरह से शोर होगा तो मैं नाम ले दूंगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी बात कहूं कि किसी को यह बुरी लगे। जो बातें यहां होती हैं वह तो इस तरह होनी चाहिये जो कि हम लोग एक दूसरे को समझ सकें। उसमें कोई नाराज भी हो तो मैं तो उसे राजी करना चाहता हूं। जो नाखुश हो उसे मैं खुश करना चाहता हूं। मैं हर्गिज यह नहीं चाहता कि कोई किसी तरह से नाराज हो और मुझे कोई नाराज कराये और मैं नाराज हो जाऊं तो मैं अपनी कमजोरी समझूंगा और वह होगा नहीं। चाहे कुछ भी कहा जाय मैं अपने संयम को कायम रखूंगा क्योंकि उधर जो बैठते हैं वह तो मेरे ही भाई हैं।

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है वह तो सीधी सी बात है। वह यह है कि अगर कोई आन्दोलन होने वाला नहीं है तो इस कानून के लागू करने से कोई असर नहीं। एक बेकार सी चीज रहती है।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—कानून लगा कर आन्दोलन करवाना चाहते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अगर कोई आन्दोलन होने वाला है तो उसके लिये सवाल यह आता है कि जो बजट इस सदन की तरफ से पास हुआ, जिन रुपयों को खर्च करने के लिये इस सदन ने दिया है, जिसके आधार पर आय-व्यय का लेखा.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह भी गलतबयानी है। बजट सदन ने नहीं, कांग्रेस के बहुमत ने मंजूर किया था।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं तो आप की किसी बात की मुखालिफत बिना जरूरत नहीं करना चाहता। आप जो भी चाहें कहें। एक बजट पास हुआ। उसके मुताबिक आय-व्यय का लेखा बना। और उसके मुताबिक काम होना है। अगर आज कोई इस तरह कार्यवाही करे जिससे सदन का जो फैसला हुआ वह उलट जाय और वह बात न हो सके तो वह सदन की अवहेलना है या नहीं?

श्री राम नारायण त्रिपाठी—यह नियम विधान सभा के सामने आये भी नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठ जायं, जिस समय कि वह बैठे नहीं हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं देखता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—(श्री रामनारायण त्रिपाठी के खड़े रह कर बोलते रहने पर) माननीय राम नारायण त्रिपाठी, आप कृपा कर के बैठ जायं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं किस तरह से बैठूं जब कि माननीय मुख्य मंत्री, माननीय गृह मंत्री इस क़िस्म के व्यवहार करें। जब इस किस्म का व्यवहार डेमोक्रेसी के साथ किया जाता है.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठ जायं।

(श्री राम नारायण त्रिपाठी के खड़े रहने पर सरकारी बेंचेज की तरफ से शेम शेम के नारे)

श्री अध्यक्ष—(श्री राम नारायण त्रिपाठी से उनके न बैठने पर और कुछ कहते ही रहने पर) अब मैं आप को आज्ञा देता हूं कि आप सदन को छोड़ कर चले जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं सदन को छोड़ कर चला जाऊंगा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री आज जनता के विरुद्ध कानून कैसे पास करते हैं.....

(इसके पश्चात् श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अन्य सदस्य काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, के नारे लगाते हुये सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अब तो मेरे भाई यहां पर हैं नहीं, लिहाजा उन्होंने जो कुछ कहा, कहां तक ठीक था या गलत था वह मैं अब कहना नहीं चाहता। मुझे खेद है कि वे चले गये। जिस तौर पर ऐसे मामलों पर वादविवाद होना चाहिये, इस प्रकार का व्यवहार दिखलाता है कि वह टेंपर नहीं है। जहां तक मुझे कहना है वह यह है कि दरअसल एक नियम बनाया गया। उसमें यह रक्खा गया कि कम से कम ३६ आदमियों को उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिये तब उस पर वाद विवाद हो सकता है। उसको सस्पेंड करना ऐसी स्थिति में कहां तक उचित हो सकता है। रूल में चाहे इन्हीं अल्फाज में न लिखा गया हो, लेकिन उस वक्त लोगों का इस सम्बन्ध में यह खयाल नहीं था, जो बात आज कही जाती है कि अंग्रेजी का बनाया हुआ कानून है। सभी कानून अंग्रेजों के बनाये हुये हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है। एक वर्ष से यह आबपाशी लगी हुई है। किसी ने कोई प्रस्ताव तक पेश नहीं किया और न कोई बहस-मुबाहिसा ही हुआ कि जो आबपाशी लगाई गई है वह न लगाई जाय। कोई नान-आफिशियल बिल भी नान-आफिशियल डे पर पेश नहीं किया गया कि आबपाशी इस तौर पर न लगाई जाय। सारे प्रान्त भर में यह आबपाशी वसूल की गई। मैं समझता हूं कि क़रीब क़रीब ९९.९ परसेंट वसूल हुई बगैर कोई प्रोसेस इश्यू किये हुए, लोगों की रजामन्दी से। अगर प्रोसेस कोई हुआ हो तो लाख या हजार में एक हुआ होगा अब उस पर कहा जाता है कि यह जबरदस्ती है। लोगों पर ज्यादती की जाती है। अभी मिर्जापुर में सत्याग्रह किया गया जहां ९५, ९६ फीसदी रुपया वसूल हो गया, इसके क्या मानी हैं सिवा इसके कि झगड़ा बढ़ाया जाय। अगर इस तरह की बातें की जायं तो कानून का फिर क्या होगा। यह नहीं कि काश्तकार देना न चाहते हों, वे देना चाहते हों लेकिन उसमें अड़ंगा लगाया जाय, वहां जा कर कहा जाय कि मत दो, जो देना न चाहता हो उसको तो सह मिलती ही है लेकिन जो देने वाला हो उसको भी जबरदस्ती रोका जाय, इस तरह की बातें की जायं तो मजबूरन ऐसा कानून लगाना पड़ा। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि यह कानून लगा रहे। कल को पी० एस० पी० अगर अपना एजीटेशन वापस ले ले और लोगों को पैसा देने से रोके नहीं तो इस कानून को वापस लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कई विषमतायें हैं। १६ जिलों में यह लागू है। वहां कुछ नहीं कहा गया कि बड़ी जबरदस्ती है। लोग ले जाये जाते हैं जेल में और जब दिक्कतें होती हैं तो वापस आना चाहते हैं। हम आज स्वतंत्र देश के रहने वाले हैं। हमारा एक समाज है। गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स तो आयेगा ही। हमने लाखों एकड़ जमीन में आबपाशी कराई। हजारों मील नहरें, नई गूलें और डेम्स बनवाये। उस आबपाशी की जमीन में पैदावार पहले से दूनी हुई। जहां आबपाशी इस वक्त नहीं है वहां लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन में भी आबपाशी हो सके, अगर एक एकड़ है तो ५ एकड़ हो सके ताकि उसकी पैदावार आज के मुकाबले में ज्यादा बढ़ सके। इसलिये सब लोगों को मदद देने की जरूरत है, ताकि हमारा देश डेवलप हो और उसमें जो कोई कमी हो व्यक्तिगत या सामूहिक वह दूर हो। इसलिये ऐसे समय में बकि एक तरफ तो डेवलपमेंट की बात करें और जो हमारी स्कीम्स हैं उनसे यह कहा जाय कि इनसे इतना इम्प्लायमेंट बढ़ेगा और दूसरी तरफ यह बात हो कि इस तरह की चीजें बन्द की जायं तो यह कैसे चल सकता है। इसलिये मुझे मजबूरन इस बात को करना पड़ा कि इसका विरोध किया जाय और इसकी अनुमति न दी जाय नहीं तो हम कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई बात बाहर रखें परन्तु जिसके लिये आज तक कोई बिल न आया हो और आज उसके लिये कहा जाय, जैसा कि अखबारों से मालूम होता है कि आन्दोलन शुरू होगा कि यह चीज न की जाय, वापस ली जाय तो यह कैसे हो सकता है। मुझे अफसोस है कि मेरे भाई यहां से बाहर चले गये।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--श्रीमन्, मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके ऊपर राय ले लूं तब आप पेश कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि इस काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री व्रजभूषण मिश्र—श्रीमन्, अभी श्री रामनारायण जी ने जो यहां से चले गये हैं अपने वक्तव्य में यह कहा कि जो बजट यहां से पास हुआ है वह कांग्रेस के बहुमत से पास हुआ है और वह सदन ने पास नहीं किया है। मेरे मत के अनुसार यह सदन का अपमान है। इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी तो वह यहां पर मौजूद नहीं हैं। आप इसको प्रस्ताव के रूप में लिख कर मेरे पास भेज दें कि किस प्रकार से विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। उसका नियम यह है कि वह लिखित होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जिस सदस्य के खिलाफ वह हो उस सदस्य को भी उसको लिखित सूचना देना पड़ता है। इस प्रकार से यदि आप करें तो फिर मैं उस पर विचार कर सकता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मेरा यह प्रश्न नोट हो जाय, मैं लिख कर आप के पास भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो यहां पर लिखा ही जा रहा है।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३७५४ टी० पी०/३०-१२३९-टी०, दिनांक २१ जुलाई सन् १९५४ ई० को जिससे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल की तरफ से जो उनके सामने खंड २६ के बारे में अनुमति मांगी गयी थी कि वह पेश हो सकता है या नहीं और जिसके ऊपर श्री अब्दुल मुईज खां ने एतराज किया था तो उसके बारे में उन्होंने यह लिखा है कि :

"In pursuance of Article 207(1) of the Constitution of India, I, K. M. Munshi, Governor of Uttar Pradesh, recommend that the enclosed amendments of Sarvasri Ram Narain Tripathi, M.L.A., and Genda Singh, M.L.A., in clause 26 of the U. P. Panchayat Raj (Amendment) Bill, 1954, as amended by the Joint Select Committee of both the Houses of the U. P. Legislature be moved in the U. P. Legislative Assembly."

इस तरह से उन्होंने विचार के लिये अनुमति दे दी है और वह यहां पर पेश हो सकता है और उनके ऊपर विचार हो सकता है। इसी प्रकार से श्री विष्णुदयाल वर्मा का जो संशोधन था उसके बारे में उसको पेश करने की अनुमति उन्होंने दे दी है। यह भी एतराज किया गया था कि खंड ३० पर सदन विचार नहीं कर सकता है। इसके विषय में इसे मूव करने और इस पर विचार करने की अनुमति आ चुकी है।

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

माननीय स्वशासन मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि खंड २६ को अभी छोड़ दिया जाय ? उसे श्री रामनारायण जी और श्री गेंदा सिंह जी ने पेश किया था। क्या आप चाहते हैं कि यह अन्दाज़ लगाया जाय कि वे लौट कर आते हैं या नहीं ? या इसके ऊपर अभी विचार किया जाय ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, वैधानिक आपत्ति तो दूर हो गयी आप अब यह मान लीजिये कि वे पेश कर सकते हैं। अगर वह मूव करना चाहें तो कर लें, न चाहें तो सदन आगे चले।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--श्रीमन्, मैंने जो वैधानिक आपत्ति उठाई थी उस पर सदन की यह अनुमति थी कि १४ मई तक उसको मौक़ा दे दिया जाय रिकमैंडेशन प्राप्त करने के लिये। आप देखेंगे कि आज के कार्य में भी यही लिखा हुआ है १४ मई तक उनको अनुमति लेनी चाहिये। लेकिन खंड ३० के विषय में १५ मई तक अनुमति का समय दिया गया था जो आज है। तो खंड ३० के बारे में वह रिकमेंडेशन विदिन टाइम है लेकिन खंड २६ के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपत्ति उठाई थी, वह १४ तारीख तो खत्म हो गई और अब इसका कंसीडरेशन यहां नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--यह बहुत टैक्निकल सी बात है और मैं भी अपने विशेष अधिकार से अनुमति दे सकता हूं। इस समय कोई भी संशोधन पेश हो सकता है। जब राज्यपाल जी ने अनुमति भेजी, और बहुत दूर से भेजी, तो परिस्थिति को देखते हुये मैं उचित नहीं समझता हूं कि मैं इस टैक्निकल आब्जैक्शन की वजह से अनुमति न दूं। वह पेश हो सकता है।

माननीय स्वशासन मंत्री, क्या आप चाहेंगे कि २६ खंड को ले लिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम--अगर आप चाहें तो जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलते रहें और छोड़े हुये क्लाज़ों को फिर से ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

*खण्ड ३८ (क्रमागत)

†श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का आशय यह था कि प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार होना चाहिये कि जो पंच कोई काम ठीक से न कर सके और उसके खिलाफ कुछ ऐसे कारण हों तो उनको निकाल दिया जाय। साथ ही साथ मैंने जो यह नया उपखंड जोड़ा है उसका अर्थ यह है कि गांव सभायें भी यदि ऐसा देखें कि कोई न्याय पंच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उस पर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर के उसे रिमूव कर सके। मैं यह चाहता हूं कि जब न्याय पंचों का चुनाव प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा होना है तो इस धारा...

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, शोर बहुत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपा कर के आपस में बातें न करें और यदि करें तो बहुत धीरे से करें ताकि औरों को डिसटर्बेंस न हो।

श्री तेज प्रताप सिंह--पंचायत राज ऐक्ट समिति की रिपोर्ट को पढ़ने से हमें यह मालूम होता है कि न्याय पंचायतों का चुनाव किस प्रकार से हो। मैं आपकी आज्ञा से इसको पढ़ देना चाहता हूं --

"At the end of this prolonged discussion the Members of the Committee unanimously felt that they cold not recommned any other system

*१३ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

would work better than the election of members of the Nyaya panchayat by the Gaon Sabha directly."

उसमें यूनानिमसली यह सिफारिश की गयी थी कि गांव सभाओं को यह अधिकार होना चाहिये कि वे उनका चुनाव खुद कर सकें, लेकिन पता नहीं कि माननीय मंत्री जी को कौन सा ऐसा कारण दिखा जिसके कारण प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा उनका नामिनेशन कराना चाहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि जो पंचायतें मूल अधिनियम के द्वारा बनी थीं वे पापुलर ट्रिब्युनल्स कही जा सकती हैं और उनका टाइम भी बहुत अच्छा रहा। इसी रिपोर्ट में एक जगह यह कहा गया है--

"Inspite of the short comings, lack of experience and training and regardless of the stare and blinking of millions of suspicious eyes the Adalati Panchayats have established a unique record by disposing of over 9 lakhs of cases of which only in two per cent. revisions were allowed."

हमारी न्याय पंचायतों का इतिहास गौरवमय है। उनमें कोई खामी नहीं दीख पड़ती कि जिसका निराकरण इस विधेयक के द्वारा किया गया है। मैं इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद यह नहीं समझ सका कि आखिर इस पुनर्गठन की क्यों जरूरत हुई, लेकिन वह चीज तो बीत चुकी है और उनका पुनर्गठन नये संशोधन विधेयक द्वारा हो चुका, लेकिन मैं यह चाहता था कि गांव सभाओं के उत्साह को किसी प्रकार रोका न जाय और इसलिये मैं यह चाहता हूं कि उनको ऐसा अधिकार मिलना चाहिये कि वे अपने न्यायपंचों को जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा चुने जायं उनको वे निकाल भी सकें। मैंने अपने उपखंड में यह बताया है कि उनको दो तिहाई मैजोरिटी से निकाला जायगा। मेरा ख्याल है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह जरिया उनके उत्साह के लिये रक्खा गया है, इससे उनका उत्साह बाक़ी रहेगा कि वे उनको अविश्वसनीय होने पर निकाल सकेंगे। मैं इस विशेष कारण से चाहता हूं कि उनके उत्साह को बढ़ाने के लिये माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

दूसरा कारण इस सिलसिले में यह दिया गया है और माननीय मंत्री जी तथा और भी अन्य माननीय सदस्यों ने इस बात को प्रकट किया है कि वहां पार्टीबन्दी बढ़ेगी और यह कि जुडीशियरी में पार्टीबन्दी नहीं होनी चाहिये। पंच इलेक्टेड नहीं होने चाहिये। अब भी गांव पंचायतों में जो कि गांव सभाओं द्वारा चुनी जायंगी पार्टीबन्दी तो होगी ही। पार्टीबन्दी प्रजातंत्र युग में हटाई नहीं जा सकती इसलिये यह दलील मेरी समझ में नहीं आती।

पिछले मूल अधिनियम के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का जो गठन हुआ था, जिसका अनुभव गांव सभायें ले चुकी हैं, उसके आनंद को वह उठा चुकी हैं उसके मातहत जो उन्होंने स्वतंत्रता महसूस की है इसके द्वारा उसको कुंठित किया जा रहा है। जब एक आदमी एक तरीके पर चलना सीखता है, इसके बाद अगर हम उसे कुंठित करते हैं, रोकते हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं समझता हूं कि यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि उनमें एक बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी और वह आप रोक नहीं सकेंगे, वह रोकना असंभव सा है। पता नहीं क्यों, माननीय मंत्री जी को गांव सभाओं पर अविश्वास सा है और उसे उन्होंने लात मारने वाला एक ऐसा जबरदस्त घोड़ा समझ लिया है जिससे भय उत्पन्न हो और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा उसे चारों तरफ से बांध रखें, जकड़ रखें जिससे कि वह बेचारा चल फिर नहीं सके। मैं समझता हूं कि एक तो मूल रूप में यह धारणा ही ग़लत है। मैं समझता हूं कि वे इतने दुर्बल हैं और उनमें इतना उत्साह नहीं है कि वे किसी के ऊपर लात फटकार सकें या किसी तरह की विश्रृंखलता समाज में पैदा करें। फिर जब वे कमजोर हैं तो चारों तरफ से उनको बन्धन में कसना न्याय-संगत नहीं हो सकता। वे और दुर्बल होते जाते हैं।

अपनी पंचवर्षीय योजना के द्वारा आप हमेशा चाहते हैं कि उनको सफलता मिले और सफलता तभी मिल सकती है जब कि ग्रामीण भाई उसमें सहयोग दें। लेकिन वे कैसे सहयोग दे सकते हैं जब कि आप उनके उत्साह और उनके अधिकारों को काटते जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार वे आपको अपना सहयोग नहीं दे सकते हैं, इसलिये उनको वह अधिकार मिलना ही चाहिये। फिर जब आप उनको बन्धन में रखते हैं तो पिछले अनुभव के अनुसार वे उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे और जरूर तोड़ना चाहेंगे। जब एक आदमी अधिकार पाता है, तो अपने व्यवहार क्षेत्र में उसे अमल में लाता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होना सम्भावित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अपने हित के लिये, गांव सभाओं को देश के लिये राष्ट्रीय योजनाओं को सफल बनाने का मौक़ा है। कम से कम यह प्रतिबन्ध जो मैंने अपने संशोधन के जरिये रखा है उसको मान कर अगर शिकायत ऐसी हो कि पंचों पर अविश्वास है तो गांव सभा उनको निकाल सके, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन दलीलों के बाद इसको जरूर स्वीकार कर लेंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, नोकांफिडेंस पास कर के किसी को निकालने का अधिकार उस संस्था का होता है जिसकी कि कार्यकारिणी हो। गांव सभा की कार्यकारिणी है गांव पंचायत और उसके पदाधिकारी हैं सभापति, और उपसभापति। तो गांव सभा को यह अधिकार हो सकता है और होना चाहिये कि वह सभापति, उपसभापति और गांव पंच को हटा सके और वह अविश्वास का प्रस्ताव पास करे, लेकिन यहां तो एक बड़ी दिक्क़त यह है कि न्याय पंचायत और गांव सभाओं में उस तरह का कोई आर्गेनाइजेशनल सम्बन्ध नहीं है, सिवा इसके कि गांव सभा उसको एलेक्ट करने के लिये है, एक एलेक्टो ल कालेज है, लेकिन गांव सभा न्याय पंचायत के ऊपर कोई बड़ी बा ी नहीं है। जब गांव सभा द्वारा न्याय पंचायतें बन गयीं और न्याय पंच एलेक्ट हो गये या सेलेक्ट हो गये और जब एक बार वे बन गये तो फिर गांव सभा से उसका उस तरह का कोई संबंध नहीं है। इसलिये उसे अधिकार नहीं है अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का। अविश्वास का प्रस्ताव उस संस्था पर पास नहीं किया जा सकता है जिस संस्था के कार्यक्रम में जांच करने का और उसका भला बुरा देखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें एक दिक्क़त यह भी है कि यहां लफ्ज है "बाई ए मेजारिटी आफ टू थर्ड्स आफ दि मेम्बर्स प्रेजेंट ऐण्ड वोटिंग आफ दि न्याय पंचायत फ्राम दि सेम गांव सभा।" एक आदमी जो गांव सभा से तो आया है, लेकिन गांव सभा ने एलेक्ट नहीं किया। गांव सभा से एलेक्शन हुआ, उसके बाद सेलेक्शन हुआ और अब उसकी कंस्टीटुएंसी गांव सभा के बजाय उसका सारा क्षेत्र है और इसलिये उस आदमी को वहां पहुंचाने में दो बातों ने काम किया। उसका एलेक्शन किया, उसके बाद उसका सलेक्शन किया। इसलिये गांव सभा को यह अधिकार देने से ख़तरा होगा और वह यह होगा कि अगर न्याय पंचायत ने किसी बड़े चौधरी साहब को सजा दे दी और अगर वह चौधरी साहब बिगड़ गये वह वापस ले लेंगे और अविश्वास का प्रस्ताव आ जायगा। ऐसी हालत में जब कि गांव सभाओं की तलवार इन न्याय पंचायतों पर लटकती रहेगी कि न मालूम कब दो-तिहाई मेजारिटी से निकाल दी जायं तो काम नहीं चल सकता और इस तरह से न्याय पंचायतों में कमजोरी आ जायगी। बहुत सी दलीलें दी जाती हैं कि अविश्वास की बात है। हमारा अविश्वास बिलकुल नहीं है और लात मारने वाला घोड़ा है। एक शब्द मैं भी कहूंगा कि यह कैसे हो सकता है कि सभी ऐसी हैं जो ८,४०० हैं और एक भी ऐसी नहीं है जो दुलत्ती झाड़ती हो। यह अधिकार उन घोड़ों के लिये ही होगा जो दुलत्ती झाड़ते हों। उनके लिए नहीं होगा जो दुलत्ती नहीं झाड़ते हैं। यह बन्धन उन्हीं के लिये होगा जो ख़राब हैं और उन्हीं की रोकथाम के लिये यह है और रिमूव करने के लिये आगे सेक्शन ९५ में रखा गया है।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, श्री तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने मंत्री जी की दलीलें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

सुनीं और उनकी दलीलें सुन कर मुझे संतोष हो जाता तो शायद मैं खड़ा न होता, लेकिन दलीलें मैं समझता हूं कि बजाय पंचायत राज के और डेमोक्रेसी के अनुकूल होने के प्रतिकूल हैं इसलिये मैं संशोधन पर माननीय मंत्री जी से फिर यह जोर देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय अगर हम वास्तव में इस दफा ४८ को पढ़ें तो उससे यह साफ हो जायेगा कि माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने इस ऐक्ट में प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार दे दिया है कि जब उनकी इच्छा हो या जब उनकी कृपा हो जाये तब न्याय पंचायतों को हटा सकते हैं । लेकिन वास्तव में जिन पंचों ने उनको शुरू में सेलेक्ट किया है उनका उस पर कोई अधिकार न रहे यह बात हमारी समझ में नहीं आती । यह किस डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुकूल है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दफा ४८ पृष्ठ १०५ पढ़ना चाहता हूं :—

"(1) A Panch may be removed at any time by the prescribed authority in the manner and for the reasons prescribed.

(2) A Panch removed under sub-section (1) shall not be entitled to re-election as a Panch for a period of three years."

अब शायद पांच साल हो जायेगा । अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो यह न्याय पंचायतों के लिये इस अमेंडमेंट का रखना अति आवश्यक हो जाता है । मैं यह मान लूं कि न्याय पंचायतों के जो एलेक्शन होवें कभी मध्यम श्रेणी से हुये नहीं, व नामिनेट हुये नहीं, एक बीच का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं । इसके पहले गांव सभा चुने, उसके बाद फिर प्रेसक्राइब्ड अथारिटी ने सेलेक्शन किया । मैं समझता हूं कि दोनों की राय इसमें मिल गयी । यदि आज माननीय मंत्री जी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के देते, हो सकता है कि कारण प्रेस्क्राइब्ड हों । लेकिन इसमें यह होगा कि जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की तबीयत आई उसमें चुन लिया और यदि किसी पंच ने उसकी बात का विरोध किया या उसके विरुद्ध किसी भी न्याय पंचायत ने काम किया तो उसका मतलब यह हुआ कि उसकी गरदन पर छुरी लटक गयी, उसको वहां से खत्म कर दिया गया तो यह जो धारा है उससे कोई नयी बात नहीं हुयी । जिस प्रकार इसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को सेलेक्शन का अधिकार देते हैं उसी प्रकार इसमें न्याय पंचों को हटाने का भी अधिकार दिया गया है । इस धारा में न्याय पंचायतों को हटाने का अधिकार गांव सभाओं को होना अति आवश्यक है । यदि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार दिया गया तो वे निरंकुश हो जायेंगे । इसके अलावा दूसरी तरफ ये पंच लोग प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की हुकूमत की चरण सेवा करते रहेंगे और यह जनतंत्र के बिलकुल प्रतिकूल होगी । यह जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है । यदि हम सचमुच न्याय करना चाहते हैं तो हमें इसको मान लेने में कोई दिक्कत न होनी चाहिये । यदि कोई न्याय पंचायत कोई अन्याय का काम करती है तो गांव सभा उसके विरुद्ध प्रस्ताव नहीं ला सकती है और यदि वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के कहने के अनुसार गांव सभा के सदस्यों के विरुद्ध कोई काम करता है तो वे लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि गांव सभा को उनको अलग करने का अधिकार दे दिया जायें । और यह जो कहा जाता है उनकी कांस्टीटुएन्सी अलग है तो वह वहां से अलग होती है क्योंकि जो पंच जहां से चुना जायेगा वह उसी कांस्टीटुएन्सी का होगा । यह जो नया ऐक्ट है उसमें इस प्रकार का प्राविजन नहीं है । इसलिए माननीय मंत्री जी की जो दलील है कि कांस्टीटुएन्सी अलग है, मेरी समझ में ठीक नहीं है । वह कांस्टीटुएन्सी उन्हीं गांव सभा वालों के लिये है और वहीं के न्याय पंचों को चुना जाना है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि अगर इस अमेंडमेंट को हम मान लें तो न्याय पंचों की गर्दन पर छुरी लटकती रहेगी । माननीय मंत्री जी को उन पंचों पर विश्वास

नहीं है जिन पर कि गांव वालों को विश्वास है और जिनकी संख्या कई सैकड़े हो सकती है लेकिन माननीय मंत्री जी को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर पूर्ण विश्वास है जिसकी संख्या केवल एक या दो या चार हो सकती है। फिर अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को उनसे ज्यादा अधिकार दे रहे हैं। एक दिन पहले मंत्री जी ने कहा था कि हम लोगों को न्याय पंचायत और गांव सभा के ऊपर अविश्वास है, लेकिन मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को स्वयं विश्वास नहीं है इसलिए क्योंकि जब सेंट्रलाइजेशन की भावना दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है मैं समझता हूं कि हमारा जो पंचायत राज ऐक्ट है वह डेमोक्रेसी के बिल्कुल प्रतिकूल है।

अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में देखा जाय कि सावरेन्टी किसके हाथ में है तो मालूम होता है कि वह जनता ही है, क्योंकि जनता ही के द्वारा राज्य का चुनाव होता है। इसलिये उनको बिलकुल अलग कर देना कि वह किसी समय भी पंचों के ऊपर अपनी कोई बात नहीं करा सकते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इस प्रकार से जो न्याय पंच होंगे वह किसी भी तरफ से न्याय नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार की धारा न होने से मैं समझता हूं कि जो न्याय पंच होंगे वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के एजेंट हो जायेंगे और जनता से उनका कुछ सम्बन्ध नहीं रहेगा। वह हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हमको जनता से क्या मतलब है, हमारी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी और सरकार बनी रहे तो हम हमेशा ही पंच बने रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि आजकल जो करप्शन बढ़ रहा है, अगर इस प्रकार के अधिकार जनता को नहीं देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि वह करप्शन और बढ़ेगा और न्याय पंच अपनी हैसियत का दुरुपयोग करेंगे। इसलिये मैं इस अमेंटमेंड का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और जो पंचायत राज ऐक्ट है इसको हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके अनुकूल बनाने का प्रयत्न करेंगे और इस अमेंडमेंट को मानने की कृपा करेंगे।

*श्री शिव नारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो अमेंडमेंट श्री तेज प्रताप जी ने प्रस्तुत किया है और माननीय जोरावर वर्मा जी ने उसका समर्थन किया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपकी इजाजत से मैं पहले धारा ४८ पढ़ देना चाहता हूं :

"A Panch may be removed at any time by the prescribed authority in the manner and for the reasons prescribed."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस में दिया हुआ है 'रीजंस' ऐक्ट के अन्दर यानी जब कोई कारण होगा, कोई त्रुटि होगी उसी वक्त प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को हक होगा और वह उनको हटा सकेंगे। यह नहीं है कि मनमाने डंडा चलाते रहेंगे। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये बतला देना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी का गला घोंटा गया वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि करप्शन बढ़ जायगा, मैं कहता हूं कि करप्शन को रोकने के लिये और हैंडिल करने के लिये तो सरकार ने यह किया है। लेकिन उसी न्याय अदालत को ठीक करने के लिये गवर्नमेंट ने यह रखा कि गांव सभा चुन ले और उनमें से सेलेक्शन हो तो वे टेस्टेड आदमी होंगे। उसमें कोई ऐरा गैरा नहीं सेलेक्ट होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि टेस्टेड आदमी अदालत में भेजें। तो इस तरह से करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। करप्शन करप्शन सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसको चेक करने का कोई उपाय नहीं बताता। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे हर मेम्बर से कि गांव में प्रचार करें, मोरेल प्रीचिंग की गांवों में जरूरत है और इस बात को बतायें हर नौजवान से, हमारे जो नए नए अफसर हैं, कि सब मिल कर इस बुराई को दूर करें। गावों में तो वैसे ही इतना करेप्शन है कि दूध में लोग डाल्डा मिलाकर घी निकाल लेते हैं और बड़े बड़े पैमाने पता लगाने में फेल हो जाते हैं, तो स्टैन्डर्ड आफ लिविंग इतना लो हो गया है, मोरेलिटी इतनी नीचे गिर गयी है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

उसको उठाना अकेले गवर्नमेंट के मान का नहीं है। अभी ५ मिनट नहीं हुए कि सोशलिस्ट भाई उठ कर चले गये प्रांत भर में फिसाद होने वाला है।

तो अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि वर्मा जी अपना दिमाग साफ करें। हम करप्शन रोकना चाहते हैं। गवर्नमेंट ईमानदारी के साथ काम कर रही है और चाहती भी है कि करप्शन दूर हो। डेमोक्रेसी का गला घोटना नहीं चाहती। डेमोक्रेसी को सही माने में प्रैक्टीकली दिखाना चाहती है। हम किसी एक्स वाई जेड को सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे जिनको गांव सभा ने चुना है। तो हम आशा करते हैं कि न्याय-पंचायतें जो अब बनेंगी वे सुन्दर बनेंगी। मैं आपसे कहता हूं कि राम राज्य की जो कल्पना गांधी जी ने की थी, हमारी सरकार चाहती है कि वही रूप यथार्थ में बन जाय, हमारे देश का। हमारा देश पीछे नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितनी भी बातें हम कर रहे हैं गांव सभाओं के हित में कर रहे हैं, और यह पंचायत राज जो बना रहे हैं, देश के कल्याण के लिये ही कर रहे हैं और लोगों को अपना माइन्ड क्लीयर कर लेना चाहिये। गवर्नमेंट ने कोई कानून करप्शन के विचार से नहीं बनाया। इन शब्दों के साथ में कहूंगा कि आप अपना संशोधन वापस ले लें।

*श्री तेज प्रताप सिंह--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी एक चीज कही कि न्याय पंच अगर गांव सभा द्वारा हटाया जा सकता है तो वह हमेशा देखता रहेगा उसकी ओर, और उसको खुश करने की कोशिश करता रहेगा और अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा निकाला जा सकता है और चुना जा सकता है तो वह उसकी ओर देखता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों आदमियों की ओर देखना ज्यादा अच्छा है और फिर दो तिहाई के बहुमत से ही वह निकाला जा सकता है। साथ ही जो इसका उपखंड है मूल अधिनियम में वह बड़ा सुन्दर है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किसी न्याय पंच के काम को खराब पाती है तो उसे निकाल सकती है। यह प्राविजन बड़ा सुन्दर था। मैंने चाहा कि उस धारा के मुताबिक वे दोनों उपखंड बने रहें। अब तीसरा उपखंड जो मैंने बढ़ाया है वह सिर्फ इस कारण से कि नामिनेशन जो होगा न्याय पंचों का वह एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा होगा। पहले पापुलर ट्राइब्यूनल था, जिसको जनता चाहे उसको चुनती, लेकिन अब नामिनेटिंग अथारिटी आजाती है, जो उनको चुनेगी तो जन शक्ति को बढ़ाने के लिये उनमें एक शक्ति रहनी ही चाहिये कि दो-तिहाई बहुमत से उनको निकाल सकें। मैंने इसी कारण से जो नया विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको देखते हुए यह धारा जोड़ी है। मूल अधिनियम की धारा होती तो मैं नहीं जोड़ता, क्योंकि बड़े सुचारुरूप से काम चल रहा था।

यह कहना कि करप्शन गांव वालों में ही है और जगह नहीं है, मैं समझता हूं हर जगह है। मैंने पहले कहा था कि हमारा नैतिक स्तर निश्चित रूप से बहुत नीचे गिरा हुआ है। हम किसी काम को समझते नहीं हैं, कोई नेशनल क्राइसिस आती है तब भी हम सोते रहते हैं, सदियों की गुलामी के कारण। मैं समझता हूं कि जनशक्ति अगर साथ में लेकर चलना है तो उसको निर्जीव नहीं बनाना चाहिये, उसे शक्तिमान बनाना चाहिये, लेकिन शक्ति कितनी देनी चाहिये यह देख लें। लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हर जगह रोड़ा अटकाये, एक व्यक्ति सारी गांव सभाओं के लिये जिम्मेदारी ले ले अपने सिर पर, यह कहां तक ठीक है। उससे जनशक्ति बढ़ने वाली नहीं है। अगर हम यह मान लेते हैं कि जनशक्ति को बढ़ाना है तब तो हमें उनके हाथों में कुछ सौंप देना ही चाहिये। उससे हमारी भलाई ही होगी। पिछले अधिनियम के अनुसार, जो चुनाव किया गया और जो न्याय पंचायतों का काम देखा वह भी सराहनीय है। वैसे जो कमियां थीं वे हट नहीं सकती हैं। नामिनेट करने से अच्छे ही पंच आयेंगे यह तो भविष्य बतलायेगा। जनशक्ति को आगे न बढ़ाने से हमारा देश आगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं बढ़ सकता। हमारा देश गांवों में बसा हुआ है। दूसरे इसमें केवल दो-तिहाई बहुमत से ही उसे निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे कुछ और खास बात नहीं कहनी है। जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं वही काफी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ को निम्नरूप में रख दिया जाय :

"३८—मूल अधिनियम की धारा ४८ में उपधारा (३) निम्न रूप में जोड़ दी जाय :—

"(3) The Gaon Sabha may, at a meeting especially requisitioned, in writing by one-fifth of its members for the purpose and of which atleast 15 days' previous notice shall be given, remove any Panch of the Nyaya Panchayat from the same Gcan Sabha by a majority of two-thirds of the members present and voting."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३९

३९—मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— **यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४९ का संशोधन।**

Bench of Nyaya Panchayat

49. (1) The Sarpanch shall form Benches consisting of five Panches each for the disposal of cases and inquiries coming up before the Nyaya Panchayat.

(2) The formation of Benches, the period for which they will work including the hearing of part heard cases, the method of distribution, transfer or re-transfer of work among the Benches and proceedings generally to be followed by them in hearing and deciding cases, shall be governed by rules.

(3) No panch, Sarpanch or Sahayak Sarpanch shall take part in the trial of or inquiry in any case to which he or any near relation, employer, employee, debtor, creditor or partner of his is a party or in which any of them is personally interested.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government may perescribe the constitution of Special Benches for the trial of any class or classes of cases :

Provided that the State Government may at any time order for the re-constitution of such a Special Bench.

(5) The preseribed authority may transfer or re-transfer a case or an inquiry from one Bench to another Bench the same Nayaya Panchayat.

(6) Any dispute relating to the formation of Benches or method of their working, shall be referred to the prescribed authority whose decision shall be final."

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा प्रस्ताव ७२ है इसका ७२ ठठ जो पृष्ठ ४ पर है उससे मेल खाता है । इसलिये यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दोनों एक साथ ले लूं ।

श्री अध्यक्ष---इसमें कई अमेंडमेंट और हैं। अभी तो आपका यह अमेंडमेंट पहले वाला है। मैं समझता हूं कि यह आप उसी वक्त पेश करें जब यह आये। यहां पर आप पेश न करें नहीं तो अधूरा रह जायगा ।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३९ के अधीन प्रस्तावित धारा 49 की उपधारा (2) की चौथी पंक्ति में शब्द "Proceedings" के स्थान पर शब्द "Procedure" रखा जाय और पंक्ति ५ और ६ में शब्द "hearing and deciding cases" के स्थान पर शब्द "cases and enquiries" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो श्री राजा राम जी मिश्र का अमेंडमेंट था उसमें केसेज तो आया था लेकिन इन्क्वायरी नहीं था । इसलिये इसको ठीक करने के लिए मैंने यह लफ्ज रखा है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३९ के अधीन प्रस्तावित धारा 49 की उपधारा (2) की चौथी पंक्ति में शब्द "Proceedings" के स्थान पर शब्द "Procedure" रख दिया जाय और पंक्ति ५ और ६ में शब्द "hearing and deciding cases" के स्थान पर शब्द "cases and enquiries" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

***श्री जोरावर वर्मा**---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३९ में प्रस्तावित धारा 49 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा (4) रख दी जाय :---

"(4) Notwithstanding anything contained in this section the State Govenment, by rules, prescribe the constitution of special benches for determining any dispute arising between any parties or Gaon Sabha of different circle or different district."

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं आपकी आज्ञा से जो मूल अधिनियम में धारा है उसको सदन के समक्ष पढ़ दूं तो अंतर समझ में आ जायगा ।

"(4) Notwithstanding anything contained in this section the State Government may prescribe the constitution of special benches for the trial of any class or classes of cases :

Provided that the State Government may at any time order for the re-constitution of such a special bench."

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी तक इस ऐक्ट में दिया गया है कि हर एक जगह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अपना पांव अड़ाने के लिये इस विधेयक में प्रोवाइड की गयी है। कहीं भी गांव में न्याय पंचों को या न्याय पंचायतों को किसी भी मामले में इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम कर सकें। न्याय पंचायत ऐक्ट के किसी केस को तय करने के लिये जो बेंचें वह बनेंगी तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या सरकार जिस समय चाहे, वह किसी प्रकार का प्राविजन प्रेस्क्रिप्शन में होगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन केसों के सम्बन्ध में न्याय पंचायत या सरपंच को यह अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वह इस सम्बन्ध में अपनी बेंचें बना सकें। मेरे संशोधन से मतलब यह था कि विधेयक में इस किस्म के केसेज में जोकि "एनी पार्टीज' आर गांव सभा आफ डिफ्रेन्ट सर्किल्स आर डिस्ट्रिक्ट्स में हों, जो झगड़े हों, उन केसों में ही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नियम के अनुसार उन बेंचों को बनाये, लेकिन अगर किसी प्रकार के भी केस हैं और वह एक ही पंचायत की सर्किल में हैं या एक ही सर्किल की दो पार्टीज में हैं, तो इसका अधिकार न्याय पंचायतों को मिलना चाहिये कि जैसा प्रेस्क्रिप्शन हो, सरपंच इन न्याय बेंचों को बना सके। लेकिन जिस प्रकार, जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे तभी उन बेंचों को बना सके, यह मैं समझता हूं कि पंचायत राज एक्ट का जो अर्थ है उसके प्रतिकूल है और न्याय पंचायत को उसके सारे अधिकारों से वंचित करता है। हां, जो मेरी धारा है, उसमें यह है कि अगर दो न्याय पंचायतों के सर्किल्स हैं अलग-अलग, ऐसे केसेज आ जायं तो उस परिस्थिति में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह अलग-अलग जो न्याय बेंचें हैं उनको बना सके। या ऐसा हो सकता है कि दो डिस्ट्रिक्ट की पार्टीज में कभी इस प्रकार का झगड़ा आ जाय कि वह भी आपस में तय न कर सकें, तो यह स्टेट गवर्नमेंट के लिये उचित होगा कि उस सम्बन्ध में अगर वह देखती है कि अन्याय हो रहा है, या न्याय होने की सम्भावना नहीं है, तो बेंचें बनाने के लिये ऐसी स्पेशल शक्ति रखे। लेकिन जब इस प्रकार की कोई बात न हो, चाहे जिस सर्किल में, जिस पंचायत के क्षेत्र में जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे तभी स्पेशल बेंच बनाने की जिम्मेदारी अपनी ले ले, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे न्याय पंचायत अपनी जिम्मेदारियां समझ सकेंगी और किस तरह से निर्भर रह सकेंगी ? इससे करप्शन होने की बड़ी सम्भावना है। जब किसी को यह मालूम होगा कि वास्तव में न्याय पंच इस बात के लिए तुल गये हैं और उनको मालूम हो गया है कि किस प्रकार का केस है तो वह दौड़ा जायगा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास, या जो आदमी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से सम्बन्धित होगा या कुछ करा सकता है। उसके पास दौड़ा जायगा। और ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि जैसा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तभी उस बेंच का रिकांस्टीटयूशन, पुनः निर्माण कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की धारा से मैं समझता हूं कि न्याय पंचायतों की जो न्यायप्रिय भावना होगी, उनका जो अपना निजी अस्तित्व होगा उसमें बड़ा खलल पड़ेगा, और इस प्रकार से न्याय पंचायत के ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी। तो यह न्याय पंचायतों की प्रगति में कहां तक समर्थक होगा, यह मैं नहीं समझ पाता हूं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का निवेदन करूंगा कि जब दो सर्किल्स या दो डिस्ट्रिक्ट्स में झगड़े हों तभी वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी और स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट में प्रोवाइड करने का प्रयत्न करें क्योंकि बिना किसी एक ऐसे कारण के जो उसी गांव सभा और न्याय पंचायत के सर्किल में केस हो रहे हैं उनके लिए स्वतंत्रता न्याय पंचायत को ही होनी चाहिए और सरपंच या पूरी न्याय पंचायत को अपनी शक्ति को उपयोग में लाने का अवसर देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो दो बातें इसमें कही गयी हैं वह तो शामिल हैं लेकिन काफी और भी परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए जो अमेंडमेंट बिल में है वही मुनासिब है और मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मेरा तो वास्तव में अर्थ यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जिसमें चाहेगी उसी में अपने पावर का उपयोग करेगी और इससे वास्तव में जो न्याय होना चाहिए वह नहीं हो सकेगा। जो आदमी पहुंच के होंगे वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा अपनी मनमानी करायेंगे और गांव की जनता न्याय नहीं पा सकेगी। इसलिए मैं तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम—मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ में प्रस्तावित धारा 49 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा (4) रख दी जाय:—

"(4) Notwithstanding anything contained in this section the State Government, by rules, prescribe the constitution of special benches for determining any dispute arising between any parties or Gaon Sabha of different circles or different districts."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री तेज प्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३९ में प्रस्तावित धारा 49 की उपधारा (4) के priviso को निकाल दिया जाय।

यह प्राविजो इस प्रकार है—

"Provided that the State Government may at any time order for the re-constitution of special benches for the trial of any class or classes of cases."

इस प्राविजो के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट जब भी चाहे कोई स्पेशल बेंच बनाये और फिर जब चाहे उसे बदल कर दूसरे तरीके से बना ले। इसका मतलब मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन इसका कारण नहीं समझ में आता है कि आखिर वह रीकांस्टीट्यूशन क्यों हो, फिर से रद्दोबदल क्या हो। ऐसे पावर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक मर्तबा तो स्पेशल बेंच बना ली गयी। ठीक है। कोई खास अगर इन्टर डिस्ट्रिक्ट या इन्टर सर्किल डिस्प्यूट हो तो उसमें एक स्पेशल बेंच बनाने की आवश्यकता तो हो सकती है। लेकिन यह प्राविजन रखना कि जब चाहे तब उन बेंचो को फिर से रीकांस्टीट्यूट कर सकें यह समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और यह कतई ठीक नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रावजो को निकाल दें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का तो कोई इलाज नहीं है कि यह मान लिया जाय कि ये जितने भी अधिकार होंगे वह सब गलत इस्तेमाल होंगे। इस तरह से यह मान लेना कि इन सारे अधिकारों का गलत इस्तेमाल होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री तेज प्रताप सिंह—मैंने यह नहीं कहा कि यह गलत इस्तेमाल होंगे। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है कि दोबारा कांस्टीट्यूट किया जाय। एक मर्तबा बन गयी तो दुबारा रिकांस्टीट्यूशन क्यों हो यह समझ में नहीं आता। बल्कि मेरा ख्याल है कि यह प्राविजो इसी ख्याल से रखा गया है कि वह गलत काम करेंगे तो रिकांस्टीट्यूट करेंगे। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि इस अधिकार का इस्तेमाल गलत होगा। बल्कि इस प्राविजन के रखने का मतलब यह मालूम होता है कि वह गलत काम करेंगी इसलिये उनके रिकांस्टीट्यूशन का अधिकार सरकार ले रही है। अगर माननीय मंत्री जी कुछ इस पर प्रकाश डालें कि इसकी आवश्यकता क्या है तो हो सकता है कि मैं समझ जाऊं और अपने संशोधन को वापस ले लूं।

श्री मोहनलाल गौतम—रिकांस्टीट्यूशन तो कई बातों से हो सकता है। कोई इस्तीफा दे दे, कोई मर जाय, कही चला जाय या और कुछ हो जाय तो एक बार एक काम के लिए एक बेंच जो बना दी गयी वह बेंच फंक्शन नहीं कर सकती तो वह मुकदमा नहीं हो

सकता क्योंकि एक आदमी उसमें नहीं है। तो रिकांस्टीट्यूशन की यह जरूरत है। हमेशा इसका गलत इस्तेमाल ही होगा यह कहना तो ठीक नहीं है। जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी उसके ऊपर भी तो कोई नियंत्रण होगा। यह नहीं हो सकता है कि जो चाहे गलत काम कर दें। जज जो चाहें वह फैसला दे दे, जिसको चाहे ठुकरा दें। अगर यह हो जाय तो हमारा समाज चल ही नहीं सकता। इसलिए रिकांस्टीट्यूट की परिस्थितियां हो सकती हैं। असल में कानून बनाते समय बहुत सी कंटिन्जेंसीज को बिजुआलाइज करके उसको बनाया जाता है और यह नहीं है कि हर एक धारा लागू ही होगी। बहुत सी धाराएं हो सकती हैं जो कभी लागू ही न हों। इसलिये अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तेज प्रताप सिंह---यह कारण समझ में आया कि अगर कोई मर जाय तो रिकांस्टीट्यूट हो जायगी और कंटिन्जेंसीज क्या होंगी, समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---आप वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री तेज प्रताप सिंह---मैं वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३९ में प्रस्तावित धारा 49 की उपधारा (5) निकाल दी जाय।

व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से यह अनावश्यक है। कार्यकारिणी को भी यह अधिकार मिलता है और जुडिशियरी को भी अधिकार मिलता है। इसलिये यह अनावश्यक है।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३९ में प्रस्तावित धारा 49 की उपधारा (5) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरसेन---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि---

खंड ३९ में प्रस्तावित धारा ४९ के बाद निम्नलिखित नयी धारा 49—A के रूप में रख दिया जाय:---

" 49-A. Notwithstanding anything contained in the provisions of the foregoing section, no case shall be tried, heard or decided except in the manner as laid down hereinafter :

(1) When a case is referred to a Bench or a Nyaya Panchayat. the Sarpanch shall call a meeting of the Gaon Sabha to function as Nyaya Sabha :

Provided that in case the parties to the case or suit belong to more than one Gaon Sabha, the Gaon Sabhas to which the parties belong shall jointly function as Nyaya Sabha.

[श्री वीरसेन]

(2) No case or suit shall be heard or decided except in a meeting of the Nyaya Sabha.

(3) The Chairman of the Bench shall preside over the proceedings of the Nyaya Sabha.

(4) The complainant shall be called upon by the Chairman to state his case before the Nyaya Sabha and he shall thereupon briefly state his case or complaint and the defendant shall briefly state his defenee.

(5) The Nyaya Sabha shall, then, proceed to take evidence and the Chairman shall record or cause to be recorded the evidence produced by the complainant and the defendant.

Any member of the Nyaya Sabha may , of his own motion, offer any evidence likely to throw light on the facts of the case and the same shall be admitted by the Nyaya Sabha and shall be recorded.

(6) After recording the evidence the same shall be read out to the Nyaya Sabha and if any objection is made thereto, the same shall be corrected accordingly if the objection is admitted by the Nyaya Sabha.

(7) After hearing arguments, if any, the Bench shall proceed or retire to confer and draw conclusions as to the facts of the case or suit and make proposals as to their decision or judgment and the proposals so framed shall be communicated to the Nyaya Sabha.

(8) Any member of the Nyaya Sabha may object to the validity of the conclusions arrived at by the Bench or to the decision or judgment proposed by the Bench, and the objector shall be given an opportunity to give reasons for his objection and substantiate his point of disagreement.

(9) After hearing to the objector, if any, the Bench shall modify its proposals of it thinks right, and the proposals so modified shall be the judgment or the decision of the Bench with regard to the case or the suit, and the same shall be communicated to the Naya Sabha and shall be taken into records.

(10) As for as may be, every case or suit shall be heard and decided in the same sitting of the Nyaya Sabha."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया है उसका सारांश यह है कि जो भी फैसले न्याय पंचायत के सामने आयेंगे उनको न्याय पंचायतें अकेले में बैठ कर फैसला न करें बल्कि गांव सभा की मीटिंग बुलायी जाय जो न्याय सभा के रूप में कार्य करे तो इस तरीके से जो भी फैसले होंगे वे न्याय सभा के रूप में गांव सभा के द्वारा होंगे। लेकिन आखिरी फैसले का अधिकार न्याय-पंचायत के हाथ में होगा। अध्यक्ष महोदय, एक मौका इस बात का दिया गया है कि कोई भी न्याय सभा का सदस्य जो होगा वह अपनी इच्छा से अपनी एविडेंस पेश कर सकता है और उस एविडेंस को न्याय पंचायत स्वीकार करना चाहे तो स्वीकार कर ले। मुझे इस बात का भी खेद है कि जितने भी हमारे प्रोपोजल्स न्याय पंचायतों के बारे में हैं वे सारे के सारे वेस्टर्न जुडीशियरी के सिस्टम के हैं, उन्हीं को एडाप्ट किया गया। हिन्दुस्तान के आजाद होने के पहले यह हम लोग सोचते थे कि जब आजादी मिलेगी तो प्राचीन सभ्यता के तजुर्बों को फिर दोहरायेंगे और वही सिस्टम जारी करेंगे, जो प्राचीनकाल से हमारे जीवन को प्रगतिशील बना रहे हैं और जिस सिस्टम ने आज तक एक नेशन की तरह हमको जिन्दा रक्खा है उस सिस्टम को हम पुनर्जीवित कर सकेंगे। हिन्दुस्तान के आजाद होने पर कांस्टीट्यूशन में भी यह कोशिश की गयी कि गांव पंचायतें बनायी जायं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजादी मिलने के बाद भी हमारा दिमाग आजादी प्राप्त न कर सका और अब भी उसी तरह से सोचते हैं जिस तरह से हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे तब सोचते थे। जितने भी आइडियाज हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो कुछ अंग्रेज ने हमारे ऊपर थोपा उसको हम अभी तक जैसा का तैसा मानते चले आ रहे हैं। कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सारा का सारा सिस्टम वेस्ट से बारो किया हुआ है और उसे वेद वाक्य की तरह मानते चले आ रहे हैं। इस पंचायत राज ऐक्ट में भी वही बात लागू होती है। न्याय पंचायतों के न्याय का जो सिस्टम है.....

श्री अध्यक्ष--अभी आप और बोलेंगे।

श्री वीरसेन--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो अब आप अपना भाषण सवा दो बजे फिर आरम्भ करेंगे।

वित्त समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्राप्त नाम-निर्देशन की सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूं। वित्त समिति में श्री कालीचरण टंडन के त्याग-पत्र के कारण रिक्त स्थान के लिये समय के अन्दर श्री कृष्णचन्द्र शर्मा का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है जिसे सचिव ने नियमानुकूल पाया है। यानी ३ बजे तक यह नाम वापस नहीं हुए तो यह घोषणा कर दी जायगी कि यह चुने गये।

कतिपय स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचित सदस्यों के संबन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष--पुलिस, यातायात, सिंचाई, सूचना, माल, रसद, जेल, सार्वजनिक, निर्माण विभाग (विद्युत) चिकित्सा, विकास व नियोजन, वन, श्रम, उद्योग, न्याय, आबकारी की स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के नामांकित सदस्यों के नाम मैं कल सुना चुका था। उनके नाम वापस लेने का समय आज १ बजे दिन तक था। उपर्युक्त समय के भीतर किसी सदस्य ने अपना नाम वापस नहीं लिया। अतः उपर्युक्त समितियों के लिये जिन अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा कल सदन में की गयी थी वह विधिवत निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४
खंड ३९ (क्रमागत)

श्री वीरसेन--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आजादी हमको मिली लेकिन ख्याली आजादी हमको नहीं मिल सकी। अब भी हम ख्यालात के लिये पश्चिम की ओर देखते हैं। जो ख्यालात हमको अंग्रेज ने दिये आज भी हम उन्हीं को श्रेयस्कर समझते हैं। हमने अपनी वेशभूषा छोड़ कर वैस्टर्न वेशभूषा अपनाई। इसी प्रकार से जब कि हम पंचायत कायम करने चले हैं तो भी हमारे दिमाग़ों में यह बात नहीं आती कि जो हमारे यहां पुरानी न्याय व्यवस्था थी उसे हम अपनावें। हमने पश्चिम की ओर ही देखा और सोचा कि क्या वहां कोई ऐसी चीज हमको मिल सकती है जिसे हम अपना लें। इस तरीके से पंचायतों में हमने विदेशी पौधा ला कर लगा दिया। मुझे दुख है इस बात का कि जिस पूर्व ने सदैव पश्चिम को उजाला दिया है, लाइट दी है, वह पूर्व आज पश्चिम की ओर, अपने स्वयं के उजाले को न देख, रोशनी के लिये देखता है। यह अजीब हालत है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से जो यह विदेशी पौधा लाकर हमने लगाया है यह यहां पर पनप नहीं सकता है। यदि किसी पौधे को जहां वह पैदा होता है वहां से हटा दिया जाय और दूसरी जगह लगाया जाय तो वहां उसके अनुकूल एटमासफियर, जलवायु और स्वायल होनी चाहिये। विदेशी पौधे के लिये हिन्दुस्तान की जलवायु उपयुक्त नहीं है और न ही यहां का एटमासफ़ियर उपयुक्त है। इसलिये यह पौधा मेरी राय में....

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। यह जो इस समय व्याख्यान हो रहा है यह पूर्व पश्चिम का है, अमेंडमेंट पर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन पर अधिक ध्यान देने की कृपा करें।

श्री वीरसेन--मैं यह कह रहा था कि जो पौधा दूसरी जगह लगाया जाता है वह अपने पुराने गुणों को नहीं रख सकता है। मिसाल के लिये, अगर किसी चीज का फूल जिसमें खुशबू आती है विदेशी ज़मीन में लगा दिया जाय तो उसकी खुशबू दूर हो जाती है। उसके स्वाभाविक गुण खत्म हो जाते हैं। ट्रापिकल क्लाइमेट का वृक्ष जो बहुत ज्यादा लम्बा जाता है यदि भारत में प्लेन पर लगा दिया जाय, तो निश्चय ही इतना ऊंचा न जायगा। इसी तरह से जब हिन्दुस्तान के अन्दर ब्रिटिश जुडीशियरी सिस्टम लागू किया गया तो उसके जो विशेष गुण थे वे लुप्त हो गये। और उसके जो दुर्गुण थे वे रह गये। वहां पर यह सिस्टम में कुछ दोष इनहेरेंट है जिसमें १-२-४- या ५ आदमी मिल कर आखिरी फैसला करते हैं और इन ५ आदमियों का जो आखिरी फैसला होता है वह आदर्श फैसला होता है। परमेश्वर ने आदमी को लिमिटेड बनाया है इसलिये उसका फैसला भी लिमिटेड होता है, उसका फैसला भी कम्प्लीट नहीं हो सकता। इसलिये एक आदमी का जो फैसला है, जो उसकी राय है वह कभी कम्प्लीट नहीं हो सकती। लेकिन जनमत की जो राय है वह ठीक कही जा सकती है। मैं इसकी सपोर्ट में Edward Burke का एक कोटेशन पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:--

"The individual is foolish; the multitude, for the moment is foolish, when they act without deliberations but the species is wise, and when time is given to it, as a species, it always acts right."

मेरे कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति से गलती हो सकती है, बेवकूफी कर सकता है, व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, दबाव में आ सकता है लेकिन स्पेसीज पर असर नहीं पड़ सकता है, वह बिना किसी प्रभाव और पक्षपात के सत्य और सही बात को कह सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एक बड़ा भारी दोष अंग्रेजी सिस्टम का यह है कि तमाम केस ऐवीडेंस पर निर्भर करता है। अगर किसी निर्दोष के खिलाफ दोष साबित हो जाय तो उसको दंड मिल

जायगा और जो दोषी है अगर उसके खिलाफ ऐवीडेंस नहीं मिल पाती तो वह निर्दोष की भांति छूट जाता है। इसलिये हरएक आदमी की निगाह ऐवीडेंस की ओर ही रहती है इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि अगर कोई ग़लत ऐवीडेंस पेश करता है तो उसके खिलाफ़ आवाजें उठाई जा सकती है और यह बताया जा सकता है कि क्या बात सही है और उनपर फैसला किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई जानबूझ कर या किसी के प्रभाव में आकर कोई ग़लत फैसला करता है या करप्शन के अधीन कोई ग़लत काम करता है तो भी आजकल उसको यह डर नहीं है कि कोई उसका खंडन करेगा या पब्लिक ओपीनियन उसके खिलाफ हो जायगी। वह समझता है कि उसका फ़ैसला केवल हायर अथारिटी ही बदल सकती है और तब भी उसके चरित्र पर कोई आक्षेप नहीं आ पायेगा। ब्रिटिश जुडिशियरी सिस्टम की यह कमियाँ हैं। इन सब को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम उस सिस्टम को खत्म कर दें ताकि हम सही न्याय पा सकें। इसके द्वारा यह भावना ही खत्म हो गई है कि "पंच का न्याय परमेश्वर का न्याय है, लोग उसे ग़लत समझने लगे हैं। लोग यह समझने लगे हैं कि कोर्ट में जाकर सच बोलना बिलकुल ग़लत होगा और इसलिये बिना किसी डर के लोग झूठ बोलते हैं। इस बारे में डाक्टर पट्टाभीसीतारमैया ने जो कहा है उसका कुछ भाग मैं आप के सम्मुख रख देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है:—

"The oath taken in the courts is considered to be not an undertaking to speak the truth, the whole truth, nothing but truth, but as a license to speak untruth the whole untruth and nothing but untruth."

तो मेरे कहने का यह मतलब है कि इस अंग्रेजी सिस्टम का एक सब से बड़ा दोष यह रहा है कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ को ग़लत भी समझता है तो भी वह कोर्ट के सामने जाकर सच बोलना ठीक नहीं समझता। वह समझता है कि वहां जा कर झूठ बोलना ही ठीक है। एक कहावत भी है कि न्याय पंचायतों में जा कर कोई झूठ बोले और कोर्ट में जा कर सच बोले तो उसका सत्यानाश हो जाता है। ऐसी हालत में जब लोगों की यह धारणा इन कोर्ट्स के प्रति है तो कोई भी आदमी वहां जाकर सच नहीं बोल सकता है। वहां पर जाकर जब कोई आदमी सच बोल ही नहीं सकता है और जब आप वही सिस्टम पंचायतों में लागू कर रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट में कार्य होता है उसी तरह से यहां भी कार्य हो, उसी तरह से गवाही ली जाय, उसी तरह से सब रेकार्ड्स रखे जायं तो मैं समझता हूं कि इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। चार पांच साल के तजुर्बे से मालूम हुआ है कि पंचायतों में लोगों की अब आस्था नहीं रह गयी है जैसी कि प्राचीन समय की पंचायतों में थी। वहां पर जा कर झूठ बोलना ही लोग अपना धर्म समझते थे। कोई बात ग़लत हो या सही हो लेकिन अपनी बात ही रखना चाहते हैं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम का विशेष दोष यह रहा है कि इससे आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। हर आदमी चाहे उसने ग़लत काम ही क्यों न किया हो, झूठ गवाह पेश कर के, लोगों को डरा धमका कर के, पुलिस को किसी तरह से अपनी तरफ मिला करके अपना ही काम कराना चाहता है और इस तरह से हर एक आदमी दूसरे के माल पर निगाह लगाये रहता है। तो इस दशा में आप सोच सकते हैं कि प्राचीन जमाने में जो हमारी पंचायतें थीं वे कैसी थीं। उस समय के लोग इस बात की उम्मीद नहीं करते थे कि पंचायतों के सामने जाकर हम झूठ बोल कर कोई ग़लत काम करवा लेंगे। इसी तरह से करप्शन का दोष भी इसके अन्दर है। हर एक आदमी के सामने यह बात जाहिर है कि जुडिशियरी भी करप्शन से दूर नहीं रह गयी है। मैं डाक्टर सीतारमैया का एक कोटेशन देना चाहता हूं —

"The profession of the lawyer is not to bring unity but to create division."

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह ब्रिटिश प्रणाली का दोष है।

उपाध्यक्ष महोदय, अक्सर यह कहा जाता है और जिस परपज से मैंने यह संशोधन पेश किया है वह यह है कि बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि हम अपने गवाँहों की मजबूती के

[श्री वीरसेन]

बल पर फैसला करवा लेंगे। तो ऐसी हालत में कोई मार पीट हो जाय, या कोई फाइल चुरा ले, या इस तरह की कोई ज्यादती करे तो उसके लिये क्या करना चाहिये। इस सम्बन्ध में डाक्टर पट्टाभिसीतारमया ने कहा है:—

"One objection to the organisation of the Panchayat is that the village people are factious and party ridden. It is true that there is plenty of factiousness in the villages but all this has been permeated and fostered by the system of law and law-courts which are prevailing to day."

तो उपाध्यक्ष महोदय, इससे आपस में बैर विरोध होगा, लोग कोर्ट में जायंगे। साथ ही एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हो सकता है यह सिस्टम शुरू शुरू में यदि अपनाया जाय और लागू किया जाय लेकिन जब इसके द्वारा मारपीट की आशंका हो और वह सही भी हो जाय तो इस सम्बन्ध में डाक्टरसीतारमैया की यह राय है:—

"During the transitional period, we shall meet with reverses even as weare meeting in Provincial Autonomy in the administration of our District Boards and Municipalities, in the organisaion of our village Industries, in planning our national education and in regard to the Harijan movement, these are inevitable."

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह ऐसी चीज है कि जिस से कुछ समय के लिये लोगों की आस्था न्याय पंचायतों में हो जायगी और वह महसूस करने लगेंगे कि वहां न्याय होने वाला है, वहां झूठ से काम नहीं चलेगा और सत्य से ही वहां काम चल सकता है और यह सब समझ कर कुछ समय में वे स्वयं ही लड़ाई-झगड़े बन्द कर देंगे और वह इस देश की पुरानी जिन्दगी के मुताबिक़ चलने लगेंगे और कोई दूसरे की चीज पर कोई अपना दावा करने की कोशिश न करेगा।

एक बात इसके बारे में कही जा सकती है कि अब जमाना बहुत कुछ बदल गया है और वह जमाना अब आना मुश्किल है लेकिन मैं कहता हूं कि यही एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिये से आप इम्मेमोरियल टाइम्स पहले का अस्मरणीय समय फिर यहां ला सकते हैं यह स्वाभाविक है कि जो चीज यहां पहले हो चुकी है वह आज कैसे ग़लत साबित हो सकती है। मैं समझता हूं कि न्याय पंचायतों में जब अहबाब इकट्ठा होंगे तो वह किस प्रकार पक्षपात करेंगे और नेचरल जस्टिस और विवेक बुद्धि से बंध कर काम करेंगे। साथ ही मैं यह भी अर्ज करूंगा कि अगर इस तरह का सिस्टम एडाप्ट होगा तो फैसला करने वाले लोगों पर साइकालाजिकल असर पड़ेगा और वह देखेंगे कि इतने लोग हमारे न्याय को देखेंगे और यह समझ कर वह स्वयं ही सही फैसला देंगे और अगर वह गलत बात करेंगे तो सब लोगों की निगाह में वह गिर जायंगे और सब समझेंगे कि उन्होंने सब की नालेज के विरुद्ध फ़ैसला किया है और ऐसी हालत में किसी की हिम्मत ग़लत फैसला देने की न होगी। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की न्याय पंचायतों का प्रतिपादन करना मनुष्य के मारल जीवन में एक नैतिक शक्ति पैदा करना होगा और फिर उनमें वह शक्ति स्वतः आयेगी कि वे ग़लत चीज को ग़लत कह सकेंगे और ग़लत को सही करने का प्रयास न करेंगे और अपने सगे-सम्बन्धियों और अपने खिलाफ भी वह फैसला दे सकेंगे। इस विषय में भी मैं श्री पट्टाभिसीतारमैया को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि—

"The integrity of the spoken word will be restored, when Justice will be administered by half a dozen compacts in the scene of offenceor of dispute then the elders can give evidence without trouble and when public opinion of the village can operate effectively so as to put down all lying, It is lying that feeds litigation and when lying is controlled, litigation is obliterated."

जैसे-जैसे मनुष्य में आस्था बढ़ती जायगी वैसे-वैसे वह झूठ से दूर हटता जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातें और इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। यह प्रणाली हमारे पुराने इतिहास से जीवित है। हमारा जीवन इतिहास में छिपा है। कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता जब तक कि उसका शृंखलाबद्ध इतिहास न हो। यदि हम दूसरे विदेशों की चीज़ यहां ला कर रख देते हैं और अपने यहां की परम्परा को भूल जाते हैं तो एक तरह से हम अपने जीवन पर ही कुठाराघात करते हैं और राष्ट्रीय जीवन को गलत रास्ते पर डालते हैं। मेरा तो कहना यह है कि इस प्रणाली से हम सस्ता और सही न्याय दे सकेंगे और जिसमें किसी तरह की ग़लती न हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

*श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने खड़ा हुआ हूं। अगर श्री वीरसेन जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो इस बिल का काफी अंश हमें बदलना पड़ेगा। अब तक हमारे सामने जो न्याय संचालन का नक्शा है वह एक खास रंग में है और इसका तात्पर्य यह है कि कुछ व्यक्ति पहले से ही चुन लिये जायं, पहले २५ आदमी के क़रीब चुने जायें और उसमें से पांच आदमियों को नामज़द किया जाय और वे पांच आदमी पंचायती अदालत के रूप में काम करें। इस विधेयक का शुरू से आख़िर तक का यह नक्शा है। यदि इसको मान भी लिया जाये, इसको स्वीकार भी कर लिया जाये तो मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के बहुत से अंग रिडेन्डेन्ट हो जायेंगे और उनके कोई मानें नहीं निकलेंगे। इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि जब मामला पंचायती अदालत के सामने जाये, पंच के सामने जाये तो पंच उसका स्वयं फैसला न करके पहले पंच गांव सभा को बुलाये और गांव सभा में बैठ कर उस पर विचार किया जाये तो उस गांव सभा की बैठक का नाम न्याय सभा रक्खा जावे। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि न्याय सभा का शब्द ही पहली बार यहां पर आता है। अगर यह शब्द यहां पर आ जाये जैसा कि मैंने निवेदन किया तो विधेयक का यह अंश खत्म हो जायेगा और बहुत सी बातें बेकार हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त फिर यह होगा कि गांव सभा न्याय सभा के रूप में बैठक करे। जो गांव सभाएं दो गांव की हैं, तो दो गांव सभायें इस संशोधन को जैसा इसमें रखा गया है वह दो गांव सभा मिल कर न्याय सभा के रूप में बैठेंगी।

श्रीमन्, इस सदन को स्मरण होगा और हमारे सामने यह प्रश्न आया था कि गांव सभा की बैठकें साल में दो बार, एक रबी और एक खरीफ में हुआ करें तो इसके बारे में काफी शिकायतें आयीं कि गांव सभा बुलाने में काफी कठिनाई होती है, इसमें लोग आते नहीं हैं। इसके माने यह होंगे कि जितने मुक़दमें गांव सभा में जायेंगे वह जब तक गांव सभा की मीटिंग न होगी तब तक वह मामले पड़े रहेंगे और दूसरा यह कि उस गांव सभा की मीटिंग कहां होगी। श्रीमन्, तीसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें पंचों को तो रक्खा गया है लेकिन उन पंचों को न्याय सभा के साथ जोड़ दिया गया। यह एक प्रकार से चूं चूं का मुरब्बा हो गया है। एक जगह काम करने के बाद पता नहीं चलता है कि इसमें जो पंच हैं वे जूरी की शक्ल में रहेंगे या सारी न्याय सभा पंच की शक्ल में रहेगी, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि सभी केस पहले न्याय सभा के सामने जायेंगे उसके बाद वे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, जब वह अपना फैसला लिखेगा तो न्याय सभा के जितने आदमी हैं वह सब उसके अन्दर अपना सुझाव रखेंगे। इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि मेजारिटी का सुझाव माना जायेगा या माइनारिटी का। जैसा कि यह सदन के अन्दर संशोधन रक्खा गया। उसमें हर न्याय सभा के सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह संशोधन रक्खे, यह किन्हीं अंश में ठीक है लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि आख़िरी निर्णय किसका रहेगा, पंच का निर्णय रहेगा या गांव सभा का।

"After hearing to the objector, if any, the Bench shall modify its proposals if it thinks right ...."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनाथ काटजू]

पता नहीं "shall modify" अगर वह कहेंगे तो बाध्य हो जायेगा, तो श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया उसमें यह पता नहीं चलता कि जूरी कौन है, जज कौन है। यह तो एक प्रकार का संगम हो गया जिसकी एक धारा गंगा को जाती है और दूसरी यमुना को। कौन इसका फैसला करेगा और एक बिल्कुल जैसे जस्टिस आफ दि मार्केट प्लेस (फिश मार्केट) जहां ५००, १००० आदमी बैठे होंगे सबको अख्तियार होगा सभी जज होंगे सब के सामने गवाही होगी, जिसको चाहें वह बुलालें। तो श्रीमन्, मैंने जैसा निवेदन किया कि संभव है यह भावना अच्छी हो सकती हो, लेकिन आज जो हमारे सामने एक नक्शा चल रहा है जिसके अन्तर्गत यह सारे सुझाव हैं, उसके बीच में यह एक प्रकार की ठेलम-ठाल है और जो कहीं आगे चस्पां ही नहीं होती है। तो मैं इसमें ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि यह बहुत कुछ नामुनासिब और असंगत है। यह जमती भी नहीं है, चस्पां भी नहीं होती है और अगर इसको रख भी लेते हैं तो बहुत सारे कानून जो मूल अधिनियम के हैं, जो संशोधन में नहीं आये हैं और जो पास हो गये हैं, वह तो रहेंगे ही इसके अन्दर—लेकिन अगर यह जोड़ दिया जायगा तो बड़ा कन्ट्राडिक्शन हो जायगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धारा ७८ और २९ जो हैं, उनके बारे में यहां पर कोई संशोधन नहीं है। ७८ के अन्दर है कि पंचायती अदालत को मुकदमों के डिस्मिस करने का अधिकार होगा। तो एक यह कि मुखालिफत करने का अधिकार आपने न्याय सभा को दे दिया और इसी तरह से दूसरी धारायें भी हैं।

इसलिये श्रीमन्, मेरी यह प्रार्थना है कि यह संशोधन एक कवि की कल्पना के रूप तो बहुत ही सुन्दर है और मेरे मित्र ने जिन भावनाओं और जिन उद्गारों का यहां पर प्रदर्शन किया है वह काफी सुन्दर है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में न्याय हो और वह न्याय सस्ता हो, अच्छा हो और जल्दी हो लेकिन सांसारिक रूप में भी हमको चलना पड़ता है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुये यह कवि की कल्पना के रूप में भले ही अच्छा हो लेकिन लेजिस्लेचर के रूप में बिल्कुल असंगत है और मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें।

श्री अब्दुल मुईज खां—प्वाइंट आफ आर्डर सर, श्रीमन् आप देखेंगे कि जो धारा इससे पहले पास हो चुकी है ४९ उसकी पहली उपधारा में दिया हुआ है :—

"The Sarpanch shall form Benches consisting of five Panches each for the disposal of cases and inquiries coming up before the Nyaya Panchayat."

तो डिस्पोजल और इंक्वायरीज दोनों के लिये इसमें प्राविजन किया जा चुका है और यह पास हो चुका है। ४९ धारा के उपखंड में प्राविजन है कि पंचेज के सामने केसेज का डिस्पोजल होगा और उसकी इंक्वायरी होगी। आपने जो संशोधन रक्खा उसमें ऐसा नहीं होगा बल्कि जो गांव सभायें हैं वह न्याय सभा के रूप में बैठेंगी और उन्हीं के सामने वचन दिये जायंगे और इंक्वायरी होगी। इसलिये इस सदन में जो डिसीजन हो चुका है उसके यह बिल्कुल विपरीत है और कन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। इसलिये यह संशोधन अवैध है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्याय महोदय, शायद अभी हमने इसको पास ओवर तो कर लिया है, देख लिया है और जो अमेंडमेंट्स हैं उनपर विचार भी कर लिया है लेकिन अभी यह ३९ धारा पास नहीं हुई है इसलिये जब तक यह धारा पास नहीं हुई है तब तक यह प्रिन्सपल का जो पहला हिस्सा है वह उठा नहीं लिया गया है। इस संशोधन के हिस्से पर जो कि अमेंडमेंट बिल में है अमेंडमेंट आये थे। इस पर इस अमेंडमेंट बिल में जो संशोधन आये थे उन पर वह किया गया और जब तक यह पास न हो जाय तब तक यह कहना कि नहीं आ सकता, यह पहले पास नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि विवाद जारी रहे।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का जो कि माननीय मित्र वीरसेन ने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसका भीषण विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माफ करें मुझे माननीय सदस्य मैं यह समझ रहा हूं कि शायद उनके दिमाग में पुराने समय की कल्पना थी जब कि वे इस संशोधन को पेश कर रहे थे। जबकि, न पंचायत राज ऐक्ट होता था। लोग छोटी-छोटी टुकड़ियों में रहते थे, वहां जब कोई मामला आता था तो पंचायत इकट्ठी हो जाती थी, क्योंकि पंच या सरपंच मुकर्रर नहीं होता था, वहीं पर बैठकर ५ आदमी एक पंचायत बना लेते थे और गंगा की कसम होती थी और जो न्याय करते थे वह यूनानीमसली डिसीजन दिया करते थे। लेकिन वह जमाना तो बीत गया, काफी गंगा का पानी बह चुका, दरियाओं ने अपना रास्ता बदल दिया और वास्तव में जिन्दगी इसी का नाम है कि संसार चलता रहे। मेरे दोस्त ने यह कहा कि इन्सान का ज्ञान लिमिटेड है। इन्सान का ज्ञान अनन्त है। वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। देखिये धोबियों की पंचायत होती है तो सबसे पहली चीज जो होती है वह यह कि ५ बोतल शराब की मंगायी जाती है और किस प्रकार का न्याय होता है हम सब जानते हैं। इसलिये यह संशोधन पेश करना किसी तरह संगत नहीं और अगर मेरे माननीय दोस्त पेश करना चाहते थे तो जिस वक्त यह बिल इन्ट्रोड्यूज हुआ था उसी वक्त मुखालिफत करनी चाहिये थी। हम तो नेचुरल जस्टिस चाहते हैं कि किसी पंचायत राज ऐक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यह सब छोड़ दें। लेकिन उस वक्त मेरे लायक दोस्त ने कोई अपोजीशन नहीं किया, उसके साथ-साथ चलते रहे और खंडों में संशोधन पेश करते रहे। मैं इस बात को मानता हूं कि इसी संशोधन को पेश करते वक्त काफी होशियारी से काम लिया है। मैं जहां तक इस अमेंडमेंट को पढ़ कर पहुंचा हूं कि न्याय तो न्याय पंचायत ही करती हैं, लेकिन गांव सभा वहां इकट्ठी हो जाय और कुल विटनेसेज भी ले तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अब्दुल मुईज खां ने प्रश्न उठाया था उसके प्रतिकूल नहीं जाता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन तो असम्भव है। अब गांव बड़े-बड़े हो गये हैं १४, १५ हजार की आबादी हो गयी है। मेरे लायक दोस्त देखते हैं कि खुद उनके जिले के अन्दर बेवाली की आबादी १५ हजार की है और उसके अन्दर आज तक पंचायत कायम नहीं हो सकी, इसलिये कि वहां पर बैलेट से एलेक्शन नहीं होना था, हाथ उठा कर होना था और १५–२० हजार आदमियों में हाथ उठा कर एलेक्शन होना असम्भव सा है।

मैं मानता हूं कि आजकल जो जस्टिस है वह जस्टिस इज सोल्ड। यह बिलकुल सही है कि हर जगह पर पैसे की मोहर लगी हुयी है और मेरे लायक दोस्त काटजू साहब माफ करेंगे लाइयर्स की भी इसमें चांदी है। मुझे वह दिन याद आता है जबकि सुन्दरलाल जी और मोतीलाल जी के पास एक मुअक्किल आया। सुन्दरलाल जी ने कहा कि भाई, अगर यह मुकदमा लड़ाना चाहते हो तो इसका नतीजा मैं आज ही बता देता हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जायदाद तो मेरे पास आयेगी और तुम्हारे आपोनेन्ट की जायदाद मोतीलाल जी के पास जायगी। यहां तक कि कत्ल के मुकदमे में भी यह होता है कि हमारी आंखों के सामने कत्ल होता है, एक्यूज्ड कहता है कि मैंने कत्ल किया, तमाम कपड़े पेश किये जाते हैं, जिससे मारा है वह औजार पेश किये जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से वह छूट जाता है कि हम इसको बेनीफिट आफ डाउट देते हैं। बावजूद इसके कि मेरी आंखों के सामने या श्री काटजू साहब की आंखों के सामने जुर्म होता है वह एक्यूज्ड छूट जाता है। तो आपने जो रेमेडी सजेस्ट की वह रेमेडी यहां पर लागू नहीं होती। उससे तो काम चलने वाला नहीं है, कभी एक मुकदमा भी निपटने वाला नहीं, जहां कि २०-२५ और ३० हजार आदमी इकट्ठे होंगे और १५-१५ हजार आदमियों की एक-एक गांव सभा मौजूद है और जहां पर कई गांव सभायें इकट्ठी होंगी वहां पर तो कहना ही क्या होगा। तो जो रेमेडी आपने सजेस्ट की उसका तो वही हाल है कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। यह २० वीं सदी में असम्भव है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

यह कहना कि यह वेस्टर्न है, कहीं का हो, ज्ञान कहीं का लिमिटेड नहीं होता, ज्ञान तो हर जगह प्रसारित होता है, ज्ञान तो अगर वेस्टर्न अच्छा है तो हम उसे लेंगे और अगर हमारा ज्ञान अच्छा है तो वे उसे लेंगे। इसलिये यह कहना कि यह तो ब्रिटिश सिस्टम है ऐसी बात नहीं है। हमें अख्तियार है कि हम अपने कानून के अन्दर तब्दीली कर लें। पंचायतों के कानून में हमने तब्दीली की है और आगे जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक हम तब्दीली करते जायेंगे। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यह संशोधन जिस तरह से पेश हुआ है वह असंभव है, असंगत है और किसी भी हालत में मानने योग्य नहीं है और मैं माननीय वीरसेन जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री शिवनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरसेन--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मेरे मित्र ने बहुत जल्दी क्लोजर मूव कर दिया और हाउस की ओपीनियन क्रिस्टलाइज नहीं हो सकी। वैसे तो मैं गुप्ताजी को धन्यवाद देता हूं कि कई प्वाइंट्स को जोकि काटजू साहब ने रेज किये थे उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया। मुझे उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। हां, इतना जरूर है कि दोनों ही वक्ताओं ने यह बात जरूर कही कि यह संशोधन असंगत है। मैं समझता हूं कि वास्तव में उन्होंने जरा कम गौर किया है अमेंडमेंट के ऊपर। जो स्कीम इस पंचायत राज बिल में है उसमें जैसी की तैसी ही बेंचेज रखी गयी हैं। उसमें सिर्फ फर्क यह किया गया है कि काम तो वह वही करेंगे, लेकिन सिर्फ साइकोलोजीकल अफेक्ट पैदा करने के लिए, वह गलत काम न करें और सही फैसला किया है या नहीं इसको जांचने के लिए न्याय सभा का प्राविजन किया गया है। साथ ही काटजू साहब ने एतराज किया था कि न्याय सभा की व्याख्या नहीं हुयी। मैं समझता हूं कि ऐसा अक्सर कानून में होता है और जहां जरूरत पड़ती है वहां साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन हो जाता है। पहला जो सब-सेक्शन (1) है वह यही जाहिर करता है। वह इस प्रकार है कि:--

"The Sarpanch shall call a meeting of the Gaon Sabha to function as Nyaya Sabha."

जो यह कहा गया है कि न्याय सभाएं क्या हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है कि उसकी पहले डेफीनेशन होनी चाहिए थी।

काटजू साहब ने यह भी कहा है कि यह तखय्युल है, यह स्वप्न है और यह एक विजन है। मैं समझता हूं कि उन्होंने हमारे देश के पुराने इतिहास की ओर से आंखें बन्द करके यह बात कही है। अगर स्वप्न होता तो इतना लम्बा जमाना हुआ जब कि हमारी पंचायतें फंक्शन कर चुकी हैं तो यह स्वप्न कैसे कहा जा सकता है।

हमारे माननीय गुप्ता जी ने कहा है कि जब यह बिल माननीय सदन में पेश हुआ था तो उसी समय मुझे एतराज करना चाहिए था। यह बिल १९४७ में पेश हुआ था, उस समय मैं इस सदन का मेम्बर भी नहीं था और मुझे इस तरह का हक भी नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि ग्राम पंचायतों में हाथ उठाने का सवाल था, लेकिन यहां नहीं है, क्योंकि फैसला तो बेंचेज देंगी, लेकिन नतीजे पर पहुंचने पर न्याय सभायें देखेंगी। हाथ उठाने का यहां सवाल

नहीं है। तखप्युल के बारे में जो गुप्ता जी ने कहा है उस सम्बन्ध में गांधी जी का एक कोटेशन देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि:—

"When Panchayat Raj is established public opinion will do what violence can never do. The present power of the Zamindars, the capitalists and the Rajas can hold sway only so long the common people do not realise their own strength. If the people non-co-operate with the evil of Zamindari or capitalism, it must die of in-animation. In the Panchayat Raj only the Panchayat will be obeyed and the Panchayat can only work through the law of their making."

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो कहा गया है कि यह संशोधन असंगत है सो यह भी गलत है और इसे इम्प्रैक्टीकेबिल जो बतलाया गया है वह भी गलत है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरसेन जी की विद्वतापूर्ण स्पीच पर मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने काफी मेहनत की है और जो उनकी स्कीम है उसमें एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर गांव के लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मौजूद हों तो गवाही देने वालों को झूठ बोलने में मुश्किल होगी और पंचों को भी गलत काम करने में मुश्किल होगी, इसलिये मैं इससे सहमत हूं। लेकिन कानून में जब वह यह चीज लाते हैं कि गांव सभायें वहां आकर न्याय पंचायत में हिस्सेदार बनें तो मैं सोचता था कि मेरी समझ में यह बात नहीं आयी और गुप्ता जी जो बहुत पुराने वकील हैं उनकी समझ में भी यह बात नहीं आयी, तो मैं कहूंगा कि वीरसेन जी अपनी बात को समझाने की कोशिश करें और सदन को समझने में कुछ समय लगेगा और इस वक्त वह इसको वापस ले लें। कायदे कानून का जहां तक सम्बन्ध है मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह इन आर्डर है या आउट आफ आर्डर है, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय पंचायत के साथ, मेरा भी इरादा है और मेरी भी इच्छा है कि अगर कोई मुकदमा न्याय पंचायत का जिस गांव से सम्बन्ध रखता है वहीं सभी गांव वालों को अधिकार हो वहां आने का और एक ही सिटिंग में वह कार्यवाही खत्म हो जाय, तो अधिक न्यायोचित होगा, यह मैं मानता हूं। लेकिन वह तो प्रयत्न करने की बात है, कानून में उसको लाकर आप दिक्कतें पैदा करेंगे और उसको निभाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं वीरसेन जी से उसके लिए कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

जहां तक वीरसेन जी ने यह कहा कि क्लोजर जल्दी हो गया, तो मैं समझता हूं कि एक घंटे से ज्यादा समय इसमें लग गया और मैं वीरसेन और उनके साथ माननीय सदन को यह सूचना देने की आवश्यकता नहीं समझता कि आज हमें केवल यही बिल पास नहीं करना है, बल्कि ४ और बिलों को सिलेक्ट कमेटी में भेजना है। तो हम जब तक चाहें बैठें, लेकिन आज ही करना है। अगर उसका ख्याल रखकर कार्यवाही हो तो वह नामुनासिब न होगा। तो क्लोजर का मोशन जल्दी था, लेकिन गलत नहीं था।

श्री वीरसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संतोष इस बात का है कि मेरा संशोधन सैद्धांतिक रूप से सबको स्वीकार है। मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३९ विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४०

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५० का संशोधन।

४०—मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर निम्नलिखित रखा दिया जाय —

"Filling of casual vacancies.

50. (1) If a vacancy in the office of a Panch arises by reason of his death, removal or resignation it shall, subject to the provisions of section 45 be filled for the unexpired part of his tem by the prescribed authority by appointing ar person from amongst the members for the time being of the Gaon panchayat and if the Panch vacating the office was also the Sarpanch or Sahayak Sarpanch a new Sarpanch or Sahayak sarpanch, as the case may be, shall be elected in the manner provided in section 44.

(2) Any person appointed as Panch under sub-section (1) shall cease to be a member of the Gaon Panchayat from the Date of his appointment and the vacancy so caused in the Gaon panchayat shall be deemed to be a casual vacancy for the purpose of section 12-H."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४१

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में एक नयी धारा ५०-ए का बढ़ाया जाना।

४१—मूल अधिनियम की धारा ५० के बाद निम्नलिखित नयी धारा ५०-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय —

"Powers of Sahayak Sarpanch.

50-A.. The Sahayak Sarpanch shall exercise such powers of the Sarpanch as may be prescribed."

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं —

खंड ४१ में प्रस्तावित नयी धारा 50-A के अन्त में "fullstop" हटाकर शब्द "prescribed" के बाद शब्द "and delegated by the Sarpanch" जोड़ दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसमें प्रेस्क्राइब्ड होगा कि क्या-क्या अधिकार सरपंच के हैं और क्या सहायक सरपंच के हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि सरपंच को भी अगर थोड़े से अधिकार हों कि जो प्रेस्क्राइब्ड अधिकार हैं वह तो सहायक सरपंच को दे ही दिये जायेंगे, लेकिन अगर सरपंच भी चाहे कि वह अधिकार सहायक सरपंच को दे तो शायद इस ऐक्ट में उसका कोई प्राविजन नहीं है। इसलिए मेरे संशोधन के लाने का यही मतलब है कि अगर इसमें ऐसा प्राविजन कर दिया जाय तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो चीजें विजुअलाइज की गयी हैं। एक सरपंच हो, और एक सहायक सरपंच हो। प्रयत्न यह किया गया है कि सरपंच और सहायक सरपंच के पावर्स बहुत साफ-साफ डिफाइन हो जायं। अगर यह कर दिया जाय कि डेलीगेटेड पावर्स भी सहायक सरपंच काम में ला सके तो उसमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। न मालूम कितनी पावर सरपंच, सहायक सरपंच को डेलीगेट कर दे और वह कायदे के अनुसार हो या न हो क्योंकि हरएक पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती। फिर इन सब का रेकर्ड रखना होगा और कहीं प्रेसीडेन्ट ने जबानी कह दिया कि हां, तुम काम को देख लेना बाद में कह दे कि मैंने कब कहा था। तो ये तमाम दिक्कतें पैदा हो जायंगी। इतनी बड़ी यह संस्था है, ८,५०० न्याय पंचायतें हैं, कितनी दिक्कत इसमें पड़ेगी यह कहा नहीं जा सकता। इससे तो ज्यादा अच्छा यह होगा कि सरपंच अगर सहायक सरपंच को पावर डेलीगेट करना चाहता हो तो छुट्टी ले ले और सहायक सरपंच को आफिशियेट करने दे। फिर वह सरपंच के सारे पावर्स को इप्सो फैक्टो इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जोरावर वर्मा जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री जोरावर वर्मा--मेरा मतलब बीच की परिस्थिति ला देने का था। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि इससे कुछ काम्प्लीकेशंस पैदा हो जायेंगे तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय स्वशासन मंत्री ने एक संशोधन, खंड ३३ में पेश करने की सूचना दी है। मैं समझता हूं कि उसको वह इस वक्त भी पेश कर सकते हैं। अगर पेश करना चाहें तो इसके लिए वह कृपया सदन को यह बतलाने का कष्ट करें कि किस विशेष परिस्थिति में वह सामान्य प्रक्रिया को हटाकर काम करना चाहते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, इसकी कापी हमको नहीं मिली।

श्री मोहनलाल गौतम--वह तो शायद ४३ में है।

श्री उपाध्यक्ष--३३ में है।

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, फिर वह कैसे आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--इसीलिये तो मैंने कहा कि वह कृपया विशेष परिस्थिति बतलावें।

श्री मोहन लाल गौतम--अभी इसको रखा जाय। बाद में देखा जायगा।

खंड ४२

४२--मूल अधिनियम की धारा ५१ में-- यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५१ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

" (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, every criminal case triable by a Nyaya Panchayat shall be instituted before the Sarpanch of the Nyaya Panchayat of the circle in which the offence is committed :"

Act v of 1898

और

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४३

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५२ का संशोधन।

४३—मूल अधिनियम की धारा ५२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"Offences cognizable by Nyaya Panchayats.

52. (1) The following offences as well as abetments of and attempts to commit such offences, if committed within the jurisdiction of a Nyaya Panchayat, shall be cognizable by such Nyaya Panchayat—

(*a*) offences under sections 140, 160, 172, 174, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290, 294, 323, 334, 341, 352, 357, 358, 374, 379, 403, 411 (where the value of the stolen or mis-appropriated property in cases under sections 379, 403 and 411 [are concerned], does not exceed fifty rupees), 426, 428, 430, 431, 447, 448, 504, 506, 509 and 510 of the Indian Penal Code, 1860 ;

Act XLV of 1860.

(*b*) offences under sections 24 and 26 of the Cattle Trespass Act, 1871;

Act 1 of 1871

(*c*) offences under sub-section (1) of section 10 of the United Provinces District Board Primary Education Act 1926 ;

Act I of 1926

(*d*) offences under section 3, 4, 7 and 13 of the Public Gambling Act, 1867;

Act III of 1867

(*e*) any other offence under aforesaid enactments or any other enactment as may, by notification in the official *Gazette*, be declared by the State Government to be congnizable by a Nyaya Panchayat; and

(*f*) any offence under this Act or any rule made thereunder.

(1-A). The State Government may by order published in the offical *Gazette* empower any Nyaya Panchayat to take cognizance of offences under sections 279, 286, 336 and 356 of the Indian Penal Code, 1860 and may likewise withdraw any offences referred to in clauses (*a*) to (*d*) of sub-section (1) from the cognizance of Nyaya Panchats generally of such Nyaya Panchayats as may be specified."

Act XLV of 1860

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"४३—मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के भाग (a), (b), (c) व (d) निम्न प्रकार से रख दिये जायं :—

(*a*) *Under the Indian Penal Code*, 1860 :

Section 140 .. Wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman.

" 160 .. Committing affray.

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

Section	172	..	Absconding to avoid service of summons or other proceedings.
"	179	..	Being legally bound to state truth but refusing to answer questions.
"	269	..	Negligently doing any act known to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life.
"	277	..	Fouling the water of public spring or reservoir.
"	283	..	Causing danger, obstruction or injury to any public way.
"	285	..	Negligent conduct with respect to fire or combustible matter.
"	289	..	Omitting to take order with an animal in his possession so as to guard against danger to human life or grievous hurt from such animal.
"	290	..	Committing a public nuisance.
"	294	..	Obscene acts and songs etc.
"	323	..	Voluntarily causing hurt.
"	334	..	Voluntarily causing hurt on grave and sudden provocation not intending to hurt any other than the person who gave the provocation.
"	341	..	Wrongfully restraining any persons.
"	352	..	Assault or use of criminal force otherwise than on grave and sudden provocation.
"	357	..	Unlawful compulsory labour.
"	358	..	Assault or use of criminal force on grave and sudden provocation.
"	374	..	Unlawful compulsory labour.
"	379	..	Theft whwre the value of the property stolen does not exceed Rs. 50.
"	408	..	Dishonest misappropriation of property, value of which does not exceed Rs. 50.
"	411	..	Dishonestly receiving stolen property (where its valuation does not exceed Rs. 50).

Section 426 .. Mischief.

" 428 .. Mischief by killing poisioning or maiming or rendering useless any animal.

" 430 .. Mischief by doing any act which causes diminuation of supply of water for agricultural purposes.

" 431 .. Mischief by injury to public road, bridge, river or canal.

" 447 .. Criminal trespass.

" 448 .. House trespass.

" 504 .. Intentional insult, with intent to provoke a breach of peace.

" 506 .. Criminal intimidation.

" 509 .. Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman.

" 510 .. Appearing in a public place etc. in a state of intoxication and causing annoyance to any person.

(*b*) *Under Cattle Trespass Act*, 1871 :

Section 24 .. Forcibly opposing the seizure of cattle or rescuing the same.

" 26 .. Damage to land or crops or public roads by pigs or cattle.

(*c*) *Under U.P. District Board Primary Education Act*, 1926 :

Section 10 sub-section (1). Failure to cause child to attend school.

(*d*) *Under Public Gambling Act*, 1867 :

Section 3 .. Owning or keeping or having charge of a gambling house.

" 4 .. Penalty for having found in gambling house.

" 7 .. Penalty on persons arrested for giving false names and addresses.

" 13 .. Gaming and selling birds and animals to fight in public streets. Destruction of instruments of gaming found in public streets."

विधान सभा

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का तात्पर्य यही है कि अभी तक जो हमारा पंचायत-राज ऐक्ट है, उसमें वह धारायें दी हुई हैं जिनके मातहत मुकदमों की सुनवाई हमारी अदालती पंचायतें कर सकती हैं। लेकिन वह धारायें बहुत सी हैं और न्याय पंचायत के जो पंच होते हैं उनका तो कहना ही क्या, वह धारायें ऐसी हैं कि शिक्षित व्यक्ति भी अगर उसे पढ़े, तो यह अच्छी तरह से उनकी समझ में नहीं आता कि यह कौन सी धारायें हैं। मैं तो कानूनदां व्यक्तियों के लिए भी कह रहा हूं, चाहे वह वकील हों, मिनिस्टर हो या जज हों, वह भी उन सबको नहीं जानते। उनमें बहुत सी धारायें ऐसी हैं, जिनका आम तौर से कामन यूज नहीं होता है। लेकिन जब कुछ धारायें दी गयी हैं जिनके अन्तर्गत कि हमारी न्याय पंचायतों के सदस्य मुकदमें कर सकते हैं, तो उनके मस्तिष्क में यह अच्छी तरह से होना चाहिए कि जो धारायें दी गयी हैं उनसे तात्पर्य क्या है और किस जुर्म से वह सम्बन्धित है। तो मैंने इस संशोधन द्वारा, जो धारायें दी गयी हैं, उनकी परिभाषा कर दी है। यानी यह लिख दिया है कि इन सेक्शन्स में कौन से जुर्म बनते हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह भी आपके सामने कह देना चाहता हूं कि अभी तक हमारा इसके मुताबिक कोई शिडयूल भी नहीं है और परिभाषायें भी नहीं दी गयी हैं। लेकिन दूसरे जो पंचायत राज ऐक्ट्स हैं, उनमें इनका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। जैसे आपका बाम्बे पंचायत राज ऐक्ट है। उसमें जो धारायें दी गयी हैं उनके आगे उनकी परिभाषाएं दे दी गयी हैं। एक तो यह हो सकता है कि जो ऐक्ट है उसमें उन धाराओं के सामने परिभाषाएं दे दी जायं। दूसरा यह हो सकता है कि उसका शेड्यूल दे दिया जाय। लेकिन पंचायत राज ऐक्ट में ज्यादा शेड्यूल नहीं होंगे। इसलिये एक शेड्यूल देना अच्छा नहीं मालूम होता है। इसलिये जिस तरह से धाराओं के सामने परिभाषा की गयी है उसी आधारों के आगे लिख दें तो अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय वीरेन्द्रपति जी की बात सही है कि इन धाराओं का नाम लेने के बाद हर एक के दिमाग में यह नहीं आता कि यह धाराएं क्या हैं। खास कर गांव वाले जो कि धाराओं को जानते नहीं। न जिनके पास इंडियन पैनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होती है। इसलिये यह जरूरी है कि इन धाराओं का जिक्र हो। लेकिन जिस रूप में यहां दिया गया है अगर यह रखा जाय तो उसकी भाषा नहीं है। या तो पूरी भाषा हो जिसके मानी यह हैं कि सेक्शन ४० में क्या है। इसलिये यह काफी नहीं है। मैं माननीय वीरेन्द्रपति यादव की सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि जो पंचायत राज मैनुअल है जिसमें सब हिदायतें दी हुई हैं उसमें इन धाराओं का पूरी तरह से विवरण दिया हुआ है जो कि न्याय पंचायत के पास एक एक प्रति है। वह पहले ही चूंकि मैनुअल में दिया हुआ है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको वह वापस ले लें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन वापस लेने से पूर्व मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैनुअल में दिया हुआ है यह बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मैनुअल में न दें और शेड्यूल दे दिया जाय, पंचायत-राज ऐक्ट में क्योंकि न्याय पंचायत को ऐक्ट की भी जरूरत है और मैनुअल की भी जरूरत है। इसलिये अगर वह वहां पर संशोधन न करें तो शेड्युल में दे दिया जाय। इसी तरह से सी० पी०, बम्बई, देहली और पेप्सू में भी है।

श्री मोहनलाल गौतम--शेड्यूल तो यहां से पास करना ही पड़ेगा और शेड्यल, एक ऐक्ट का हिस्सा होगा जैसे कि शेड्यूल्स संविधान में दिये हुए हैं। तो इसके मानी यह होंगे कि यहां उसकी भाषा पर विचार करना पड़ेगा और मैनुअल की कापियां सभी न्याय पंचायतों के पास हैं। चाहे ऐक्ट न हो मैनुअल जरूर होगी, जिनको यह काम करना है। इसके बाद अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो मैं श्री वीरेन्द्रपति यादव के सुझाव पर विचार जरूर करूंगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--चूंकि मंत्री जी कहते हैं इसलिये कठिनाइयों को बरदाश्त करेंगे। इसलिये मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

खंड ४३ में प्रस्तावित धारा 52 की उपधारा (1) के भाग (a) में भारतीय दंड विधान (I. P. C.) की लिखित धाराओं में से धारायें "374, 379 और 411" निकाल दी जाय।

इसके नीचे जो मेरा संशोधन दिया हुआ है, वह उसके आगे होगा, तभी यह पूरा होता है।

खंड ४३ में प्रस्तावित धारा 52 की उपधारा 1-A (I) में भारतीय दंड विधान (I. P. C.) की लिखित धाराओं में धारायें "374, 379, और 411" जोड़ दी जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में यह कहना है कि यह जो धारा ३७४ है यह बेगार के बारे में है। अभी पिछले साल जब न्याय पंचायतों ने या हमारे पंचायत राज ने इस प्रकार का काम किया है और अभी तक जो परिस्थिति है उसमें हमने यह देखा कि देहात में जो सबल लोग लोगों से बेगार लेते हैं, जो कि ग़रीब हैं, वह कहीं जा कर अपनी शिकायत नहीं कर सकते हैं। इस ऐक्ट में इस धारा को रखने के कारण बड़ा उसका दुरुपयोग किया गया है। अब भी देहातों में देखा जाता है कि जो गरीब और वह गरीब जो हरिजन और अछूत हैं उनसे गांव के बड़े लोग या पहले जो जमींदार थे जो शक्तिशाली हैं, वह हरिजनों से अब भी बेगार लेते हैं। इस ऐक्ट में इस धारा के होने के कारण वे मजबूर हो जाते हैं कि वे कहीं और शिकायत न करें बल्कि उसको न्याय पंचायत में लावें। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् ही इसको सोचें कि जो आदमी बेगार ले और उन्हीं की अदालत में जो बेगार लेता है प्रार्थना की जाय तो कहां तक न्याय पा सकता है। जब से स्वराज्य हो गया है हरएक आदमी समझता है कि कोई किसी के दबाव में नहीं है इसलिये जो लोग पहले बेगार देने में हिचकते थे वे अब बेगार देने में अपने साथ बेइंसाफी समझते हैं और साथ ही साथ अपनी बेइज्जती समझते हैं। इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो दफा ३७४ है न्याय पंचायतों को जो अधिकार देने जा रहे हैं उसमें से निकाल कर जो विशेष पंचायतों को अधिकार दिये जाने वाले हैं जिसमें विशेष धारायें हैं उसमें अगर उसको रक्खा जाय तो अधिक अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक दूर न जा कर लखनऊ का उदाहरण दे दूं। मलिहाबाद तहसील में माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि एक हरिजन ने बेगार नहीं दी तो परिणाम यह हुआ कि भूतपूर्व जमींदार ने कुछ गुंडों को इकट्ठा करके उसके घर में आग लगवा दी, उस पर हमला कर दिया, उसकी औरत की बेइज्जती की और उसको उठा कर पता नहीं कहां ले गये। ऐसे ही बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूं। इस धारा से गरीब लोगों के साथ बड़ा अन्याय, अत्याचार और जुल्म होता है। जो लोग बेगार लेते हैं वे या तो खुद ही न्याय पंचायतों में होते हैं और अगर नहीं हैं तो कम से कम उनका असर उन पंचों पर होता है और फिर जब इस ऐक्ट में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का बोलबाला है तो फिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास दौड़ कर वे ऐसे ही लोगों को निकलवा देंगे जो ग़रीब हैं और बेगार देने से इंकार करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो धारा है उसको इसमें से निकाल दिया जाय।

जो दूसरी धारा ३७९ है उपाध्याक्ष महोदय, वह यह है कि ५० रु० तक की चोरी हो तो न्याय पंचायत के सामने लायी जाय। यह भी गरीब लोगों से संबंधित है। जो लोग अन्याय और अत्याचार करते हैं जब वह देखते हैं कि किसी तरह से गरीब लोग उनके दबाव में और कब्जे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में नहीं आते और बेगार नहीं देते उनके यहां वे चोरियां करवा देते हैं। चोरियां तो सैकड़ों की होती हैं। लेकिन उसको यह कहने के लिये मजबूर करेंगे कि ५० रु० की चोरी हुई, इसलिये उनको न्याय पंचायत में आना चाहिये। इस तरह से इस धारा का दुरुपयोग हो सकता है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, धारा ४११ है। जो लोग डाकू, चोर या बदमाश होते वे इतना बड़ा जुर्म नहीं करते जितना बड़ा कि वे लोग करते हैं जो कि उनको पनाह देते हैं और जो डकैती और चोरी का माल गलाते हैं। गरीब लोग इतने बड़े माल को कैसे गला सकते हैं। ऐसे लोग इने गिने ही होते हैं जो बड़ी-बड़ी रक़में हज्म कर जाते हैं। आजकल थाने की भी परिस्थिति से उपाध्यक्ष महोदय आप अपरिचित न होंगे, इस सदन में उसका कई बार ज़िक्र हो चुका है। वहां हजारों की प्रापर्टी को सैकड़ों में लिख दिया जाता है और सैकड़ों की प्रापर्टी को दस रुपये में। यह उनके हाथ की बात है। ये तीन धारायें विशेष कर ग़रीब लोगों से संबंधित हैं। उनके साथ उनके जरिये अन्याय हो सकता है। लिहाजा उनको निकाल दिया जाय। यद्यपि जो और लोग हैं उनको भी कई तरह से परेशान किया जाता है क्योंकि उनके साथ कोई बदमाश नहीं रहते हैं। उनकी प्रापर्टी हजारों रुपये की चोरी कर ली जाती है और उनके यहां डाका डाला जाता है। इसलिये कम से कम जो ग़रीब जनता है उनकी रक्षा के लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यह तीन धारायें निकाल दी जायं और बाक़ी धारायें पंचायतों को दे दी जायं। इनके लिये उनके पास विशेष अधिकार रहें जब जरूरत समझें उनको काम में लायें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी जो मिसालें दी गयीं वह तो कुछ हम लोगों के समाज से संबंध रखती हैं और अगर यह धारायें इसमें से निकाल दी जायं तो बहुत सी बातें जो जोरावर जी ने कही वह तो जब तक समाज का स्तर नीचा रहेगा तब तक रहेंगी। इसलिये कानून कुछ भी हो उनका इलाज उन धाराओं के निकालने से नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि अगर न्याय पंचायतों को रखना है तो उनके पास कुछ अधिकार तो होने ही चाहिये। अगर उनके पास अधिकार रहेगा तो उनका मिसयूज़ हो सकता है या नहीं यह दूसरी बात है। हो सकता है कि कहीं पर ज्यादती हो। मैं जब उसकी रोकथाम करने की कोशिश करता हूं तो प्रेस्काइब्ड अथारिटी बीच में आ जाती है तो दिक्कत पैदा हो जाती है। इस वास्ते अगर इन धाराओं को उसमें से निकाल दिया जाय तो फिर उनके पास कोई काम नहीं रह जायगा। मेरा ख्याल यह है कि गरीब आदमियों को कचहरी के मुकाबले में न्याय पंचायत में ज्यादा न्याय मिल सकता है। क्योंकि मुक़दमा लड़ने के लिये पैसे की ज़रूरत है। न्याय पंचायत से उनको सही न्याय मिल सकेगा और अदालत में जाकर न्याय पाना उनके लिए मुश्किल हो जायगा। तो उन ग़रीबों के बूते की बात यह नहीं रह जायगी। इसलिये ग़रीबों के हित के लिये यह ज़रूरी है कि इन धाराओं को उसमें रखा जाय।

श्री जोरावर वर्मा—चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि अगर इन धाराओं को उसमें से निकाल दिया जाय तो शायद न्याय पंचायतों का जो दायरा है वह बहुत कम हो जायगा। दूसरे उन्होंने जो यह बताया कि गरीबों को अदालत में जाकर न्याय पाना मंहगा पड़ेगा तो इस बात को तो मैं भी जानता हूं लेकिन इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी इस बात को भी ध्यान रखेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि अगर यह विशेष अधिकार के रूप में उनके पास रहे तो ठीक था लेकिन अब मंत्री जी कहते हैं कि न्याय पंचायतों का दायरा संकुचित हो जायगा और उनके पास कुछ काम नहीं रह जायगा। इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४४

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५३ का निकाल दिया जाना।

४४—मूल अधिनियम की धारा ५३ में निम्नलिखित नवीन उपधारा (३) के रूप में बढा दी जाय—

"(3) If the person required to execute a bond as aforesaid under sub-section (2) fails to do so, he shall be liable to pay a penalty up to five rupees as the Bench may fix for every day the default continues during the period fixed in the order."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४५

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५४ का संशोधन।

४५—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के अन्त में फुल-स्टाप के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय—

"Provided that no accused shall be tried for more than three offences in the same criminal case and the fine that may be imposed on any one accused in a criminal case shall not in the aggregate exceed one hundered rupees."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५५ का संशोधन।

४६—मूल अधिनियम की धारा ५५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Cognizance of(civil)cases

55. (1) After a Nayaya Panchayat has been established for any area, no court except as otherwise, provided in this Act shall take cognizance of any case triable by such Nayaya Panchayat.

(2) When a Nayaya Panchayat is suspended, superseded or dissolved under section 95, or for any other reason ceases to function, all cases pending before it shall stand tranferred to the court of competent jurisidition which shall dispose them of according to law :

Provided that the trial of all such cases in court shall commence *de navo* ;

Provided further that a Nayya Panchayat shall not be deemed to cease to function merely for the reason that its Panches have to re-elected.

(3) Notwithstanding anything contained in section 52 and in sub-section (1) of this section any court may take cognizance of any offence under sections 431 and 447 of the Indian Penal Code, 1860 if it is otherwise competent to do so.

Act XLV of 1860

(4) Notwithstanding anything contained in section 52 and sub-sections (1) to (3) of this section but subject always to the provision of the Code of Act V of 1898. Criminal Procedure, 1898, where any court has taken cognizance of any offence referred to in the said sections and a summons or warrant, as the case may be, has issued for the appearance of the accused in such case, the offence may be enquired into and tried by such court."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४७

४७—मूल अधिनियम की धारा ५६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५६ का संशोधन।

56. A Court, if it finds that case a is triable by a Nayaya Panchayat shall, except as provided in sub-section (4) of section 55 tranfer the case to the Nayaya Panchayat of competent juisridiction, which shall thereafter try the same *de navo*."

"Transfer of cases by courts to Nyaya Panchayats,

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४८

४८—मूल अधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५८ का संशोधन।

58. If at any time it appears to a Nayay Panchayat—

"Transfer of cases by Nyaya Panchayat to courts,

(*a*) that it has no jurisdiction to try any case pending before it,

(*b*) that the offence involved is one for which it cannot award adequate punishement, or

(*c*) that the case should otherwise be tried by a court ; it shall tranfer the same to the court of competent jurisdiction and shall give infomation of such tranfer to the parties concerned."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४९

४९—मूल अधिनियम की धारा ५९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५९ का संशोधन।

59. No Nayaya Panchayat shall take cognizance of any criminal case against a person where such person—

"Certain persons not to be tried by Nyaya Panchayats

(*a*) has been previously convicted of an offence punishable with imprisonment of either description for a term of three years or more,

(*b*) has been previously fined for theft by any Nayaya Panchayat,

(*c*) has been bound over to be of a good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898, — Act V of 1898

(*d*) has been previously convicted under the Public Gambling Act, 1867, or — Act III of 1867

(*e*) is a public servant."

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ४९ में प्रस्तावित नई धारा 59 की उपधारा (e) निकाल दी जाय। जब न्याय अदालत हर किसी को ट्राई कर सकती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि पब्लिक सर्वेंट को क्यों अलहदा रखा गया है। यह अदालत की शान के खिलाफ है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेंद्रशाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मंत्री जी ने कहा था कि अगर इसमें से, जो दफायें निकालने के लिये मैंने कहा था वे निकाल दी जावेंगी तो न्याय पंचायतों का दायरा बहुत ही कम हो जायगा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पब्लिक सर्वेंट को निकालने से भी उनका दायरा बहुत संकुचित हो जाता है। पब्लिक सर्वेंट को क्यों इस बात से वंचित रखा जा रहा है कि वह उन अदालत से न्याय प्राप्त न कर सकें? हमारी सरकार को इन न्याय पंचायतों पर विश्वास करना चाहिये और वास्तव में अगर वह उनको न्याय पंचायत बनाना चाहती है और डेमोक्रेसी पर अगर हमें विश्वास करना है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस संशोधन को मान लें। हमें जनता में विभाजन नहीं करना है।

श्री शिवनारायण--मैं राजा साहेब के संशोधन का समर्थन करता हूं। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को न्याय पंचायत के दायरे से निकाल देंगे तो वहां गांवों में सेक्रेटरी और इंसपेक्टर मनमानी करेंगे। यह संशोधन बहुत सुन्दर है कि हर आदमी डेमोक्रेसी में गांव में बराबर होना चाहिये। जज जज ही है चाहे वह हाई कोर्ट का हो या गांव का हो।

यह उचित बात है और मैं चाहता हूं कि सरकार अगर अपने प्रदेश में और शासन में न्याय चाहती है और चाहती है कि अपने प्रदेश के शासन प्रणाली की प्रेस्टीज ऊंची हो तो गांव पंचायतों को अधिक अख्तियारात दिये जायं तो गांवों के वे लोग जो आजकल निरक्षर भट्टाचार्य कहलाते हैं वह अदालत में बैठे और विक्रमादित्य की तरह न्याय करें। वीरसेन जी का अमेंडमेंट तो वसीअ था लेकिन उसके एवज में यह अमेंडमेंट छोटा सा है और बहुत ही सुन्दर है। हर आदमी को उचित ढंग से नापा जाना चाहिये और न्याय पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी प्रेस्टीज को देखते हुए अधिकार भी उनको दिये जायं तो बहुत मुनासिब होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह--उपाध्यक्ष महोदय पब्लिक सर्वेंट को न्याय पंचायतों के सामने आने का मौका देने से बहुत ही अच्छा होगा और वह भी समझ सकेगा कि उसके ही भाइयों का न्याय कैसा होता है। उसको यह भी समझ में आयेगा कि लोगों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये। क्योंकि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने जा रहे हैं इसलिये उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू--मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह कहना कि पब्लिक सर्वेंट्स को न्याय पंचायतों के सामने जाना चाहिये वह ठीक नहीं मालूम होता क्योंकि आप दफा ५९ में देखेंगे उसके अन्तर्गत ऐसे लोग आते हैं जिनका जुर्म ज्यादा संगीन है या उनको ज्यादा

सजा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मामलों को पंचायतों के सामने नहीं रक्खा गया। पंचायतों के सामने वही मामले रक्खे गये हैं जिनकी ज्यादा अहमियत नहीं है और जिनमें कम सजा दी जाती है तथा जिनको छोटे छोटे मामले कहा जा सकता है। चूंकि पब्लिक सर्वेंट का मामला एक संगीन मामला होता है मामूली आदमी जो काम करता है अगर वही जुर्म पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसको ज्यादा संगीन समझा जाता है इसलिये उसका मामला जाप्ते की कचेहरी में जाना चाहिये जहां उसको आगे अपील करने आदि की गुंजाइश हो। दूसरे ऐसी अदालत में होना चाहिये जहां वह असर न डाल सकता हो। फिर पब्लिक सर्वेंट को केवल सजा हो यही नहीं है उसकी नौकरी का भी मामला आता है इसलिये उसकी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिये ऐसे मुकदमें जाप्ते की कचहरी में ही जानी चाहिये जिसकी अपील हो सके और बाकायदा कार्यवाही हो सके। इन बातों को देखते हुए पब्लिक सर्वेंट को पंचायत अदालतों के सामने न रखना चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वाद विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†**राजावीरेन्द्र शाह**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को हमारे शिवनारायण जी ने पसंद किया लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि काटजू साहब ने उसका विरोध किया। श्रीमन् हम नहीं चाहते कि पब्लिक सर्वेंट को ऐक्जेम्प्ट किया जाय। अगर ऐसा होगा तो लोगों को यह ख्याल हो जायगा कि गांव पंचायतों के सामने उनको एक्जेम्प्ट कर दिया गया है। जहां तक संगीन मामलों का प्रश्न है वह तो कलेक्टर अपने आप ही न आने देगा। एक तो पब्लिक सर्वेंट वैसे ही गिरफ्त में कम आते हैं लेकिन अगर गिरफ्त में आ भी जाते हैं तब भी उनके ऊपर कोई मामला चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं यह समझता हूं कि जब ये पब्लिक के ही बनाये हुए आपही के बनाये हुए न्यायालय हैं तो उनके सामने पब्लिक सर्वेंट को क्या आपत्ति हो सकती है। श्रीमन्, जहां तक संगीन मामले की बात है अभी भी कलेक्टर व एस० डी० ओ० को इस बात का अख्तियार है कि वे ऐसे संगीन मामले पंचायतों में भेजने के बजाय कोर्ट में भेज सकते हैं और इस तरह से उनका एक्जेम्पसन हो जाता है। फिर इसमें एक्जेम्प्ट करने की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरा संशोधन मंजूर करने के लिये तैयार हैं और मैं पहले ही से उनको बधाई देने के लिये तैयार हूं।

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृष्ण शंकर)--यह जो राजा साहब ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट पंचायतों के सामने आयेंगे तो उनकी तौहीन होगी, ऐसा ख्याल नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं सिविल और रेवेन्यू के मुकदमें तो कोर्ट में जाते ही हैं। यहां क्रिमिनल केसेज की बात है। गांव के अन्दर बहुत से थाने ऐसे हैं जहां शायद म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया नहीं है। फर्ज कीजिये कि वहां कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार या थानेदार तफतीश करने के लिये आता है तो उसके लिये मुश्किल हो जायगा, क्योंकि हो सकता है कि गांव पंचायत के कुछ पंचों के खिलाफ ही तफतीश हो तो इस्तगासा दायर हो सकता है कि दारोगा जी को हटा दिया जाय। इस तरह से नहीं न्याय होना चाहिये वहां अन्याय बढ़ जायगा और जो सरकारी काम होता है उसमें अड़चनें पड़ जाने का अन्देशा है। यह कहा गया कि ४७९, ४११ को हटा दीजिये। तो उसका मिसयूज हो सकता है। इतना बड़ा अख्तियार पंचायतों को दे दिया जाय तो हो सकता है कि अदालती पंच इसका मिसयूज करें। इसमें यह

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृपा शंकर]

ख्याल नहीं है कि इससे पब्लिक सर्वेंट की बेइज्जती होगी या उसकी तौहीन होगी । बल्कि यह तो इसलिये है कि हो सकता है कि उनके काम में कोई दिक्कत पड़ जाय मुझे आशा है कि प्रस्तावक महोदय इसको वापस ले लेंगे ।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब से प्रस्तावक महोदय ३ मिनट बोलें और जो सेंकेडर या विरोधी हों वे २ मिनट बोलें । मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं इसका विरोध करता हूं । श्रीमन् जब यह तय है कि आज ही एसेम्बली का काम खत्म करना है तो फिर आपको क्या अख्तियार है इस तरह का प्रस्ताव पेश करें ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ में प्रस्तावित नई धारा 59 की उपधारा (e) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री शिव नारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर आपका निर्णय हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—निर्णय तो सदन को करना है ।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री शिवनाथ काटजू—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । अगर राजा साहब रात के १२ बजे तक बैठना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में न तो राजा साहब बैठने के लिये तैयार हैं और न हम लोग बैठने के लिये तैयार हैं ।

राजा वीरेन्द्रशाह—अभी तो समय की कोई चर्चा नहीं है, जब मौका आयेगा तो देखा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये पहले हमें देखना है कि कितना काम चल जाता है । बाद में इस पर विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न यह है कि खंड ४९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५०

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६० का संशोधन ।

५०—मूल अधिनियम की धारा ६० में :—

(१) खंड (*a*) के अन्त में शब्द "and" को निकाल दिया जाय ।

(२) खंड (*b*) के स्थान निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(*b*) in the payment to any person of compensation for any material loss or injury caused by the offence, or,"

(३) खंड (*b*) के बाद निम्नलिखित खंड (*c*) के रूप में रख दिया जाय:—

"(*c*) in compensating any *bona fide* purchaser of stolen property for loss of the same, where properly is restored to the possession of the person entitled thereto."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यदि अनुचित न हो तो ७६ खंड से पहले कोई संशोधन आने को नहीं है, उन सबको वैसे ही पढ़ दिया जाय और प्रश्न उपस्थित कर के खत्म कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इसी तरह क्रम से चलने दीजिये।

खंड ५१

५१—मूल अधिनियम की धारा ६१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६१ का संशोधन।

"Compensation to the accused."

"61. (1) If in any criminal case instituted before a Nyaya Panchayat any person is accused of any offence triable by a Nyaya Panchayat and the Nyaya Panchayat acquits the accused and is of the opinion that the accusation against him was false and either frivolous or vexatious, the Nyaya Panchayat may, call upon the complainant forthwith to show why he should not pay compensation to such accused.

(2) If after hearing the complainant, the Nyaya Panchayat is satisfied that the accusation was false and either trivolous or vexatious it may direct that compensation not exceeding twently five rupees be paid by such complaintant to the accused."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५२

५२—मूल अधिनियम की धारा ६३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६३ का संशोधन।

Act V of 1898 "Enquiry in cases forwarded by magistrates.

63. Notwithstanding anything in the Code of Criminal Procedure, 1898 a Magistrate may direct an enquiry referred to in section 202 of the Code to be made by a Nyaya Panchayat is a criminal case in which the offence was committed within the territorial jurisdiction of such Nyaya Panchayat and the Nyaya Panchayat shall enquire into the case and submit its report to the said Magistrate. On the receipt of the directions the Sarpanch or Sahayak Sarpanch and in their absence the Panch mentioned in section 75, shall entrust it to a Bench formed under section 49."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५२ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—जितने खंड हैं वह सर्वसम्मति से पास हो जायं, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है।

खंड ५३

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६४ का संशोधन।

५३—मूल अधिनियम की धारा ६४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"Extent of jurisdiction in civil cases.

64. (1) Subject to the provisions of section 66 a Nyaya Panchayat may take cognizance of any civil case of the following description if its value does not exceed one hundered rupees—

(*a*) a [suit] civil case for money due on contract, other than a contract in respect of immovable property;

(*b*) a civil case for the recovery of movable property or for the value thereof ;

(*c*) a civil case for compensation for wrongfully taking or injuring a movable property ; and

(*d*) a civil case for damages caused by cattle trespass.

(2) The State Government, may by notification in the official *Gazette* direct that the jurisdiction of any Nyaya Panchayat shall extend to all such civil cases of the value not exceeding five hundred rupees."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५४

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६५ का निकाला जाना।

५४—मूल अधिनियम की धारा ६५ निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५५

यू० पी०ऐक्ट, २६, १९४७ की धारा ६६ का संशोधन।

५५—मूल अधिनियम की धारा ६६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"Exclusion of Nyaya Panchayats' Jurisdiction.

66. Subject to the provisions of section 64, a Nyaya Panchayat shall have no jurisdiction to take cognizance of the following civil cases.—

(1) a civil case for a balance due on partnership account, except where the balance has been struck by the parties or their agents ;

(2) a civil case for a share or part of a share under an intestacy or for a legacy or part of a legacy under a will ;

(3) a civil case by or against the State Government of the Central Government or a public servant for acts done in his official capacity ;

(4) a civil case by or against a minor or a person of unsound mind ; and

(5) a civil case the cognizance of which by a Panchayat established under the U. P. Village Panchayat Act, 1920 is barred by section 25 of the United Provinces Debt Redemption Act, 1940." U. P. Act. VI of 1920. U.P. Act. XIII of 1940.

श्री राम कृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५५ में प्रस्तावित धारा 66 की उपधारा (5) के बाद निम्नलिखित उपधारा (6) बढ़ा दी जाय—

"(6) A civil case by the owner of the dead animals for payment of the cost of the hide, against a person who removes or flays carcases"

यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने आजादी के बाद सोचा था कि जितनी सामाजिक बुराइयां हैं वह जल्द खत्म हो जायंगी और जब पंचायत राज की स्थापना हुई थी तब हम लोगों ने सोचा था और हमारी आशा थी कि देश से अमीर गरीब और ऊंच नीच का भेद भाव खत्म हो जायगा और एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण न होगा। इस सूबे में और प्रायः पूर्वी जिलों में देखा जाता है कि वहां चमार आमतौर से मरे हुए जानवरों को उठाते हैं और उनको साफ करते हैं और इस तरह से वह समाज की एक बहुत भारी सेवा करते हैं। पूर्वी जिलों में बजाय इसके कि उनको इस मवेशी उठाने की कोई मजदूरी (मुआवजा) मिले उनको किसी तरह का मुआवजा इस काम के लिए देने के बजाय उनसे उल्टा चरसा या लगान एक तरह से लेते हैं। पहले तो कोई कस्टमरी राइट नहीं था लेकिन जब से अदालती पंचायत हुई है वहां सब जातियों के मृतक मवेशी चमारों द्वारा ले जाने पर मालिक मवेशी द्वारा उसके एवज में चमारों से जबरदस्ती १५–२० रुपया के हिसाब से चमारों पर दावा करते हैं।

(इस समय ३ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस प्रकार उनका शोषण हो रहा है। इसमें विशेष कहने की जरूरत नहीं है। समय बहुत कम है। हम लोगों ने इस बात के लिए तमाम लिखा-पढ़ी की। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को मान लें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का कोई झगड़ा गांव में हो जिनसे किसी एक विशेष समुदाय पर जुल्म होता है, अन्याय होता है तो इस बात में दो रायें नहीं हो सकती हैं, उन्हें न्याय प्राप्त होना चाहिये। इसको मानने में मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। यह किस तरह से वर्क करेगा यह मेरे दिमाग में अभी साफ नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस समय इसको वापस कर लिया जाये और जो डिफीकल्टीज आयेंगी उन सब डिफीकल्टीज को दूर किया जाय। इसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। इसमें अभी कई सवालात हो सकते हैं। एक यह हो सकता है कि जिन लोगों को उठाने का अधिकार था उनके अधिकार नहीं दिये हुए हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस वक्त इसको वापस ले लें और जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको रोका जाये।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन के प्रस्तावक का मतलब है वह मैं यह समझता हूं कि यह मुकदमे पंचायती अदालत में नहीं आ सकते हैं उनके इस संशोधन से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इसको स्वीकार भी कर लें तो भी उनको यह सिविल राइट रहेगा कि

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

यह मुकदमे पंचायतों में न होकर अदालतों में होंगे। इसलिये मुनासिब यह होगा कि जिस प्रकार वह चाहते हैं उसको दूसरी तरह सदन में उपस्थित करें। यहां पर इसका रखना अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय इसको वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री रामकृष्ण जी ने रक्खा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी तक पंचायत राज ऐक्ट में ऐसी कोई धारा नहीं थी जिससे जो खास तौर से हमारे वर्ग के जो चमार कहलाने वाले लोग हैं जो मरे हुए पशुओं की खाल अलग करते हैं और दूसरे लोगों से झगड़े होते हैं उसका कोई प्रावीजन इसमें नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह देखा गया है कि इस प्रकार के झगड़े आये लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। जो संशोधन रक्खा गया है वह इसीलिये रक्खा गया है। चमार से झगड़ा हो या न हो लेकिन जिन लोगों के पशु होंगे वह उनसे बेगार में काम करायेगा और उनकी मर्जी के अनुसार काम करे। यदि वह किसी की खिलाफत करता है तो अभी तक देखा गया है कि उनके खिलाफ न्याय पंचायतें जिनमें ऐसे लोगों का बहुमत है जिनसे उन लोगों के साथ जो चमारी का काम करते हैं—न्याय होने की कम सम्भावना है। इसको माननीय मंत्री जी इस वक्त स्वीकार कर लें तो अधिक अच्छा होगा और जो लोग शताब्दियों से नहीं हजारों वर्षों से दबे हुए हैं और किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को उठाना चाहते हैं तो उनके साथ न्याय होगा।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस तजवीज की ताईद में खड़ा हुआ हूं। जहां तक मुर्दा जानवरों के उठाने का सम्बन्ध है और दूसरी ऊंची जातियों का उससे सम्बंध है, मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां पिछले दिनों कितने ही केसेज इस किस्म के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के नजदीक में हुए। वहां पर उन लोगों को बहुत परेशान किया गया क्योंकि पंचायती अदालतों में ऊंची जाति के लोग होते हैं और उन्हीं के आदमियों ने उनको वहां ले जाकर उनके ऊपर जुर्माना कराया और उनको कष्ट पहुंचाया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। मैं कभी-कभी इलाहाबाद चला जाता हूं वहां मुझे इस तरीके की चीजें कई मर्तबे देखने में आईं और इस तरह की शिकायतें मिलीं। ऐसी अवस्था में बहुत सी जगहों से इस तरह शिकायतों का मिलना यह जाहिर करता है कि उनके साथ में इस तरह का जो व्यवहार होता है वह नामुनासिब है। जिस काम को वह कहते हैं उसको तो वह कर ही रहे हैं लेकिन उसके लिये नाना प्रकार से उनको तंग करना मुनासिब नहीं है। उनसे बेगार के रूप में काम ही नहीं लिया जाता है बल्कि कहीं कहीं पर तो काम भी वह करें और उनसे पैसा भी ले लिया जाता है और फिर इसके बावजूद भी लोग इनसे संतुष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अदालती पंचायत में एक दरख्वास्त भेज दी और उस पर जजमेंट करा दिया, इस तरह से उनको तंग करना मुनासिब नहीं है।

मैं कहता हूं कि यदि मंत्री जी इसको तस्लीम करते हैं कि एक वर्ग के लोगों को तकलीफ पहुंचायी गयी है और जो फैसले किये जाते हैं उनमें यह पता ही नहीं लग पाता कि गवाही हुई या नहीं हुई। यह मैं मानता हूं कि अदालती प्रोसीजर जो है वह अब एडाप्ट किया गया है और जो गवाही देने के लिये आयेंगे उनको रिकर्ड किया जायगा, उनके दस्तखत होंगे लेकिन वह कागजात भी सब गायब कर दिये जाते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें ताकि वह लोग इस तरह के अन्याय से बच सकें और उनकी प्रोटेक्शन हो सके।

श्री रामकृष्ण जैसवार--अध्यक्ष महोदय, हमने समझा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जमींदारी समाप्त हो गयी है परन्तु अब भी गांवों में एक बहुत बड़ी जमींदारी है कि अगर वह जबर्दस्ती बेगार नहीं करते हैं तो वह दबाव में रहते हैं और हरएक बड़ी कौम के लोग दावा करके चमड़ा वसूल करना शुरू कर देते हैं। मैंने इसके लिये बड़ी कोशिश की, कई प्रस्ताव भी पास किये और उस पर आश्वासन भी दिया गया था कि व्यवस्था हो जायगी लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सरकार चाहती है कि चमार गुलामी की जंजीर में ही जकड़े रहें। वह नहीं चाहती है कि वह लोग भी औरों की बराबरी में आवें। मैं तो यह चाहता था कि उन लोगों को राहत मिलती और उनके साथ जो जबरदस्ती हो रही है वह भी बन्द हो जाती। लेकिन माननीय मंत्री जी अगर आश्वासन देंगे तो मैं इसको वापस ले लूंगा या जो कुछ उचित होगा करूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके इम्प्लीकेशन्स समझ करके इसमें जितना भी मुझसे हो सकता है मैं सहायता करने की कोशिश करूंगा और मैं आशा करता हूं कि इसको वापस ले लें।

श्री रामकृष्ण जैसवार--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री के आश्वासन देने पर हम इस संशोधन को वापस लेते हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५६

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६७ का संशोधन।

५६--मूल अधिनियम की धारा ६७ की उपधारा (२) में शब्द "portions of it" के स्थान पर शब्द "portions of his claim" और शब्द "of the" तथा "so omitted" के बीच में आया हुआ शब्द "portions" के स्थान पर शब्द "portion" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव नारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो माननीय सदस्य संशोधन पेश करें वे ३ मिनट बोलें और जो समर्थन करें वे २ मिनट बोलें। क्योंकि आज ही बिल को पास करना है और समय ५५ मिनट हमारे पास रह गया और ४ बिल और इन्ट्रोडयूस करने हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं इस तरह की कार्यवाही करने का निश्चय करके आया हूं। यह विधेयक आज समाप्त होना चाहिये यह सदन स्वयं निश्चय कर चुका है। इसलिये ४-४० मिनट तक संशोधनों पर विवाद हो सकेगा। उसके बाद मैं नाम पुकारता जाऊंगा जो माननीय सदस्य किसी संशोधन को चाहते हैं कि उसके ऊपर राय ली जाय तो सिर्फ वे खड़े होंगे और फिर तुरन्त अपने स्थान पर बैठ जायेंगे, बोलेंगे नहीं। इसके बाद मैं स्वशासन मंत्री जी से पूछूंगा कि क्या संशोधन को वे स्वीकार करते हैं? वे भी भाषण न देकर या तो स्वीकार करते हैं या नहीं इतना ही कह कर बैठेंगे। इस तरह से जितने संशोधन बाकी रह जायेंगे, जितने प्रस्ताव बाकी रह जायेंगे उन संशोधनों को मैं समय के अन्दर ही समाप्त कर दूंगा और इस बीच में जो थोड़ा सा सुझाव किया गया है समय निर्धारित करने के बारे में समझता हूं उसको माननीय शिवनारायण जी वापस ले लेंगे।

श्री शिवनारायण—आपकी इजाजत से मैं वापस लेता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि सिर्फ ७६ खंड में हमारा संशोधन है वह ले लिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—कम बोलिये।

श्री अध्यक्ष—थोड़ा सा नियंत्रण हर एक को करना चाहिये। यह तो नहीं हो सकता कि आप ही का संशोधन ले लें और आप ही सबसे ज्यादा संशोधन उपस्थित करें।

खंड ५७

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६८ का संशोधन।

५७— मूल अधिनियम की धारा ६८ के अंत के फुलस्टाप (full stop) के स्थान पर कोलन (colon) रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"Provided that in computing the period of limitation prescribed for any civil case the time during which the plaintiff has been prosecuting with due deligence another civil case against the defendant in any court, shall be excluded where the civil case is founded upon the same cause of action and was prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or cause of like nature was unable to entertain it."

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, संशोधन की भाषा में थोड़ी सी दिक्कत थी इसलिये रीड्राफ्ट कर दिया है और वह अब इस प्रकार है :—

"खंड ५७ के अधीन धारा 68 के प्रस्तावित प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखत रख दिया जाय—

"Provided that in computing the period of limitation prescribed for any civil case the time during which the plaintiff has been prosecuting with due deligence another civil case against the defendant in any court shall be excluded where the other case is founded upon the same course of action and is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it."

श्री अध्यक्ष—इसमें आपने 'civil case' की जगह 'other case' कर दिया है। खाली इतना चेंज किया है।

प्रश्न यह है कि खंड ५७ के अधीन धारा 68 के प्रस्तावित प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided that in computing the period of limitation prescribed for any civil case the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil case against the defendant in any court shall be excluded where the other case is founded upon the same cause of action and is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५८

५८—मूल अधिनियम की धारायें ७०, ७१ और ७२ निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारायें ७० से ७२ तक का निकाला जाना।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५९ और ६०

५९—मूल अधिनियम की धारा ७४ में शब्द "case, suit or proceeding" जहां कहीं वे आये हों, के स्थान पर शब्द "criminal case, civil case or revenue case" रखे जायेंगे।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७४ का संशोधन।

६०—मूल अधिनियम की धारा ७४ के बाद निम्नांकित को धारायें ७४—ए और ७४—बी के रूप में बढा दिये जायें:—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में धारायें ७४-ए और ७४—बी का बढ़ाया जाना।

Trial when cause of action in a civil case or revenue case arises in circles more than one.

74-A. Section 10 of the Code or Civil Procedure, 1908 shall apply to trial of revenue cases and civil cases pending before two or more Nyaya Panchayats having jurisdiction.

"Trial where scene of offence is uncertain or not in one circle only or where offence is a continuing one or consists of several acts.

74-B. Where it is uncertain in which or several circles an offence was committed or where an offence was committed partly in one circle and partly in another or where an offence is a continuing one and continues to be committed in more circles than one or where it consists of several acts done in defferent circles, it may be enquired into by a Nyaya Panchayat having jurisdiction in any such circles.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५९ और ६० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६१

६१—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ७५ की संख्या बदल कर धारा ७५ की उपधारा (१) कर दी जाय और उसमें—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७५ का संशोधन।

(१) शब्द "Sarpanch" और शब्द "of" के बीच में शब्द "and in his absence to the Sahayak Sarpanch" बढ़ा दिये जायं,

(२) शब्द "of" और शब्द "absence" के बीच में आये हुए शब्द "his" के स्थान पर शब्द "their" रख दिया जाय और

(३) शब्द "he may have appointed" के स्थान पर शब्द "may have been appointed by the Sarpanch" रख दिया जाय।

(४) धारा ७५ में, इस प्रकार संख्यांतरित उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित को उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा :—

"(2) Where a civil case, criminal case or revenue case is instituted orally, the Sarpanch, Sahayak Sarpanch or Panch receiving the application shall record without delay the prescribed particulars and the signature or thumb-impression of the applicant shall be taken thereon."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६२

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७६ का संशोधन।

६२—मूल अधिनियम की धारा ७६ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

"Application to be laid before the Bench.

76. The Sarpanch, Sahayak Sarpanch or in their absence the Panch mentioned in section 75, shall thereupon lay the application before a Bench of the Nyaya Panchayat formed under section 49 for disposal and shall also fix a date for the first hearing of the application before the said Bench and give notice of the date to the parties and to the members of the Bench."

श्री रामलखन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन खंड ६२ में पेश करता हूं :—

"खंड ६२ में प्रस्तावित धारा 76 की पंक्ति ८ में शब्द "parties" के स्थान पर शब्द "Applicant, complainant or plaintiff as the case may be" रख दिये जायं।" इस पर विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले ऐक्ट में भी था कि पावर बेंच को है जो निर्णय करेगी, चाहे मुलजिम को तलब करे चाहे प्रतिवादी को तलब करे। पर यहां "parties" का शब्द आया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसके स्थान पर जो शब्द मेरे संशोधन में है वे रख दिये जायं।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६२ में प्रस्तावित धारा 76 की पंक्ति ८ में शब्द "parties" के स्थान पर शब्द "Applicant, complainant or plaintiff as the case may be" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६३, ६४ तथा ६५

६३--मूल अधिनियम की धारा ७७ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७७ का संशोधन।

"Chairman of a Bench.

77. The Bench shall choose one of the members to be the Chairman of that Bench who shall conduct the proceedings: Provided that where the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch is a member of the Bench he, and where both of them are members of the same bench the Sarpanch shall be the chairman."

६४--मूल अधिनियम की धारा 77-A की उप-धारा (१) से शब्द "for the trial of" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७७-ए का संशोधन।

६५--मूल अधिनियम की धारा ८० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८० का संशोधन।

"Legal practitioner not to appear before Nyaya Panchayat.

80. No legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of any party before a Nyaya Panchayat.
Provided that a person who is arrested and is detained in custody shall have the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६३, ६४ और ६५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६६

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८१ का संशोधन।

६६--मूल अधिनियम की धारा ८१ में:

(१) शब्द "authorised" के स्थान पर शब्द "duly authorised in writing" रख दिये जायं, और

(२) अन्त में "फुलस्टाप" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय:--

"Provided that no stamp duty shall be required to be paid for any power of attorney filed under this section."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६७ तथा ६८

६७--मूल अधिनियम की धारा ८२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८२ का संशोधन।

"Special jurisdiction in certain matters.

82. Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, it shall be lawful for a Nyaya Panchayat to decide any dispute arising in its local area and not pending in any court in accordance with any settlement, compromise or oath agreed upon in writing by the parties"

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८३ का संशोधन।

६८—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८३ की संख्या फिर से बदल कर धारा ८३ की उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय।

(२) इस प्रकार बदली गयी उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित को नई उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

(2) Nothing in this sub-section shall entitle any party to compound any offence which is not compoundable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 or to compound an offence without the permission or the Bench concerned, if it is compoundable with permission under the provisions of the said Code."

Act v of 1898.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६७ और ६८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६९ तथा ७०

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८५ का संशोधन।

६९—मूल अधिनियम की धारा ८५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Power of superior courts to transfer cases from Nyaya Panchayats.

85. (1) On the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard or on his own motion without such notice the Sub-Divisional Magistrate, the Munsif or the Sub-Divisional Officer according as the case pending before a Nyaya Panchayat is a Criminal case, civil suit or revenue case may , at any stage, withdraw the same and—

(i) try or dispose of the same, or
(ii) transfer it to another Bench of the Nyaya Panchayat,or
(iii) transfer the same for trial or disposal to any other Magistrate, Munsif or Assistant Collector competent to try or dispose of the case.

(2) Where any criminal case , civil case or revenue case has been withdrawn under sub-section (1) the court or officer who thereafter tries such criminal case, civil case or revenue case may either retry it or proceed from the point at which it was withdrawn.

(3) if any application under sub-section (1) is either frivolous or vexatious the applicant may be fined up to fifty rupees by the Sub-Divisional Magistrate, the Munsif, or the Sub-Divisional Officer, as the case may be."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८७ का संशोधन।

७०—मूल अधिनियम की धारा ८७ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में "फुलस्टाप" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित को तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"Provided further that where it appears to the Nyaya Panchayat that a witness is unable to appear before it by reason of illness or physical infirmity or that his presence cannot be procured without unreason

able delay, expense or inconvenience, it may subject to such restrictions as may be prescribed, issue a commission in the manner prescribed to take the evidence or such witness. The evidence so taken shall form part of the record of the case."

*श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मेरे संशोधन १२०, १२९, १३६ और १४३ एक ही प्रकार के हैं तो इनको एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाय इससे भवन के समय में बचत भी होगी। वह संशोधन इस आशय के हैं कि जहां पर सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट शब्द आया है वहां पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि खंड ६९ में धारा ८५ और ८९ में शब्द .....

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि आपके यह संशोधन तो खंड ७१ में आते हैं इसलिये जितने खंड ६९ में आपके संशोधन आते हों वह आप पेश कर दें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६९ में प्रस्तावित धारा 85 (1) की पंक्ति तथा 85 (3) की पंक्ति ३ धारा में शब्द "sub-divisional Magistrate" के स्थान पर शब्द" Judicial Magistrate" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिनियम में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि जितने दीवानी के मामले हैं, डिवीजनल पावर्स के या कंसीलेशन आफ जूरिसडिक्शन के जो प्रश्न हैं वह मुंसिफ के सामने आयें और जो मामले माल के संबंध में हैं वह डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने जायं। इस प्रकार यह ऐक्ट में रखा गया है कि जितने क्रिमिनल वर्क की कार्यवाही है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाय। मैं यह कह देना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट फौजदारी के मुकदमे नहीं करते हैं वैसे वह सेमी क्रिमिनल काम करते हैं। लेकिन जहां तक जुडीशियल का काम है वह हमारे प्रांत में किसी भी जिले में क्रिमिनल का काम नहीं करते हैं यदि करते हैं तो सेमी क्रिमिनल का काम करते हैं या आर्म्स वगैरा के केसेज करते हैं। लेकिन जहां जुर्मों का सवाल है उनके केसेज के लिये जूडीशियल मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था कर दी गई है। अधिकांश जिलों में जुडीशियरी एक्जीक्यूटिव के सैपरेशन का सवाल है वहां भी जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स की स्थापना कर दी गई है और जो हमारे जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वह उसके अन्तर्गत नहीं है बल्कि वह ए० डी० एम० के अन्तर्गत है और अधिकांश मामलों में ए० डी० एम० का सीधा संबंध हाई कोर्ट से है।

मैं यह सदन के समक्ष कह देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था आज हमारे यहां जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की की गई है, उस पर जनता को विश्वास है और मेरा यह भी कहना नहीं है कि जनता का सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट में विश्वास नहीं है। लेकिन उनका नेचर आफ वर्क ऐसा है कि इनको यह काम देना ठीक नहीं होगा। वह पंचायतों का निरीक्षण वगैरा का काम करते हैं और जितने झगड़े वगैरा होते हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन्हीं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स से रिपोर्ट मांगता है और वह रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिये से सरकार के पास जाती है। इसलिये बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स से संबंध है, उनको अगर यह पावर्स दे दी जायंगी तो ठीक नहीं होगा। वास्तव में सरकार की या अधिनियम की यह भावना है कि वह कार्यवाही उसी अफसर के पास या कर्मचारी के पास जाय जो जैसा काम करता हो तो उसके हिसाब से यह जुडीशियल वर्क है, इसलिये जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स के सामने जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि दूसरे प्रदेश ऐसे हैं जहां यह सिद्धांत माना गया है। मैं उदाहरण के तौर पर आप के समक्ष यह रख देना चाहता हूं कि सेंट्रल प्राविंसेज में पंचायत ऐक्ट के अन्तर्गत जो कंसिलेशन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

आफ जुरिस्डिक्शन और रिवीजनल पावर्स का प्रश्न है वह सेशंस जज के अन्तर्गत है। अगर जुरिस्डिक्शन को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो सेशंस जज के सामने जाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी केस के खिलाफ रिवीजन करने जाते हैं तो सेशंस जज के पास जाना पड़ेगा क्रिमिनल केसेज में। तो यह पंचायतों के खिलाफ कार्यवाही जुडीशियल आफिसर्स के सामने होनी चाहिये, न कि एग्जिक्युटिव अफसरों के सामने, जो कि न्याय पंचायतों से केसेज संबंधित हैं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव वास्तव में सरकार के विधेयक की जो नीति है उसी के ऊपर निर्धारित है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट का प्रश्न है उनके स्थान पर अच्छा होगा अगर फौजदारी की कार्यवाही जो है, उसके मुकदमे कैंसिलिएशन आफ जुरिस्डिक्शन और रिवीजन के जुडीशल मैजिस्ट्रेट के सामने भेजे जायं।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे दोस्त वीरेंद्रपति का यह विचार है कि जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव का सेपेरेशन होना चाहिये और हो रहा है उसके ऊपर तो यह अवसर नहीं है कि राय जाहिर की जाय क्योंकि मैं उन आदमियों में से हूं जो इस बात का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखते कि न्याय और एग्जिक्युटिव को बहुत ज्यादा अलग अलग किया जाय, लेकिन जहां तक कि इस संशोधन का संबंध है कि सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के स्थान पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रख दिया जाय, यह एक विचारणीय प्रश्न कुछ और पहलुओं से भी होता है, और वह यह है कि जहां तक सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट का संबंध है वह प्रत्येक जिले में अपने स्थान पर है। लेकिन जहां तक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का संबंध है, जहां तक मैं जानता हूं वह प्रत्येक जिलों के अन्दर नहीं है। कहीं पर रेवेन्यू आफिसर जो हैं उन्हीं को जुडीशियल मैजिस्ट्रेटस की पावर्स दे दी गयी हैं और और जिलों के अन्दर कहीं-कहीं पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट हैं भी नहीं। तो इसके अतिरिक्त एक बात और इस संबंध में विचारणीय है, वह यह है कि पंचायत का कार्य-क्रम जो है यह अभी प्रयोगात्मक है। अभी इसमें बहुसे से और भी प्रयोग किये जा रहे हैं और संभवतः भविष्य में भी कुछ करना पड़े। तो मैं अध्यक्ष महोदय, जितने इस प्रकार के कार्य हैं, मेरी राय यह है कि वह एग्जिक्युटिव के द्वारा ही होने चाहिये। पंचायतों के द्वारा एक नया प्रयोग इस देश में, इस प्रांत में किया जा रहा है। उसको अभी उस प्रयोगात्मक दायरे से बाहर निकाल करके एकदम अलग कर दिया जाय और फिर वही बातें सामने आकर इकट्ठी हो जायं कि यह जुडीशियरी है और यह उसके मामले हैं, तो इससे कोई बहुत लाभ होने की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। मैं वीरेंद्रपति जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यह मौका नहीं है कि वह इतने बुनियादी प्रश्न को यहाँ पर हल करने की कोशिश करें। तो वह इसे वापस ले लें और जिस प्रकार से यह मौजूदा कानून है वैसा चलने दें।

श्री कृपाशंकर—अध्यक्ष महोदय, जो सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट और सब डिवीजनल अफसर रखे गये हैं उसका खास एक मंशा है और वह यह है कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और उसके एग्जिक्युटिव अफसर एक सब डिवीजन के चार्ज में होते हैं। इस वास्ते उनको ही अख्तियार देना मुनासिब होता है ताकि उस डिवीजन के मामले उसके अन्तर्गत आयें। जहां तक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू आफिसर्स का सवाल है उनको कोई सब डिवीजन आम तौर से नहीं दिया जाता है। कभी-कभी परगने का, अभी कुछ तहसील के एक हिस्से का चार्ज दिया जाता है, कभी पूरी तहसील का दिया जाता है। जिस जिले की जैसी परिस्थिति हो और जैसा वहां का कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुनासिब समझता हो, वैसे मुकदमात उनको ट्रायल्स के लिये भेजे जाते हैं। इस वास्ते दिक्कत हो जायगी अगर यहां जुडिशल आफिसर रख दिया जायगा। सब डिवीजनल आफिसर और सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट किसी खास मंशा से रखा गया है। यहां इस वक्त कोई सवाल जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। अगर यह संशोधन मान लिया जायगा तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी। इस वास्ते मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६९ और ७० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७१ तथा ७२

७१—मूल अधिनियम की धारा ८९ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८९ का संशोधन।

"Revision.

89. (1) A Sub-Divisional Magistrate, Munsif, or Sub-Divisional Officer, according as it is a criminal case, civil case or revenue case, may either on his own motion or on the application of any party made within 60 days from the date of the order complained of or where personal service of summon had not been effected on the applicant from the date of the knowledge of the order call for the record of any case which has been decided by a Nyaya Panchayat and if it appears to him that injustice or material irregularity has occurred, he may make such order in the case as he thinks fit.

Explanation—Failure to exercise a jurisdiction vested by law or exercise of jurisdiction in excess of that vested by law shall for purposes of the section be deemed to be a material irregularity.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Sub-Divisional Magistrate, Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, may—

(*a*) quash the decree or order passed by the Nyaya-Panchayat,

(*b*) modify the order,

(*c*) remand the case to the Nyaya Panchayat for re-trial with such direction as he may deem fit, or

(*d*) try the case himself or transfer it to another court or Officer competent to try the same.

(3) If any application under sub-section (1) is found by the Sub-Divisional Magistrate, Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, to be frivolous or vexatious, he may, for reasons to be recorde make an order for the payment to the opposite party by the applicant of special costs not exceeding fifty rupees by way of compensation.

(4) Except as aforesaid , a decree or order passed by a Nyaya Panchayat in any civil case, criminal case or revenue case shall not be open to appeal or revision in any court".

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९१ का निकाल दिया जाना।

७२—मूल अधिनियम की धारा ९१ निकाल दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७१ और ७२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७३

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९३ का संशोधन।

७३—मूल अधिनियम की धारा ९३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Execution of decrees.

93. (1) A decree or order passed by a Nyaya Panchayat shall be executed by it in such manner as may be prescribed. If the property of the defendant, or opposite party is situated outside the jurisdiction of the Nyaya Panchayat passing the decree or order, it may, in the manner prescribed transfer the decree or order for execution to the Nyaya Panchayat, within whose jurisdiction the property may be situtated, and if there be no Nyaya Panchayat then to the court of the Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, within whose jurisdiction it may be situated.

(2) If a Nyaya Panchayat finds any difficulty in executing a decree or order, it may forward the same to the Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, who shall then execute the same as if it were a decree or order passed by him."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७४

७४—मूल अधिनियम की धारा ९४ में : यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९४ का संशोधन।

(१) शब्द "The fine imposed in a case" के स्थान पर शब्द "Any fine imposed, or compensation ordered to be paid in section 61" रख दिये जायं; और

(२) शब्द "Provided in section 386 of the Code of Criminal Procedure, 1898" के स्थान पर "prescribed" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७५

७५—मूल अधिनियम की धारा ९४ के पश्चात् अध्याय ६ के अन्त में निम्नांकित को धारा ९४-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारा ९४-ए का बढ़ाया जाना।

94-A. "Contempt of Nyaya Panchayat.

(1) If any person intentionally offers any insult to a Nyaya Panchayat or any member thereof, while it is sitting in any stage of judicial proceedings in its or his view or presence or refuses to take oath duly administered or sign a statement made by the said person when legally required to do so, the Nyaya panchayat may at any time before rising on the same day take cognizance of the offence and sentence the offender to a fine not exceeding five rupees.

(2) The fine imposed under sub-section (1) by a Nyaya Panchayat shall, for the purpose of section 94, be deemed to be a fine imposed in a criminal case."

श्री राम लखन मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७५ में प्रस्तावित धारा 94-A (1) की पंक्ति ८ में शब्द "offence" के पश्चात् के सब शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"And may report the full facts of the case as may be to the S. D. M. concered who may in a Summary enquiry punish the offender to a fine not exceeding Rs. twenty five."

यह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की धारा न्याय पंचायतों को दी जा रही है। मुझे विशेष यह कहना है कि शिक्षा वगैरह तो रहती नहीं। ईर्ष्या की भित्ति पर ही प्रायः लोग वहां पर खड़े रहते हैं गांवों में। तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट में अगर कोई क्षमा मांगे तो प्रायः अदालतें क्षमा दे दिया करती हैं। इसमें उसकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि या तो इसे स्वीकार करें वरना इसके लिए कोई स्पेशल प्राविजन रूल्स में रखें कि अनकंडीशनल अपालोजी मान लें। उनको सजा करने के पहले विशेष प्रश्न अपराधियों को बतलाने होंगे कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम ऐसा करेंगे वरना वह एक बहुत बड़ा साधन होगा दूषित वायुमंडल के लिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—इस पर बाद में विचार किया जायगा। इसलिये उम्मीद है कि वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री राम लखन मिश्र--मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :--

खंड ७५ में प्रस्तावित नई धारा 94-A की उपधारा (1) और (2) निकाल दी जांय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो नये अधिकार न्याय पंचायतों को दिये जा रहे हैं उनकी भावना तो अच्छी है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, न्याय पंचायतें चाहे छोटी हों या बड़ी हों, उनके निर्णय का पालन करना और उनकी प्रतिष्ठा के बदस्तूर कायम रखना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का जो कानून है वह इतना पेचीदा है कि न्याय पंचायतों के लिये उसका समझना बड़ी कठिन चीज होगी। कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के केसेज पर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हुई हैं उनके अनुभव पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे मैजिस्ट्रेट्स और जजेज भी इस कंटेम्प्ट आफ कोर्ट ला को नहीं समझ पाये हैं। इस बात का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितने केसेज हमारी कोर्ट्स ने हाई कोर्ट के लिये रिकमेंड किये होंगे कि अमुक व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही की जाय। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्क्रिप्चर्स उन मैजिस्ट्रेट्स और जजेज के विरुद्ध आये उनसे मालूम होता है कि वास्तव में कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का ला बड़ा कम्पलिकेटेड है। हमारे पड़ोसी जिले इटावा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन द्वारा कुछ मैजिस्ट्रेट के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ था और जब यह प्रस्ताव पास हुआ था तो उसमें कुछ वकीलों को हाई कोर्ट द्वारा सजा दी गई। वे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और वहां यह निर्णय दिया कि यह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का ला बड़ा कम्पलिकेटेड है और इसके अन्तर्गत कार्यवाही करने के पूर्व हमारे जजेज और मैजिस्ट्रेट्स को अच्छी तरह से समझना चाहिये और उसके बाद केसेज रिकमेंड करें। तो हम अदालतों में रोज यह देखते हैं कि कहीं मैजिस्ट्रेट्स गुस्से में आकर लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं और जहां कोई किसी बात से नाराज हुआ, उसका उन्होंने स्टेटमेंट लिया और वहीं दस, १५ रुपया जो कानून में आता है जुर्माना कर दिया। जब यह हालत है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी अदालती पंचायतें किस अवस्था में हैं और वे कहां तक इसे समझ सकेंगी। यह बड़ी कठिन चीज है। जिन परिस्थितियों में हमारी न्याय पंचायतें गुजर रही हैं उन परिस्थितियों के अन्तर्गत कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के अधिकार उनको देना मुनासिब न होगा। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि जो भी मुकदमे न्याय पंचायतों के सामने आयेंगे यदि किसी पार्टी से कोई पंच ईर्ष्या रखता है या नाराज है तो मुकदमा तो बाद में होगा, सबसे पहले उसके खिलाफ कंटेम्प्ट आफ कोर्ट में कार्यवाही हो जायगी और ५ रुपया टीप दिये जायंगे। तो मैं समझता हूं कि यह अधिकार देने से हमारे समाज की बड़ी क्षति होगी। वास्तव में इसका क्या परिणाम होगा यह तो हम आज नहीं समझ सकते हैं। वास्तव में यदि आप हमारे समाज से दलबन्दी को दूर करना चाहते हैं और ग्रामों से दलबन्दी को हटाना है, जातिवाद को हटाना है और अन्याय को दूर करना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का कानून किस प्रकार का है और क्या इसका आशय है। यह जो उनको अधिकार दिया जा रहा है यह उनके खिलाफ पड़ेगा। गांव के अन्दर दलबन्दी के कारण न्याय का बोलबाला नहीं रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उनकी भावना बहुत अच्छी है लेकिन उनकी भावना समाज के विरुद्ध जायगी। आज नहीं तो ६ महीने के बाद माननीय

मंत्री जी को पछताना पड़ेगा। जो अधिकार यह उनको देने जा रहे हैं यह समाज के हित में नहीं जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—पहले ऐसी धारा नहीं थी लेकिन दिक्कत यह हुई कि न्याय पंचायत जब बैठती है तो वहां कोई साहब किसी तरह की बेइज्जती करते हैं तो उनको किस प्रकार से रोका जाय। उसके लिये यह किया गया है। इसलिए इस समय इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—मैं खेद के साथ इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मोहन लाल गौतम—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७५ में प्रस्तावित धारा 94-A की उपधारा (2) की पंक्ति १ व २ में शब्द "by a Nyaya Panchayat" निकाल दिये जायं।

इससे भाषा अच्छी हो जाती है इसलिये इसको पेश किया गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७५ में प्रस्तावित धारा 94-A की उपधारा (2) की पंक्ति १ व २ में शब्द "by a Nyaya Panchayat" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७६

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९५ का संशोधन।

७६—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९५ की संख्या बदल कर धारा ९५ की उपधारा (१) कर दी जायगी।

(२) इस प्रकार संख्यांतरित उपधारा (१) के उपखंड (ए), (बी) और (सी) में शब्द "committee" जहां कहीं वे आये हों, के स्थान पर शब्द "or a Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।

(३) इस प्रकार बदली गयी उपधारा (१) के वर्तमान खंड (f) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(f) Suspend supersede or dissolve any Gaon Sabha, Gaon Panchayat, joint committee or Nyaya Panchayat if in the opinion of the State Government such Gaon Sabha, Gaon Panchayat, joint committee or Nyaya Panchayat has abused its position or has continuously failed to perform the duties imposed upon it by or under this Act or if its continuance is not considered desirable in public interest;

Explanation—Suspension or supersession may be for such period as may be specified."

(४) खंड (f) के पश्चात् निम्नांकित को नये खंड (g) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(g) suspend or remove a member of a Gaon Panchayat or joint committee, an Office-bearer of a Gaon Sabha

or a Panch, Sahayak Sarpanch or Sarpanch of a Nyaya Panchayat, if he—

(i) absents himself without sufficient cause from more than three consecutive meetings or sittings.,

(ii) refuses to act or becomes incapable of acting for any reason whatsoever or if he is accused of or charged for an offence involving moral turpitude,

(iii) has abused his position as such or has persistently failed to perform the duties imposed by this Act or rules made thereunder or his continuance as such is not desirable in public interest, or

(iv) being a Sahayak Sarpanch or a Sarpanch of the Nyaya Panchayat takes active part in politics."

(७) इस प्रकार संख्यांतरित में बदली गयी उपधारा (१) के पश्चात् निम्नांकित को नयी उपधाराएं (२), (३) और (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(2) A person removed under sub-clause (iii)and (iv) of clause (g) of sub-section (i)of this section shall not be entitled to be re-elected or re-appointed to any office under this Act for a period of five years or such lesser period as the State Government may order in any case.

(3) No order made by the State Government under this section shall be called in question in any court.

(4) Where any Gaon Sabha, Gaon Panchayat or joint committee is superseded the State Government may appoint such person or persons to exercise and perform the powers and duties thereof as it may deem fit."

श्री जोरावर वर्मा—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ७६ के उपखंड (३) में प्रस्तावित नये खंड (f) को हटा कर निम्नरूप में रख दिया जाय :

"(f) on the resolution of the Gaon Sabha or Gaon Sabhas concerned, about the misuse of position or failure to perform the duties imposed by or under this Act, suspend supersede or dissolve any Gaon panchayat, Joint Committee or Nyaya Panchayat."

श्री मोहन लाल गौतम—अब समय थोड़ा रह गया है, आप संक्षेप में कहें ।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, इस धारा के अनुसार इस प्राविजन में माननीय मंत्री जी सरकार को यह अधिकार दिलाने के लिये तुल गये हैं कि जब सरकार चाहे तभी गांव सभा, गांव पंचायत, ज्वाइन्ट कमेटी और न्याय पंचायत को डिजाल्व कर दे, वास्तव में जैसा मैंने कहा था कि १२-जी में यह खास ग्नोटिन है और वह केवल न्याय पंचायत के लिये थी लेकिन यह जो धारा है वह पूरे पंचायत राज ऐक्ट के लिये है। यह तो उस १२-जी से भी बदतर है। इस धारा का असर यह होगा कि वह इस सारे ऐक्ट को निष्प्राण कर देगी। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—आपकी आज्ञा हो चुकी है इसलिये मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं और मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जोरावर वर्मा—मैं यह फांसी गांव वालों को लगाने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७६ के उपखंड (३) में प्रस्तावित नये खंड (f) को हटा कर निम्न रूप में रख दिया जाय :—

"(f) on the resolution of the Gaon Sabha or Gaon Sabhas concerned, about the misuse of position or failure to perform the duties imposed by or under this Act, suspend supersede or dissolve any Gaon Panchayat, Joint committee or Nyaya Panchayat."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७६ के उपखंड (३) में प्रस्तावित नये खंड (f) के आरम्भिक शब्द "suspend supersede" आदि से पहले शब्द "after calling for an explanation" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७६ के उपखंड (४) में प्रस्तावित नये खंड (g) के उपखंड (iii) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "or his continuance as such is no desirable in public interest or" निकाल दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७६ के उपखंड (४) में प्रस्तावित नये खंड (g) के उपखंड (iv) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७७

७७—मूल अधिनियम की धारा ९८ में शब्द "may with the sanction of the prescribed authority" के स्थान पर शब्द "with the sanction of the prescribed authority, may" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९८ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह कि खंड ७७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७८

७८—मूल अधिनियम की धारा १०० में:

(१) खंड (a) में शब्द "manner" और उसके बाद के सेमीकोलन के बीच में शब्द "as arrears of land revenue" रख दिये जायं, और यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०० का संशोधन।

(२) खंड (b) में शब्द "a magistrate" के स्थान पर "the Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७९

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०४ का संशोधन।

७९--मूल अधिनियम की धारा १०४ की उपधारा (२) में शब्द "Panchayats Fund" के स्थान पर शब्द "Gaon Fund" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८०

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०५ का संशोधन।

८०--मूल अधिनियम की धारा १०५ की उप-धारा (१) में शब्द "Sarpanch" के स्थान पर शब्द "Pradhan" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८१

८१--मूल अधिनियम की धारा १०६ की वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :--

Suits against Gaon Sabhas, Gaon Panchayats, their officers, or the officers and servants of Nyaya Panchayats.

"106. (1) No suit or other legal proceeding shall be instituted against a Gaon Sabha or Gaon Panchayat or against a member thereof or against an Officer or servant of a Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat or against any person acting under the direction of any of these bodies or persons for any thing done or purporting to have been done in Official cepacity under this Act, until the expiration of 2 months next after notice in writing has been, in the case of a Gaon Sabha or Gaon Panchayat delivered in or left at the Office of the Gaon Panchayat concerned and in the case of a member, Officer or servant or any person acting under his direction or the direction of the Gaon Sabha. Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat delivered to him or left at his Office or place of abode, explicitly stating the casue of action, the nature of the reliefs sought, the amount of compensation, if any, claimed, and the name and place of abode of the intending plaintiff and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८३

८३—मूल अधिनियम की धारा १०७ के पश्चात् निम्नांकित को नयी धारा 107-A के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नयी धारा १०७—ए का बढाया जाना।

"Validity of Proceedings.

107-A. Except as otherwise provided under this act a Gaon Sabha, Gaon Panchayat or any committee thereof, shall have power to act, not, withstanding any vacancy in the membership or defect or irregularity in the enrolment of a member thereot, and any proceedings in any Gaon Sabha, Panchayat or committee shall be valid notwithsanding that there was any defect or irregularity in the enrolment of any member or that some person, who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings, provided, however, that at least two-thirds of the persons, present at the time of the act being done were not disqualified to be members."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८४

८४—मूल अधिनियम की धारा १०९ में शब्द "arises" के बाद शब्द "as to the jurisdiction of a Nyaya Panchayat or" बढ़ा दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०९ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८५

८५—धारा १०९ के बाद निम्नांकित नयी धारा 109-A बढ़ा दी जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नयी धारा १०९—ए का बढ़ाया जाना।

"Mode of proof of Gaon Sabha record.

109-A. A copy of any entry in a register in the possession of a Gaon Sabha or of any document made or executed by an Officer thereof shall, if duly certified by the Pradhan of the Gaon Sabha or other person authorised by the Pradhan in writing in this behalf, be received as *prima faice* evidence of the existence of the entry or document and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded in every case, where and to the same extent as the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matters."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट—खंड ८२ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया।

खंड ८६

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा११० का संशोधन

८६—(१) मूल अधिनियम की धारा ११० की उप-धारा (२) में :—

(१) खंड) (ii) के बाद निम्नलिखित को नये खंड (ii-a), (ii-b), (ii-c), (ii-d), (ii-e), (ii-f), (ii-g), (ii-h) और (ii-i) के रूप में बढ़ा दिये जायं—

(ii-a) qualifications for the up-Pradhan;
(ii-b) distribution of assets and liabilities of Gaon Panchayats and Nyaya Panchayats,consequent upon a change in their circles;
(ii-c)presentation and disposal of election petitions;
(ii-d) taking of oath by Pradhan, up-Pradhan, members of Gaon Panchayats, Panch, Sahayak Sarpanch and Sarpanch;
(ii-*e*) filing of resignation by Pradhan, Up-Pradhan, members of Gaon Panchayat Panch, Sahayak Sarpanch and Sarpanch;
(ii-f) holding of general elections and bye-elections;
(ii-*g*) nomination of persons as members of Gaon Panchayat
(ii-h) grant of leave for absence to Office bearers of Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat;
(ii-i) the carrying out of the duties of the Pradhan and the UP-Pradhan in their absence for any cause."

(२) खंड (vii) में शब्द "Gaon Sabhas" के स्थान पर "Gaon Panchayats" रख दिये जायं और निम्नलिखित एक नये खंड (vii-a) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(vii-*a*) periodical revision and amendment of Gaon Sabha and Gaon Panchayat registers;

(३) खंड (x) में शब्द "Gaon Panchayat" और शब्द "from" के बीच में शब्द "or Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।

(४) खंड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(xi) appointment, qualifications, supervision, dismissal, discharge, removal or other punishment and other matters relating to the conditions of service, leave, transfer, pay and privileges of the servants of the Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat and their rights of appeal."

(५) खंड (xii) में शब्द "Gaon Panchayat" और शब्द "if" के बीच में शब्द "and Nyaya Panchayat" रख दिये जायं,

(६) खंड (xv) में शब्द "water hyacinth" और शब्द "on any" के बीच में "कामा" बढ़ा दिया जाय और उसके बाद शब्द "grass, weed or other wild growth" बढ़ा दिये जायं।

(७) खंड (xvi) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (xvi-a) के रूप में बढ़ा दिया जाय —

"(xvi-*a*) the carrying out of functions and duties of Gaon Panchayat as mentioned in sections 15,16 and 17"

(८) खंड (xvii) में शब्द "ear-making" और शब्द "fund" के बीच में शब्द "of" रख दिया जाय;

(९) खंड (xix) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (xix-a) के रूप में रख दिया जाय;

"(xix-*a*) collection of State and other dues by Gaon Panchayat and remuneration to be paid therefor."

(१०) खंड (xxi) में शब्द "Gaon Panchayat" के बाद शब्द "and Nyaya Panchayats" रख दिये जायं ;

(११) खंड (xxv) के बाद निम्नांकित को नये खंड (xxv-a) और (xxv-*c*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(xx-*a*) issue of commissions for examination of witnesses; (xxv-*c*) institution of coses where a Sarpanch refuses to entertain."

(१२) खंड (xxxiii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(xxxiii) the prescribing and printing of forms and registers generally relating to any matter under this Act or rules made thereunder."

(१३) खंड (xxxvi) में शब्द "Gaon Panchayats" और शब्द "and के बीच में शब्द "Nyaya Panchayat" रख दिया जाय।

(१४) (xxxvii) में शब्द "Gaon Panchayat" और शब्द "and" के बीच शब्द "and Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।

(१५) खंड (xxix) में "Gaon Panchayat" के स्थान पर शब्द "Gaon Sabhas or Nyaya Panchayats" रख दिये जायं।

(१६) खंड (xlii) के बाद निम्नांकित को नये खंड (xliii), (xliv), (xlvi), और (xlvii) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

(xlii) assistance to be given by the Gaon Panchayat to Government servants on any matter affecting the general administration,

(xliv) Powers and duties of Sahayak Sarpanch and Up pardhan,

(xlv) borrowing and lending of money by Gaon Panchayat,

(xlvi) the matters which are to be and may be prescribed; and

(xlvii) any matter in respect of which power is conferred in section 111 on the prescribed authority to frame a bye-law for a Gaon Panchayat"

(२) मूल अधिनियम की धारा ११० में निम्नलिखित को नवीन उपधारा के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than fourteen days before the State Legislature as soon as they are made, and shall be subject to such modifications as the Lagislature may make during the session in which they are so laid."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८७

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा११२ का संशोधन।

८७—मूल अधिनियम की धारा ११२ में:

(१) खंड (f) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (g) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(*g*) to regulate any other duties or functions of the Gaon Sabha as may be directed by the prescribed authority तथा"

(२) उपधारा (२) के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर एक कोलन रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"Provided that the State Government may at any time rescined or modify any bye-laws so approved"

श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ८७ के उपखंड (१) में प्रस्तावित नये खंड (g) की पंक्ति २ में शब्द "directed" के स्थान पर शब्द "Advised" रख दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम—मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८७ के उपखंड (१) में प्रस्तावित नये खंड (g) की पंक्ति २ में शब्द "directed" के स्थान पर शब्द "advised" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतिपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय मेरा, संशोधन इस प्रकार है—

खंड ८७ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ११२ (१) की चौथी पंक्ति में शब्द Prescribed authority" के बाद "and passed or confirmed by the Gaon Panchayat" तथा "frame" और "bye-laws" के बीच शब्द "other" रख दिये जायं।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकृत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८७ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ११२(१) की चौथी पंक्ति में शब्द "prescribed authority" के बाद "and passed or confirmed by the Gaon Panchayat" तथा "Frame" और "bye-laws" के बीच शब्द "other" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खं ८७ में निम्नलिखित नया उपखंड (१—क) के रूप में रख दिया जाय "(१—क) उपधारा (२) के द्वितीय सेंटेंस में शब्द "bye-laws" के बाद शब्द "as sanctioned by the prescribed authority." निकाल दिये जायं —

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८८

८८—मूल अधिनियम की धारा ११३ के बाद निम्नांकित को नयी धारा ११४ के रूप में बढ़ा दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नयी धारा ११४ का बढ़ाया जाना।

"Casual vacancies to be left unfilled in certain cases.

114. Where a vacancy occurs on any body constituted under this Act by reason of the death, resignation, removal or avoidance of the election of a member or other Office bearer and the term of Office of that member or other Office bearer would in the ordinary course of events have determined within six months of the occurrence of the vacancy, the prescribed authority may direct that the vacancy be left unfilled until the next general election under this Act"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८९

कठिनाई दूर करने का अधिकार।

८९—(१) राज्य सरकार किसी भी कठिनाई को, विशेषतय. मूल अधिनियम के उपबंधों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण से सम्बद्ध किसी भी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के आरम्भ होने के ठीक बाद के दो वर्ष के अन्तर्गत परिष्कारों, परिवर्द्धनों अथवा अकरणों के रूप में उन अनुकूलनों के अधीन, जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे, प्रभावशाली हों,

(ख) सामान्यतया अथवा किसी विशेष गांव पंचायत अथवा उसके मेम्बर प्रधान या उप प्रधान अथवा किसी न्याय पंचायत के या उसके पंच, सहायक सरपंच अथवा सरपंच के कार्यकाल को मूल अधिनियम में तत्संबंधी किसी विरोधी बात के होते हुए भी दो वर्ष तक से अधिक न होने वाली कालावधि के लिये बढ़ा सकती है अथवा उसे घटा सकती है,

(ग) अन्य ऐसे अस्थायी उपबन्ध, उपर्युक्त ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, जो निर्दिष्ट की जाय, बना सकती है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा इस अधिनियम के आरम्भ से दो वर्ष तक के लिये प्रभावी होगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ में प्रस्तावित उपधारा (१) को भाग (a) करके निम्नलिखित नया भाग (b) जोड़ दिया जाय ।

"(b) The State Government shall contribute a sum not less than 10 percent of the revenue to the Gaon Fund"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३० (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक १९५४

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में और अधिक संशोधन करने के लिये

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ । ऐसे प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है ;

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ । १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और शेष धारायें ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे और विभिन्न धाराओं के निमित्त विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन द्वारा पुनः संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन द्वारा पुनः संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन), विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। प्रवर समिति के निम्न सदस्य होंगे :—

१—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, मुख्य मंत्री
२—श्री चन्द्रभानु गुप्त, स्वास्थ्य मंत्री
३—श्री आचार्य जुगल किशोर
४—श्री सी० बी० महाजन
५—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
६—डाक्टर सीताराम
७—श्री कैलाश प्रकाश
८—श्री राम नरेश शुक्ल
९—श्री धर्मसिंह
१०—श्री वीरेन्द्रपति यादव
११—श्री वसी नक़वी
१२—श्री मंगला प्रसाद
१३—श्री शिवनाथ काटजू
१४—श्री नेकराम शर्मा
१५—श्री सुल्तान आलम खां
१६—श्री वंशीधर मिश्र
१७—श्री रामनारायण त्रिपाठी
१८—श्री जगन्नाथ मल्ल
१९—श्री नारायण दत्त तिवारी
२०—महाराजकुमार बालेन्दु शाह

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसके यह सदस्य होंगे—

१—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, मुख्य मंत्री
२—श्री चन्द्रभानु गुप्त, स्वास्थ्य मंत्री
३—आचार्य जुगल किशोर
४—श्री सी० बी० महाजन
५—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
६—डाक्टर सीताराम
७—श्री कैलाश प्रकाश
८—श्री राम नरेश शुक्ल
९—श्री धर्म सिंह
१०—श्री वीरेन्द्रपति यादव
११—श्री वसी नक़वी
१२—श्री मंगला प्रसाद
१३—श्री शिवनाथ काटजू
१४—श्री नेकराम शर्मा
१५—श्री सुल्तान आलम खां
१६—श्री वंशीधर मिश्र
१७—श्री राम नारायण त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१८—श्री जगन्नाथ मल्ल
१९—श्री नारायण दत्त तिवारी
२०—महाराजकुमार बालेन्दुशाह

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। इसके भी वही सदस्य होंगे जो मैं पिछले विधेयक के सम्बन्ध में पढ़ चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और इस समिति के भी वही सदस्य हों जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ की प्रवर समिति के लिये चुने गये हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर-प्रदेश कृषि आय कर (संशोधन) विधेयक, १९५४, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसके यह सदस्य होंगे :—

१—श्री रामजी लाल सहायक
२—श्री बाबू राम गुप्त
३—श्री उल्फत सिंह
४—श्री अवधेश चन्द्र सिंह
५—राजा वीरेन्द्र शाह
६—श्री व्रजभूषण मिश्र
७—श्री तेज बहादुर सिंह
८—श्री राम अवध सिंह
९—श्री रामहेत सिंह
१०—श्री राम राज शुक्ल
११—श्री मलखान सिंह
१२—श्री कुंवर कृष्ण वर्मा
१३—श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१४—श्री दल बहादुर सिंह
१५—श्री हबीबुर्रहमान खां (उन्नाव)
१६—श्री महीलाल
१७—श्री राम चरण लाल गंगवार
१८—श्री रामचन्द्र विकल
१९—श्री मदन मोहन उपाध्याय
२०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य

श्री अध्यक्ष—आप दूसरा भी पेश कर दें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि-आयकर (संशोधन) विधेयक १९५४, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसके सदस्यों के नाम यह हैं—

१—श्री रामजी लाल सहायक
२—श्री बाबूराम गुप्त
३—श्री उल्फत सिंह
४—श्री अवधेश चन्द्र सिंह
५—राजा वीरेन्द्र शाह
६—श्री व्रजभूषण मिश्र
७—श्री तेज बहादुर सिंह
८—श्री राम अवध सिंह
९—श्री रामहेत सिंह
१०—श्री रामराज शुक्ल
११—श्री मलखान सिंह
१२—श्री कुंवर कृष्ण वर्मा
१३—श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१४—श्री दल बहादुर सिंह
१५—श्री हबीबुर्रहमान खां (उन्नाव)
१६—श्री महीलाल
१७—श्री रामचरण लाल गंगवार
१८—श्री रामचन्द्र विकल
१९—श्री मदन मोहन उपाध्याय
२०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब यह तीन समितियां, जो नियुक्त हुई हैं उनके सभापति मुझको नियुक्त करने हैं। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक की प्रवर समिति में चूंकि माननीय मुख्य मंत्री हैं, इसलिये मैं उन्हीं को सभापति नियुक्त करता हूं। इसी तरह से लखनऊ युनिवर्सिटी समिति में भी माननीय मुख्य मंत्री हैं इसलिये मैं इसमें भी उन्हीं को सभापति नियुक्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि-आयकर समिति के सभापति माननीय राजस्व मंत्री जी होंगे।

वित्त समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—इस बीच में मैं एक और सूचना दे देना चाहता हूं कि वित्त-समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये समय के अन्दर श्री कृष्णचन्द्र शर्मा का

[श्री अध्यक्ष]

नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। नाम वापस लेने का अन्तिम समय १५ मई, १९५४ ई० को ३ बजे तक था। उन्होंने नाम वापस नहीं लिया। अतः श्री कृष्णचन्द्र शर्मा विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर-प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसके सदस्य निम्नलिखित हों—

१—श्री बलवन्त सिंह
२—श्री हरदयाल सिंह पिपल
३—श्री फतेह सिंह राणा
४—श्री तेज प्रताप सिंह
५—श्री राम दुलारे मिश्र
६—श्री फारूक चिश्ती
७—श्री परमानन्द सिंह
८—श्री नागेश्वर द्विवेदी
९—श्री उम्मेद सिंह
१०—श्री राधा मोहन सिंह
११—श्री राम वचन यादव
१२—श्री गेंदा सिंह
१३—श्री अब्दुल लतीफ
१४—श्री अब्दुल मुईज खां
१५—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल
१६—श्री जटाशंकर शुक्ल
१७—श्री जगन्नाथ प्रसाद
१८—श्री लक्ष्मण राव कदम
१९—श्री राम सुन्दर पांडेय
२०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे—

१—श्री बलवन्त सिंह
२—श्री हरदयाल सिंह पिपल
३—श्री फतेह सिंह राणा
४—श्री तेज प्रताप सिंह
५—श्री राम दुलारे मिश्र
६—श्री फारूक चिश्ती
७—श्री परमानन्द सिंह
८—श्री नागेश्वर द्विवेदी
९—श्री उम्मेद सिंह
१०—श्री राधा मोहन सिंह
११—श्री राम वचन यादव
१२—श्री गेंदा सिंह

१३—श्री अब्दुल लतीफ
१४—श्री अब्दुल मुईज खां
१५—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल
१६—श्री जटाशंकर शुक्ल
१७—श्री जगन्नाथ प्रसाद
१८—श्री लक्ष्मण राव कदम
१९—श्री राम सुन्दर पांडेय
२०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इसमें मैं माननीय राजस्व मंत्री को सभापति नियुक्त करता हूं। अब हम अनिश्चित काल तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ८ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१५ मई, १९५४।

मुद्रित प्रतिलिपि विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

PARAGRAPH 411 POLICE REGULATIONS

411. No recruit shall be enlisted whose chest measurement is less than 32 inches unexpanded and 34 inches expanded, or whose height is less than 5 feet 6 inches.

To this rule there are the following exceptions :

(*a*) Men between 18 and 20 years, who show signs of growing and filling out, may be enlisted if they are 5″ 5″ in height and 30 inches unexpanded and 32 inches expanded in chest measurement:

Provided that the Civil Surgeon certifies that the recruit is under 20 and that he is, likely to attain standard measurement.

(*b*) In the case of Nepalese and hillmen, the chest measurement must be not less than 32 inches unexpanded and 34 inches expanded, and height not less than 5 feet 4 inches.

Note.—As far as possible tall and well built men should be enlisted in the police as constables, as physical appearance and personality are important factors for the efficient discharge of their duties.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५६ एल० ए०—१९५४—८५० ।